किसान संघर्ष

जनवरी–फ़रवरी 2022

ऐतिहासिक संघर्ष - बेमिसाल जीत

शाहजहांपुर खेड़ा बॉर्डर पर जीत का जश्न

सिंघू बॉर्डर पर विजय समारोह

टिकरी बॉर्डर पर विजय महोत्सव

विषय सूची

संपादकीय		2
ए आइ के सी की हैदराबाद बैठक का आह्वान	**हन्नान मौल्ला**	3
भारत में किसानों का ऐतिहासिक वर्ग संघर्ष: एक विहंगावलोकन	**अशोक ढवले**	6
ऐतिहासिक किसान संघर्ष की समयरेखा		14
किसान आंदोलन और उसका हासिल	**बादल सरोज**	18
किसान आन्दोलन की जीत और उसके आगे	**डी पी सिंह**	25
किसान आंदोलन की जीत : संभावनाएं और भावी चुनौतियां	**इन्द्रजीत सिंह**	30
किसान आंदोलन : किसान मजदूर की एकता की नजर से	**जयभगवान**	35
मंदिर-मस्जिद बैर कराते, मेल कराती आन्दोलनशाला	**मनोज कुमार**	38
किसान आंदोलन और महिलाएं	**सविता**	40
किसान आन्दोलन का पलवल मोर्चा- अनुभव व सबक	**दिगम्बर सिंह**	42
गन्ना किसान अपनी मांगों को लेकर संसद मार्च करेंगे	**नंद किशोर शुक्ला**	45
हिमाचल प्रदेश: भूमि अधिग्रहण के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन	**ओंकार शाद**	46
महाराष्ट्र: मुंबई में विशाल किसान मजदूर महापंचायत	**अजित नवले**	48
त्रिपुरा: शानदार रैली के साथ मनाया किसान आंदोलन की जीत का जश्न	**अरूपरतन शर्मा**	50
बस्तर के किसान आंदोलनों में पहुंची किसान सभा	**संजय पराते और कमल शुक्ला**	52
कर्नाटक: राष्ट्रीय राजमार्गों पर किसानों के धरने		54
किसान आंदोलन की ऐतिहासिक जीत पर झारखंड में विजय दिवस मनाया गया	**सुफल महतो**	55
राजस्थान में किसान आंदोलन के नेताओं का स्वागत	**बृजसुंदर जांगिड़**	56
बिहार में किसान आंदोलन की जीत का विजय जुलूस	**प्रभुराज नारायण राव**	56

* कवर पृष्ठ की तस्वीर में मौजूद मूर्ति बंगाल के मूर्तिकार देबनजान राय द्वारा किसान आंदोलन के दौरान टिकरी बॉर्डर पर बनाई गई थी।

* पिछले कवर पृष्ठ पर मौजूद चित्र 10वीं की छात्रा साइना अहलावत द्वारा बनाई गई है।

संपादकीय

पिछले एक साल से चल रहे अभूतपूर्व किसान आंदोलन को, मुख्य मांगो के माने जाने के बाद अब दिल्ली बोर्डरों के धरना स्थलों से खत्म कर दिया गया है। पर अभी भी एमएसपी सहित बाकी मांगो को लेकर संघर्ष जारी है जैसा कि संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है "यह लड़ाई हम जीत चुके है पर युद्ध अभी बाकी है"। कॉरपोरेट पक्षीय नवउदारवादी नीतियों के विरूद्ध भारत के मजदूरों किसानों के इस युद्ध में, तीन कृषि कानूनों को निरस्त करवाने की यह लड़ाई उन की एक महत्वपूर्ण जीत है, जिस ने देश भर के जन आंदोलनों में एक बड़े हौसले का संचार किया है। इस संघर्ष में पिछले एक साल के दौरान किसान और उन के सहयोगी मज़दूर वर्ग द्वारा बहुत सी कुर्बानियां दी गई है, 700 से ज्यादा शहीद हुए किसानों ने अपने परम बलिदान से इस संघर्ष को जीत के मुकाम तक पहुँचाया है। एक ज़िद्दी सरकार को लंबी लड़ाई के बाद हराना मज़दूरों– किसानों की एकता की ताकत को दिखाता है। इस आंदोलन ने सभी प्रगतिशील व जनवादी लोगों को अपार उत्साहित किया है जिन का दायरा केवल भारत की सीमाओं तक सीमित नही बल्कि दुनिया भर में है।

सरकार द्वारा बदनाम और दुष्प्रचार के बाद भी देश भर के सभी वर्गों से इस आंदोलन को मिले समर्थन ने मोदी सरकार को अपने पांव पीछे खींचने पर मजबूर किया। हालाँकि भाजपा सरकार द्वारा जिस तरह से संसदीय मूल्यों को ताक पर रख कर इन कानूनों को संसद में पास कराया था उसी अलोकतांत्रिक प्रक्रिया से संसद में इन्हें निरस्त करना और लखीमपुर खीरी में किसानो की हत्या के आरोपी व मुख्य आरोपी के पिता केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी की उलटी–सीधी बयानबाजी के बावजूद उन्हें पद से ना हटाना, मोदी सरकार के अधिनायकवादी रवय्ये का प्रतिबिम्बन है। केंद्र सरकार किसानो से किये गए वादों को पूरा करने की दिशा में भी कोई कदम उठाती नज़र नहीं आती, जो की किसानो के साथ एक विश्वासघात है। आगामी पांच राज्यों के चुनावों के मद्देनज़र देश की राजनीति में गहमा गहमी का असर राजनैतिक परिदृश्य में देखा जा सकता है। यह एक ऐसा समय है जब मजदूर किसान मिल कर भाजपा की जनता विरोधी कॉर्पोरेट हितेषी नीतियों के विरुद्ध अपनी नाराज़गी का इज़हार करते हुए, भाजपा को चोट पंहुचा सकता है और इसी डर से वो तमाम तरह के हत्कंडे अपना रहे है। हिन्दुत्ववादी शक्तियों की अलग–अलग हरकते गैर हिन्दुओं के प्रति नफरत फैलाने में लगी है जिन्हें स्वयं सेवक संघ व भजपा का प्रत्यक्ष समर्थन है और यें घटनाएं देश की तमाम सांप्रदायिक तबको को मदद कर रही है, जो देश के सोहार्द को बिगाड़ रही है।

किसान संघर्ष के इस अंक में मुख्यतः इस ऐतिहासिक किसान संघर्ष के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई है। एक साल तक दिल्ली की सीमाओं पर किसानो के तम्बू लगे हुए थे, जो कॉर्पोरेट्स विरोधी अपनी स्पष्ट समझ के साथ पुरी निष्ठा से अंजाम की परवाह किये बगैर वहा डेरा जमाये हुए थे। अब इस आन्दोलन के हासिल और इस से मिले सबक का विश्लेषण करते हुए आगे बढ़ने की जरुरत है। ताकि हम नवउदारवादी, कॉरपोरेट हित की नीतियों के विरुद्ध युद्ध में अपनी स्थिति को मजबूत कर सके और किसान व जनपक्षीय विकल्प की राह पर देश को आगे बढ़ाया जा सके।

□

ए आइ के सी की हैदराबाद बैठक का आह्वान

राज्य विधानसभा चुनावों में भाजपा को हराओ
28-29 मार्च की ग्रामीण हड़ताल को सफल बनाओ
संगठन को व्यापक रूप से मजबूत बनाओ

– हन्नान मौल्ला

अखिल भारतीय किसान सभा (एआइकेएस) की अखिल भारतीय किसान काउंसिल (एआइकेसी) की बैठक गत 10–11 जनवरी को तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद के पी सुंदरैया विज्ञान केंद्रम में संपन्न हुयी। गत नवंबर–दिसंबर में किसानों के ऐतिहासिक देशव्यापी संघर्ष की महाकाव्यात्मक जीत के बाद हो रही एआइकेसी की यह पहली बैठक थी और इसलिए यह भारी उत्साह से भरपूर रही। इसमें 17 राज्यों के एआइकेसी सदस्यों ने भाग लिया। कोविड के चलते कुछ राज्यों की इस बैठक में भागीदारी नहीं हो पायी।

एआइकेसी ने निर्णायक महत्व के आगामी राज्य विधानसभा चुनावों में भाजपा की हार सुनिश्चित करने और 19 जनवरी के मजदूर–किसान एकता दिवस को तथा 28–29 मार्च की अखिल भारतीय आम हड़ताल एवं ग्रामीण हड़ताल को शानदार रूप से सफल बनाने और किसान संघर्ष की जीत से हासिल उत्साह के साथ, अखिल भारतीय किसान सभा के संगठन को देश भर में व्यापक रूप से मजबूत बनाने के लिए, अपनी पूरी ताकत लगाने का आह्वान किया।

10 जनवरी को अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष अशोक ढवले द्वारा झंडा फहराए जाने के साथ एआइकेसी की यह बैठक शुरू हुयी। एआइकेएस सहसचिव एन के शुक्ल ने दिवंगत नेताओं, किसान संघर्ष के 715 शहीदों तथा अन्य शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, बैठक में एक शोक प्रस्ताव पेश किया।

अध्यक्षीय संबोधन तथा महासचिव की रिपोर्ट

अपने अध्यक्षीय संबोधन में अशोक ढवले ने एआइकेसी के सभी सदस्यों और पूरी अखिल भारतीय किसान सभा और पूरे देश की जनता को बहादुरीपूर्ण किसान संघर्ष, जो तीन घृणित कृषि कानूनों को निरस्त करवाने में सफल हुआ है, में उनकी सराहनीय भूमिका के लिए गर्मजोशीपूर्ण बधाई दी। इस संघर्ष और इसकी जीत के राजनीतिक महत्व के बारे में विस्तार से बताने के बाद, उन्होंने किसान आंदोलन

के समक्ष उपस्थित अंतर्राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय चुनौतियों का जायजा पेश किया।

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमरीका के नेतृत्व में साम्राज्यवाद की घृणित भूमिका और राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा–आरएसएस निजाम और उसके पालतू कार्पोरेट घरानों के नेतृत्व में कार्पोरेट सांप्रदायिकता तथा तानाशाही का गंभीर खतरा, खासतौर से उनके निशाने पर रहे।

उन्होंने केरल की एलडीएफ सरकार द्वारा किए गए शानदार काम तथा उसके द्वारा लागू की गयी वैकल्पिक नीतियों को 'देश पर छाए काले बादलों में उम्मीद की एक किरणच्य करार दिया और एआइकेएस के समक्ष उपस्थित भविष्य के कामों की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए अपना संबोधन समाप्त किया।

एआइकेएस के महासचिव हन्नान मौल्ला ने चार हिस्सों में महासचिव की रिपोर्ट पेश कीः 1. भारत में कृषि की स्थिति; 2. ऐतिहासिक किसान संघर्ष और उसकी महान जीत; 3. संगठन की स्थिति और 4. भविष्य के काम।

उन्होंने एआइकेएस, संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) में शामिल किसानों के दूसरे संगठनों, केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मंच तथा खेतमजदूरों, महिलाओं, छात्रों तथा युवाओं के संगठनों और देश भर के लोगों को किसान संघर्ष द्वारा कड़ी लड़ाई के बाद हासिल की गयी जीत के लिए बधाई देने से, अपनी बात शुरू की।

उनका कहना था कि देश की कृषि स्थिति अभी भी चिंताजनक बनी हुयी है, किसानों की आत्महत्याएं बढ़ रही हैं, देश के करोड़ों किसानों को एमएसपी देने से इंकार किया जा रहा है, उर्वरकों की कमी के चलते उसकी कालाबाजारी हो रही है, प्राकृतिक आपदाओं और पालतू तथा जंगली जानवरों के चलते फसलों को भारी नुकसान हो रहा है और भुखमरी बढ़ रही है।

उन्होंने किसान संघर्ष के विभिन्न पहलुओं, जिनमें एआइकेएस केंद्र तथा उसकी तमाम राज्य इकाइयों में निरंतर बनी रही अतिसक्रिय भूमिका भी शामिल है, के बारे में बताने के बाद आनेवाले एक वर्ष, जो केरल में एआइकेएस के 35वें अखिल भारतीय सम्मेलन के आयोजन में अपने उत्कर्ष पर पंहुचेगा, में हर राज्य के किसानों की ज्वलंत समस्याओं पर एकजुट तथा स्वतंत्र संघर्षों पर और एआइकेएस संगठन को सुदृढ़ करने, उसका विस्तार करने और उसे मजबूत तथा चुस्त–दुरुस्त बनाने पर ध्यान केंद्रित करने पर जोर दिया।

महासचिव की इस रिपोर्ट पर शानदार चर्चा हुयी, जो चार घंटे तक चली। इस चर्चा में सभी 17 राज्यों के 29 सदस्यों ने भाग लिया। इस चर्चा में भाग लेनेवाले प्रमुख लोगों में केरल में एआइकेएस के पूर्व राज्य–महासचिव के एन बालगोपाल भी शामिल थे, जो अब केरल की एलडीएफ सरकार में वित्त मंत्री हैं।

दूसरे सभी वक्ताओं ने किसानों के इस संघर्ष के एक वर्ष के दौरान एकजुट तरीके से भी और स्वतंत्र ढ़ंग से अपने–अपने राज्यों में किए गए कार्यों के प्रेरणादायी प्रसंगों के बारे में बताया और एआइकेएस केंद्र द्वारा किए गए शानदार कार्य की सराहना की, जिसका ही परिणाम था कि एआइकेएस को एसकेएम की 9 सदस्यीय कमेटी में भी और 5 सदस्यीय कमेटी में भी प्रतिनिधित्व मिला था।

इन सभी वक्ताओं ने आनेवाले दिनों में अपने संघर्षों को आगे बढ़ाने और तमाम पहलुओं में अपने संगठन को मजबूत बनाने की शपथ ली। महासचिव द्वारा बहस का जवाब दिए जाने के बाद, 11 जनवरी को सर्वसम्मति से यह रिपोर्ट स्वीकृत हुयी।

प्रस्ताव तथा भविष्य के कार्य

एआइकेएस के सहसचिव वीजू कृष्णन ने बैठक में निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किएः आनेवाले विधानसभा चुनावों में सांप्रदायिक, किसानविरोधी तथा मजदूरविरोधी भाजपा को हराओ; आगामी 28–29 मार्च की देशव्यापी आम हड़ताल तथा ग्रामीण हड़ताल को शानदार रूप से सफल बनाओ; सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के देशविरोधी तथा आपराधिक प्रयासों का विरोध करो; प्राकृतिक आपदाओं तथा अन्य वजहों से फसलों को होनेवाले नुकसान के लिए मुआवजा सुनिश्चित करो; पशु व्यापार तथा उन्हें लाने ले जाने पर लगे प्रतिबंध का विरोध करो और केरल की के–रेल परियोजना।

एआइकेएस के वित्त सचिव पी कृष्णाप्रसाद ने एआइकेएस के समक्ष उपस्थित भविष्य के कामों को पेश किया और आय–व्यय का ब्यौरा भी पेश किया।

उन्होंने बताया कि उपरोक्त प्रस्तावों में बताए गए कामों के अलावा मुख्य काम यह होगा कि अगले दो महीनों में एआइकेएस देश भर में एक लाख गांवों में आम सभाओं का आयोजन कर किसान संघर्ष की जीत के महत्व के बारे में बताएगी और एमएसपी के लिए कानूनी गारंटी, कर्ज माफी,

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में मूलगामी किसान समर्थक बदलाव लाने, ऋण संबंधी मुद्दों, सिंचाई तथा बिजली संबंधी मुद्दों, मनरेगा तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के विस्तार, एफआरए तथा पीईएसए के कड़ाई से क्रियान्वयन और जमीन संबंधी महत्वपूर्ण मुद्दों से जुड़ी बाकी बची मांगों पर अपना ध्यान केंद्रित करेगी।

इसके साथ ही एआइकेएस के स्वतंत्र संघर्षों पर ध्यान केंद्रित करते हुए, एक एकजुट अखिल भारतीय संघर्ष के लिए एसकेएम, एआइकेएससीसी तथा भूमि अधिकार आंदोलन की एकता को मजबूत बनाना, दूसरा प्रमुख कार्य होगा।

जो मुख्य सांगठनिक कार्य तय पाए गए हैं उनमें सदस्यों को भर्ती करने का एक व्यापक अभियान चलाना, जो 30 अप्रैल तक पूरा कर लिया जाएगा; केंद्र में तमाम प्राइमरी इकाइयों के पंजीकरण के साथ हजारों गांव इकाइयों के सम्मेलन फौरन शुरू हो जाएंगे; एरिया स्तर से लेकर राज्य स्तर तक के सम्मेलनों के जरिए पूरे संगठन को चुस्त–दुरूस्त बनाया जाएगा और यह प्रक्रिया दिसंबर 2022 में केरल में आयोजित होनेवाले अखिल भारतीय सम्मेलन में अपने उत्कर्ष पर पंहुचेगी; हर स्तर पर महिला तथा युवा कार्यकर्ताओं की पहचान करने, उन्हें भर्ती करने तथा उन्हें पदोन्नत करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा; हर स्तर के कार्यकर्ताओं के वार्षिक तथा व्यवस्थित राजनीतिक शिक्षण की योजना बनायी जाएगी; फसलवार सब–कमेटियों के काम को नियमित किया जाएगा; एआइकेएस के पूर्णकालिक कार्यकर्ताओं की पूरी सूची तैयार की जाएगी और उसे केंद्र में जमा कराया जाएगा; पी सुंदरैया ट्रस्ट के काम को मजबूत बनाया जाएगा तथा उसका विस्तार किया जाएगा।

इसके साथ ही एआइकेएस की केंद्रीय पत्रिकाओं–'पीजेंट्स स्ट्रगल' तथा 'किसान संघर्ष' के प्रकाशन को नियमित किया जाएगा; मार्च 2022 तक कृषि नीति के विकल्पों पर एक अखिल भारतीय सेमिनार का आयोजन किया जाएगा; एआइकेएस के अखिल भारतीय केंद्र तथा राज्य केंद्रों को मजबूत बनाया जाएगा; मजदूर–किसान एकता की दिशा में काम करते हुए हर स्तर पर एआइकेएस, सीटू तथा अखिल भारतीय खेतमजदूर यूनियन (एआइएडब्लूयू) के बीच समन्वय को मजबूत बनाया जाएगा; नयी दिल्ली में एआइकेएस के केंद्रीय कार्यालय के निर्माण की प्रक्रिया को तेज किया जाएगा, एक व्यापक देशव्यापी किसान संघर्ष फंड के आह्वान के बारे में निर्णय लिया जाएगा तथा उसे लागू किया जाएगा और तमाम राज्य इकाइयों के खातों को दुरुस्त किया जाएगा।

उपरोक्त तमाम प्रस्तावों, भविष्य के कार्यों तथा आय–व्यय के ब्यौरों को एआइकेसी ने सर्वसम्मति से पारित किया।

हन्नान मौल्ल की पुस्तक 'एन आउटलाइन हिस्ट्री ऑफ द ऑल इंडिया किसान सभाच का तेलुगु संस्करण एआइकेएस की तेलंगाना राज्य कमेटी ने प्रकाशित किया है, जिसका इस मौके पर अशोक ढवले ने लोकार्पण किया। एआइकेएस की केंद्रीय पत्रिका 'पीजेंट्स स्ट्रगलच्य के ताजा अंक, जो कि विजयी किसान संघर्ष से संबंधित विशेषांक है और जुलाई 2021 में आयोजित एआइकेसी की पूर्ववर्ती ऑनलाइन मीटिंग से संबंधित दस्तावेजों का भी इस मौके पर लोकार्पण किया गया।

एआइकेएस के तेलंगाना के साथियों तथा वालंटियरों, जिन्होंने इस बैठक की शानदार व्यवस्था की थी, को बधाई देने तथा उनका धन्यवाद ज्ञापन करने के बाद) गगनभेदी नारों के बीच यह बैठक संपन्न हुयी।

11 जनवरी को दोपहर बाद एक प्रेस कान्फ्रेंस का आयोजन किया गया जिसमें बड़ी संख्या में मीडियाकर्मियों ने भाग लिया और शाम को एक ऑनलाइन आमसभा का आयोजन किया गया। इस आम सभा की अध्यक्षता एआइकेएस के तेलंगाना राज्य अध्यक्ष पी जांगीरेड्डी ने की और हन्नान मौल्ला, अशोक ढवले तथा एआइकेएस के तेलंगाना राज्य महासचिव टी सागर ने इसे संबोधित किया। □

भारत में किसानों का ऐतिहासिक वर्ग संघर्षः एक विहंगावलोकन

– अशोक ढवले

भारत की राजधानी दिल्ली के बॉर्डरों पर 26 नवंबर 2020 से शुरू हुआ किसानों का अभूतपूर्व संघर्ष, जिसने पूरे एक वर्ष तथा पंद्रह दिन बाद 11 दिसंबर 2021 को कार्पोरेट सांप्रदायिकता की प्रतिक्रियावादी शक्तियों और साम्राज्यवाद पर भी ऐतिहासिक जीत हासिल की, भारत के इतिहास में और अगर महत्वपूर्ण चीनी क्रांति, जो किसानी पर ही आधारित थी, को छोड़ दिया जाए तो दुनिया में भी, अपने दायरे में अब तक का सबसे बड़ा, सबसे लंबा और सबसे ताकतवर देशव्यापी किसान संघर्ष रहा है। इस संघर्ष की अनेक महत्वपूर्ण विशेषताएं रही हैं।

नौ महत्वपूर्ण विशेषताएं

इसकी पहली विशेषता यह रही कि इसका नेतृत्व देश के 500 से ज्यादा किसान संगठन कर रहे थे, जो संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) के मंच के तहत एकजुट हुए थे। इस संघर्ष में खेतमजदूरों से लेकर गरीब किसानों, मध्यम दर्जे के किसानों और कुछ हद तक अमीर किसानों तक, किसान जनता के व्यापक तबके देश भर में और खासतौर से दिल्ली के बॉर्डरों पर एकजुट हुए।

दूसरी विशेषता यह रही कि मजदूर–किसान एकता की भावना के साथ ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मंच ने पूरे संघर्ष के दौरान इसे अपना पूर्ण समर्थन दिया। वास्तव में, यह संघर्ष 26 नवंबर 2020 को किसानों के 'दिल्ली चलो' के आह्वान और उसी दिन हुयी मजदूर वर्ग की अखिल भारतीय हड़ताल के साथ शुरू ही, एक संयुक्त संघर्ष के रूप में हुआ था। पिछले एक वर्ष की अवधि के दौरान दिल्ली के किसानों के संघर्ष के साथ एकजुटता दिखाते हुए, देश भर में लाखों की तादाद में किसान तथा मजदूर सडक़ों पर उतरे।

इस संघर्ष की तीसरी विशेषता आंसू गैस के गोलों, पानी की बौछारों, राजमार्गों को खोद देने, भारी बैरिकेड लगाने, लाठी चार्जों, अंधाधुंध गिरफ्तारियों, झूठे पुलिस मुकदमों और यहां तक कि भाजपा के एक केंद्रीय मंत्री की कारों से किसानों को कुचल डालने के रूप में सामने आए, भाजपाई सरकारों के भारी दमन से संबंधित रही। लेकिन यह शानदार संघर्ष इस सबसे रूका नहीं, थमा नहीं और विजयी होकर निकला। एक साल तक चली इस लड़ाई में 715 किसान शहीद हुए। इनमें महिलाएं, पुरूष, बुजुर्ग और युवा सब

शामिल हैं।

चौथी विशेषता यह रही कि भाजपा–आरएसएस की ओर से इसे निरंतर बदनाम किया गया और हास्यास्पद रूप से उस पर यह आरोप लगाया गया कि यह खालिस्तानियों, नक्सलवादियों तथा माओवादियों द्वारा भडक़ाया गया है और यहां तक कहा गया कि यह पाकिस्तान तथा चीन के इशारे पर चल रहा है।

जैसी कि अपेक्षा थी, कार्पोरेट की मिल्कियतवाले 'गोदी' मीडिया के कुछ हिस्सों ने तो इन तमाम आरोपों को कलंक की तरह इस्तेमाल किया और इस तरह अपने को शर्मिंदा होने से बचाने की कोशिश की। लेकिन किसानों के संघर्ष ने सारे कुत्सा प्रचार का मुकाबला किया और बहादुरी के साथ मैदान में डटा रहा।

पांचवीं विशेषता यह रही कि इस संघर्ष ने हाल के वक्त में आयी सबसे बदतरीन स्वास्थ्य आपदा अर्थात घातक कोविड महामारी का मुकाबला किया। इस महामारी को बहाना बनाकर ही इससे पहले वर्ष 2019–20 में सीएए–एन आरसी–एनपीआर के खिलाफ चले बड़े जबर्दस्त जन संघर्ष को इस सरकार ने कुचल दिया था। किसानों का यह संघर्ष इस महामारी के दौरान ही शुरू हुआ और इसकी विनाशकारी दूसरी लहर के दौरान भी, बहादुरी के साथ जारी रहा। सरकार ने जानबूझकर महामारी के दौरान ही इन कृषि कानूनों को पास कराया था। क्योंकि उसे यह लगा था कि कोई प्रतिरोध संभव ही नहीं होगा। किसानों ने सरकार के इस भ्रम की धज्जियां उड़ाकर रख दीं।

इस संघर्ष की छठी विशेषता यह रही कि 380 दिनों तक लाखों किसानों द्वारा दिन–रात दिल्ली को घेरे रहने के बावजूद, यह संघर्ष पूरी तरह शांतिपूर्ण तथा लोकतांत्रिक बना रहा। उसने गत 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर विशाल ट्रैक्टर रैलियों के आयोजन के वक्त भाजपा की केंद्र सरकार, उसकी पुलिस और उसके भडक़ाऊ एजेंटों द्वारा रची गयी हिंसा की आपराधिक साजिश को मात दे कर, जीत हासिल की।

सातवीं विशेषता यह रही कि यह संघर्ष पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष रहा। पूरे देश में किसानों का यह संघर्ष धर्म, जाति, क्षेत्र तथा भाषा की सीमाओं से ऊपर रहा। इसमें पुरूष, महिलाएं, युवा और वृद्ध, सब शामिल थे। इस आंदोलन में महिलाओं और युवाओं की मौजूदगी सचमुच शानदार रही। उसका यह धर्मनिरपेक्ष तथा सर्वसमावेशी चरित्र ही था जिसने सरकार के लिए इसे कुचलना असंभव बना दिया।

इस संघर्ष की आठवीं विशेषता यह रही कि केरल, तमिलनाडु तथा पश्चिम बंगाल के राज्य विधानसभा चुनावों में और पंजाब तथा उत्तर प्रदेश में स्थानीय निकायों के चुनावों में और हिमाचल प्रदेश, हरियाणा तथा राजस्थान में हाल ही में संपन्न हुए उप–चुनावों में, भाजपा की राजनीतिक हार के बाद पंजाब, उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड में होने जा रहे राज्य विधानसभा के चुनावों के मद्देनजर, इसने भाजपा–आरएसएस निजाम को बचाव की मुद्रा में ला दिया था। एसकेएम ने मुजफ्फरनगर में 10 लाख लोगों की ऐतिहासिक रैली के आयोजन के साथ, मिशन उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड शुरू कर दिया था।

इस संघर्ष की नौंवी तथा सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह रही कि इसने भाजपा–आरएसएस के नेतृत्ववाली केंद्र सरकार और भारतीय तथा विदेशी कार्पोरेट लॉबी, अंबानी तथा अडानी जिसका प्रतीक बन गए थे, के बीच की कार्पोरेट सांप्रदायिकता की भ्रष्ट धुरी को सीधे–सीधे चिन्हित किया और उस पर हमला बोला। अपनी तीन प्रमुख मांगों के जरिए किसानों के इस ऐतिहासिक वर्ग संघर्ष ने, वास्तव में सीधे नव–उदारवादी नीतियों और खुद साम्राज्यवाद पर ही हमला बोला था।

नव–उदारवादी नीतियों का क्रूर हमला

इस किसान संघर्ष की तीन प्रमुख मांगें थी। इनमें एक मांग थी उन तीन किसानविरोधी, मजदूरविरोधी तथा कार्पोरेटपरस्त कृषि कानूनों को निरस्त करना, जिन्हें सितंबर 2020 में संसद से पारित कराया गया था।

दूसरी मांग थी उत्पादन लागत की डेढ़ गुना कीमत पर फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) तथा उनकी खरीद सुनिश्चित करने के लिए एक केंद्रीय कानून बनाया जाए। उत्पादन लागत की डेढ़ गुना कीमत पर एमएसपी तय करने की सिफारिश डा0 एम एस स्वामीनाथन की अध्यक्षतावाले किसानों से संबंधित राष्ट्रीय आयोग ने की थी।

तीसरी मांग थी बिजली संशोधन विधेयक को वापस लेना। यह विधेयक बिजली का निजीकरण करने और बिजली की दरों में भारी बढ़ोतरी करने के लिए लाया जा रहा था।

अगर हम वर्ष 2015 की शांताकुमार कमेटी की सिफारिशों के बाद से मोदी सरकार की नीतियों की दिशा को देखें तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि ये तीन कृषि कानून, एमएसपी की

व्यवस्था को, सरकारी खरीद को और एफ सीआइ के गोदामों में खाद्यान्न के भंडारण को और फिर पूरी सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) को ही, जो हमारे 81 करोड़ गरीब ग्रामीण तथा शहरी नागरिकों की जरूरतें पूरी करती है, धीरे–धीरे खत्म करने के लिए जरूरी थे।

अंततः यह एक ऐसा रास्ता था जिसके जरिए बदहाली की शिकार किसानी पर हमला होता और किसानों की जमीनें हड़प ली जातीं। वर्ष 2015 के भूमि अधिग्रहण संशोधन अध्यादेश के जरिए मोदी निजाम द्वारा इस दिशा में पहले ही कोशिश की जा चुकी थी। लेकिन उसे मात दे दी गयी थी। बहरहाल, भाजपा की अनेक सरकारें अपनी राज्य विधानसभाओं के जरिए, इन्हीं संशोधनों को थोप रही हैं।

और अब तो पूरे कृषि क्षेत्र को ही घरेलू तथा विदेशी कार्पोरेट लॉबी के हवाले करने की कोशिश थी ताकि वह अपने सुपर मुनाफे बटोर सके और अपनी दौलत बढ़ा सके। श्रम संहिताओं को कानूनी जामा पहनाने के जरिए, इसी तरह के हमले मजदूर वर्ग के खिलाफ किए जा रहे हैं। और अब सार्वजनिक क्षेत्र के अंधाधुंध निजीकरण की अपनी देशविरोधी नीति और नेशनल मोनिटाइजेशन पाइपलाइन के जरिए, भाजपा निजाम ने पूरे देश को ही बिक्री के लिए पेश कर दिया है।

अपने श्रम के जरिए देश के लिए दौलत पैदा करनेवाले वर्गों–मजदूरों तथा किसानों– पर ही विषैला हमला बोला जा रहा है। कार्पोरेट सांप्रदायिकता का असली अर्थ यही है, जिसके मुख्य प्रतीक आज नरेंद्र मोदी, अमित शाह, मुकेश अंबानी तथा गौतम अडानी हैं। इसी संभावित तबाही के खिलाफ किसान संघर्ष पिछले एक वर्ष से एक समझौताहीन लड़ाई लड़ रहा था।

हमारे देश में 1991 में कांग्रेस की केंद्र सरकार ने नव–उदारवादी नीतियों की शुरूआत की थी, जिन्हें एक के बाद एक सत्ता में आनेवाली सभी केंद्र सरकारों ने आगे बढ़ाया और मोदी के नेतृत्ववाले मौजूदा भाजपा निजाम ने जिसे बेहिसाब रूप से तेज कर दिया।

पिछले 30 वर्षों से चल रही इन नव–उदारवादी नीतियों के चलते, भारत में कृषि संकट ने बेहद गंभीर आयाम अख्तियार कर लिए हैं।

केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो (एनसीआरबी) के आंकड़ों के अनुसार भारत में करीब चार लाख किसान, वर्ष 1995 से 2020 तक के 25 वर्षों में ऋणग्रस्तता के चलते आत्महत्या करने को मजबूर हुए हैं। हमारे देश में हर वर्ष गरीब आदिवासी, दलित तथा पिछड़े वर्गों के परिवारों के लाखों बच्चे भुखमरी के चलते मौत में मुंह में समा जाते हैं।

किसानों के संघर्ष के हाल के मील के पत्थर

किसान संघर्ष ने इस बात पर जोर दिया कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा की केंद्र सरकार कृषि, उद्योग तथा अन्य क्षेत्रों में नव–उदारवादी नीतियों को तेज करने के मामले में सबसे बड़ी अपराधी है। भाजपा के नेतृत्ववाली राज्य सरकारें उसी का अनुसरण करती हैं।

लेकिन पिछले सात वर्षों में यह भी देखने में आया है कि मोदी सरकार द्वारा उनके जीवनयापन पर किए जा रहे नव–उदारवादी हमले के खिलाफ धीरे–धीरे किसानों का प्रतिरोध भी मजबूत होता रहा है। जैसे–जैसे कृषिगत बदहाली तेज हुयी है, वैसे–वैसे किसानों और खेतमजदूरों ने इसके खिलाफ अपनी आवाजें उठायी हैं। वर्ष 2014 में मोदी निजाम के सत्ता में आने के बाद के वर्षों में किसानों के प्रमुख विरोध प्रदर्शनों पर आइए एक नजर डालते हैं:

0 अखिल भारतीय किसान सभा (ए आइ के एस) की पहल पर बने किसानों के एक संयुक्त मंच–भूमि अधिकार आंदोलन (बी ए ए) के नेतृत्व में वर्ष 2015 में भूमि अधिग्रहण संशोधन अध्यादेश के खिलाफ किसानों का देशव्यापी आंदोलन चला जिसने अंततः मोदी निजाम को अध्यादेश वापस लेने के लिए मजबूर कर दिया। नयी–नयी सत्ता में आयी भाजपा की सरकार को इस देश के किसानों के हाथों पहली बार हार का सामना करना पड़ा था।

0 नोटबंदी के भयावह हमले के बावजूद अखिल भारतीय किसान सभा ने चार देशव्यापी जत्थों का आयोजन किया, जिसके बाद नवंबर 2016 में दिल्ली में संसद के समक्ष दसियों हजार किसानों ने विशाल रैली का आयोजन किया।

0 अखिल भारतीय किसान सभा के नेतृत्व में वर्ष 2017–18 में राजस्थान में ऋण माफी तथा एम एस पी के लिए किसान संघर्ष चला, जिसे जीत हासिल हुयी और किसानों को एक अच्छा ऋण माफी पैकेज मिला और उनकी कई दूसरी महत्वपूर्ण मांगें भी मानी गयी।

0 वर्ष 2017 में 1 से 11 जून तक महाराष्ट्र में किसानों की 11 दिवसीय एकजुट हड़ताल हुयी और फिर अखिल भारतीय किसान सभा के नेतृत्व में वर्ष 2018 में 6 से 12 मार्च तक किसानों का सुप्रसिद्ध लॉन्ग मार्च आयोजित किया। इन दोनों ही संघर्षों में किसानों की जीत हुयी और भाजपा की राज्य सरकार से वे एक अच्छा–खासा ऋणमाफी पैकेज हासिल करने में सफल रहे और वनाधिकार कानून (एफ आर ए) के क्रियान्वयन में भी प्रगति हुयी तथा बुढ़ापा पेंशनें बढ़ीं।

0 मंदसौर में मध्यप्रदेश की भाजपा सरकार की बर्बर पुलिस गोलीबारी, जिसमें छः किसान शहीद हो गए थे, के बाद जून 2017 में अखिल भारतीय किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी (ए आइ के एस सी सी) का गठन हुआ। अखिल भारतीय किसान सभा इसका एक प्रमुख घटक थी।

0 नवंबर 2017 में ए आइ के एस सी सी ने दिल्ली में किसान मुक्ति संसद तथा महिला किसान संसद का शानदार आयोजन किया, जिनमें देशभर के हजारों किसानों ने भाग लिया।

0 ए आइ के एस सी सी ने व्यापक देशव्यापी विचार–विमर्श के बाद दो मुख्य कृषि विधेयक तैयार किए और अगस्त 2018 में उन्हें संसद में पेश किया, जिनमें से एक विधेयक ऋणग्रस्तता से मुक्ति से संबंधित था और दूसरा विधेयक गारंटीशुदा लाभकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य से संबंधित था।

0 सीटू, अखिल भारतीय किसान सभा तथा अखिल भारतीय खेतमजदूर यूनियन के नेतृत्व में 9 अगस्त 2018 को देशव्यापी जेल भरो आंदोलन चलाया गया, जिसमें 10 लाख लोगों ने भाग लिया और 5 सितंबर 2018 को नयी दिल्ली में मजदूर–किसान रैली का आयोजन किया, जिसमें दो लाख लोगों ने भाग लिया।

0 ए आइ के एस सी सी ने 29–30 नवंबर 2018 को दिल्ली में किसान मुक्ति मार्च का आयोजन किया, जिसमें एक लाख लोगों ने भाग लिया।

इसलिए मौजूदा देशव्यापी किसान संघर्ष सिर्फ स्वतःस्फूर्त नहीं था और वास्तव में तो यह इन पूर्ववर्ती विशाल किसान संघर्षों तथा अभियानों का चरमोत्कर्ष ही था।

इन वर्षों में उत्पादन लागत की डेढ़ गुना (सी2+50 फीसद) लाभकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य की स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश का क्रियान्वयन तथा किसानों की पूर्ण कर्जा माफी किसान जनता की दो प्रमुख मांगें बन गयी हैं। मनरेगा के तहत काम के दिनों की संख्या बढ़ाकर 200 करने और दिहाड़ी बढ़ाकर 600 रु0 करने और इस योजना को शहरी क्षेत्रों तक बढ़ाने की मांग भी, महत्वपूर्ण मांग बन गयी है।

ए आइ के एस सी सी के नेतृत्व में नवंबर 2018 में आयोजित किसान मुक्ति मार्च ने भारत के किसानों तथा खेतमजदूरों की मांगों को लेकर एक 19 सूत्री सर्वसमावेशी मांग पत्र स्वीकार किया था, जो इन तीन बुनियादी मांगों से आगे जाता है। अखिल भारतीय किसान सभा ने इस मांग पत्र को सूत्रबद्ध करने में निर्णायक भूमिका अदा की थी।

मोदी सरकार द्वारा पहले 5 जून 2020 को एक अध्यादेश के रूप में इन तीन घृणित कृषि कानून को लाया गया था, जिसके बाद ए आइ के एस सी सी ने देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों के आयोजन का आह्वान किया था। पंजाब के अनेक दूसरे किसान संगठनों ने भी संघर्ष शुरू कर दिया था, जिन्होंने बाद में 32 किसान संगठनों के एक मोर्चे का गठन किया था, जिनमें अखिल भारतीय किसान सभा भी शामिल थी। पंजाब के एक बड़े किसान संगठन बी के यू (एकता उग्राहां) ने इन 32 संगठनों का हिस्सा न बनने का निर्णय लिया था और इन्हीं मुद्दों को लेकर उसने स्वतंत्र संघर्ष शुरू

कर दिया था। लेकिन बाद में वह एसकेएम में शामिल हो गया।

जब सितंबर 2020 में मोदी निजाम ने संसदीय जनतंत्र की हत्या करने के जरिए और संघीय सिद्धांत पर हमला करते हुए संसद के जरिए इन तीन कृषि कानूनों को पारित कराया (जिसके बाद अगले ही हफ्ते संसद के जरिए ही उसने चार श्रम संहिताओं को भी पारित कराया), तो ए आइ के एस सी सी ने 25 सितंबर को देशव्यापी कार्रवाइयां आयोजित करने का आह्वान किया था और 26 नवंबर को 'दिल्ली चलोज्ञ का आह्वान किया था।

अक्टूबर 2020 में ए आइ के एस सी सी ने पंजाब, हरियाणा तथा दूसरे राज्यों के उन अन्य अनेक किसान संगठनों को, जो उसके दायरे से बाहर थे, दिल्ली में एक संयुक्त बैठक के लिए आमंत्रित किया। यही वह बैठक थी जिसमें संयुक्त किसान मोर्चा (एस के एम) का जन्म हुआ और उसने 26 नंवबर 2020 से एकजुट होकर किसान संघर्ष की अगुवाई की। जल्द ही उत्तर प्रदेश में बी के यू (टिकैत) जैसे संगठन भी इस संघर्ष में शामिल हो गए।

विचारधारात्मक रूप से एस के एम में वामपंथी, दक्षिणपंथी तथा मध्य–मार्गी संगठन शामिल हैं। लेकिन वास्तव में यह एक स्वागतयोग्य घटनाविकास है कि वे एक मुद्दा आधारित संघर्ष के गिर्द एकजुट हुए।

पिछले 12 महीनों के दौरान हजारों–हजार किसान देश की राजधानी के सिंघू, टीकरी, गाजीपुर, शाहजहांपुर, पलवल तथा मेवात जैसे बॉर्डरों पर घेरा डाले बैठे रहे। उन्होंने अगर कडक़ड़ाती ठंड झेली तो चिलचिलाती धूप भी सही और बारिश का भी सामना किया। यही है वह संघर्ष जो अब आंशिक जीत के साथ संपन्न हुआ है।

किसानों के संघर्ष में अखिल भारतीय किसान सभा की भूमिका

अखिल भारतीय किसान सभा (एआइकेएस), एआइकेएससीसी तथा एसकेएम के गठन समय से ही उनका एक महत्वपूर्ण घटक रही है। अपनी इस हैसियत में उसने हाल ही में संपन्न हुए किसान संघर्ष के सामूहिक निर्णयों तथा उनके क्रियान्वयन में प्रमुख भूमिका अदा की। जब भी कुछ विवादास्पद मुद्दे उठे, एसकेएम की एकता को मजबूत बनाने के लिए अखिल भारतीय किसान सभा ने हमेशा ही उन पर एक सिद्धांतनिष्ठ रुख अपनाया। दूसरे संगठनों ने भी आमतौर पर इसकी सराहना की।

एसकेएम के भीतर, अखिल भारतीय किसान सभा ने, मजदूर–किसान एकता को और जनता के दूसरे तबकों के साथ किसानों की एकता को मजबूत करने की पहल की। इसके परिणामस्वरूप एसकेएम ने चार श्रम संहिताओं को निरस्त करने और सार्वजनिक क्षेत्र के निजीकरण की मुहिम को बंद करने की केंद्रीय ट्रेड यूनियनों (सीटीयूज) की मांग का सार्वजनिक रूप से समर्थन किया।

देशव्यापी कार्रवाइयों में समन्वय स्थापित करने के लिए एसकेएम तथा सीटीयूज की संयुक्त बैठकें हुयीं। अगस्त 2021 में सिंघू बॉर्डर पर हुयी एसकेएम की राष्ट्रीय कन्वेंशन में ट्रेड यूनियनों और खेतमजदूरों, दलितों, आदिवासियों, महिलाओं, युवाओं तथा छात्र के संगठनों के नेताओं को आमंत्रित किया गया और उनकी मांगों के समर्थन में प्रस्ताव पारित किए गए। इस एकजुट रुख ने 27 सितंबर के भारत बंद को अभूतपूर्व रूप से सफल बनाने में मदद की।

एसकेएम के संयुक्त देशव्यापी आह्वानों में पूरी दृढ़ता से सक्रिय रूप से भाग लेते हुए, अखिल भारतीय किसान सभा ने कुछ स्वतंत्र कार्रवाइयों का भी आयोजन किया। इनमें सबसे ज्यादा प्रभावशाली कार्रवाई रही 9 अगस्त 2021 को 'भारत छोड़ो दिवसज्ञ की वर्षगांठ पर सीटू–अखिल भारतीय किसान सभा तथा अखिल भारतीय खेतमजदूर यूनियन के आह्वान पर आयोजित देशव्यापी संघर्ष की कार्रवाई। इस 'भारत बचाओ दिवसज्ञ पर देश भर में दसियों हजार लोगों को लामबंद किया गया।

ऐसी ही एक दूसरी कार्रवाई थी अखिल भारतीय किसान सभा और उसके बिरादराना संगठनों की पंजाब, हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश में सप्ताह भर तक आयोजित पदयात्राएं, जो 23 मार्च को शहीदी दिवस पर दिल्ली के बॉर्डरों पर अपने उत्कर्ष पर पंहुची। इस वर्ष भर के दौरान अखिल भारतीय किसान सभा ने ऐसी ही अनेक स्वतंत्र कार्रवाइयों का अनेक राज्यों में आयोजन किया।

अखिल भारतीय किसान सभा, देश का अकेला ऐसा किसान संगठन था जिसकी दिल्ली के सभी छः बॉर्डरों पर अच्छी–खासी मौजूदगी रही। अखिल भारतीय किसान सभा की लामबंदियां मुख्यतः पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा मध्यप्रदेश जैसे अग्रिम पंक्ति के राज्यों से रहीं।

दूसरे अनेक राज्यों में भी अखिल भारतीय किसान सभा

ने कई दिन तक दिल्ली के सभी बॉर्डरों पर अपने जत्थे भेजने की अगुवाई की। इनमें महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, बिहार, पश्चिम बंगाल, गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, असम, ओडिशा, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू–कश्मीर शामिल थे।

इसके अलावा पिछले एक वर्ष के दौरान एसकेएम के सभी आह्वानों को उन सभी 23 राज्यों, जहां अखिल भारतीय किसान सभा की इकाइयां काम कर रही हैं, में दसियों हजार की कुल लामबंदियों के साथ समुचित ढ़ंग से क्रियान्वित किया गया, जिनके चलते एसकेएम के सभी घटकों में वह अग्रिम पंक्ति में आ गयी।

एसकेएम / एआइकेएससीसी के झंडे तले अखिल भारतीय किसान सभा की अच्छी–खासी लामबंदियायों के साथ या स्वतंत्र ढ़ंग से, अखिल भारतीय किसान सभा के झंडे तले कोलकाता, मुंबई, अगरतला, पटना, दरभंगा, समस्तीपुर, बंगलूरु, बेलगावी, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, ओंगोले, चेन्नै, तंजावूर, कन्याकुमारी, थिरूवरूर, भुवनेश्वर, रांची, तिरुअनंतपुरम तथा केरल के तमाम दूसरे जिला केंद्रों और हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्यप्रदेश तथा उत्तराखंड जैसे अग्रिम पंक्ति के राज्यों में, दूसरी सैकड़ों जगहों पर विशाल महापंचायतों का आयोजन किया गया।

एसकेएम की किसान महापंचायतों और खासतौर से मुजफ्फरनगर, लखनऊ और दूसरी जगहों पर आयोजित महापंचायतों में, अखिल भारतीय किसान सभा की भागीदारी शानदार रही।

इस संघर्ष के दौरान अग्रिम पंक्ति के राज्यों और दूसरे तमाम राज्यों में अखिल भारतीय किसान सभा ने शानदार तथा सराहनीय कार्य किया। वास्तव में देश भर में अखिल भारतीय किसान सभा के कार्यकर्ताओं ने 23 अप्रैल 2020 से अर्थात जब 24 मार्च 2020 को घोषित पहले लॉकडाउन के महीने भर के भीतर ही, जन–कार्रवाई का आह्वान कर दिया गया था और वे निरंतर सडक़ों पर रहे।

26 नवंबर, 2020 को अखिल भारतीय किसान संघर्ष शुरू होने के बाद अखिल भारतीय किसान सभा की गतिविधियों का स्तर बेहद बढ़ गया। स्थानीय मुद्दों पर संघर्ष चलाए गए और उन्हें राष्ट्रीय मुद्दों से जोड़ा गया।

कोविड महामारी के दौरान गंभीर मुश्किलात के बावजूद अखिल भारतीय किसान सभा की सदस्यता में भी थोड़ी बढ़ोतरी हुयी। वर्ष 2019–20 में जहां यह 1,17,32,759 थी, वहीं वर्ष 2020–21 में यह बढक़र 1,17,41,513 हो गयी।

इस संघर्ष के दौरान अखिल भारतीय किसान सभा केंद्र ने, हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में अपने पैंफलेटों की हजारों प्रतियां प्रकाशित की। इन्हें दूसरी राष्ट्रीय भाषाओं में भी प्रकाशित किया गया।

अखिल भारतीय किसान सभा की पत्रिकाएं–(हिंदी में) 'किसान संघर्ष' और (अंग्रेजी में) 'पीजेंट्स स्ट्रगल' और साथ ही साथ राज्यों से प्रकाशित होनेवाली अनेक पत्रिकाओं को भी, समय–समय पर प्रकाशित किया जाता रहा और उनकी अच्छी–खासी बिक्री भी हुयी।

लाखों की तादाद में अखिल भारतीय किसान सभा के झंडे तथा बैज भी बनवाए गए थे और उनका बड़ा अच्छा प्रभाव भी रहा।

गर्मी, सर्दी और बरसात की परवाह न करते हुए, दिल्ली के बॉर्डरों पर जमे रहे और अग्रिम पंक्ति के राज्यों में सक्रिय रहे अखिल भारतीय किसान सभा के नेताओं में पंजाब के मेजर सिंह पुन्नेवाल, धर्मपाल सिंह सील, बलजीत सिंह ग्रेवाल तथा बलदेव सिंह लाटला, हरियाणा के इंद्रजीत सिंह, सुरेंद्र सिंह, फूल सिंह श्योकंद, सुमित दलाल, वीरेंद्र सिंह मलिक तथा श्रद्धानंद सोलंकी, उत्तर प्रदेश के डी पी सिंह, चंद्रपाल सिंह, मुकुट सिंह, भरत सिंह तथा दिगंबर सिंह, राजस्थान के अमरा राम, पेमा राम, छगल लाल चौधरी, संजय माधव तथा पवन दुग्गल, मध्यप्रदेश के बादल सरोज, जसंविंदर सिंह, अशोक तिवारी, रामनारायण कुररिया, अखिलेश यादव तथा नीना शर्मा, प्रमुख रूप से शामिल थे।

अग्रिम पंक्ति के राज्यों के इन नेताओं के अलावा देश के दूसरे तमाम राज्यों के अखिल भारतीय किसान सभा, सीटू, अखिल भारतीय खेतमजदूर यूनियन, एडवा, डीवाइएफआइ तथा एसएफ आइ के हजारों नेता तथा कार्यकर्ता पिछले एक वर्ष के दौरान इस संघर्ष को अपने–अपने राज्यों में विस्तार देने में जी जान से लगे रहे।

साल भर चले इस संघर्ष के दौरान, अखिल भारतीय किसान सभा के केंद्र में महासचिव हन्नान मौल्ला, अध्यक्ष अशोक ढवले, वित्त सचिव पी कृष्णाप्रसाद तथा सह–सचिव वीजू कृष्णन ने सामूहिक ढ़ंग से काम किया। दूसरे सहसचिवों–एन के शुक्ल, बादल सरोज तथा के के रागेश समय–समय पर केंद में कार्यरत रहे।

इस अवधि के दौरान अखिल भारतीय किसान सभा केंद्र की तथा विस्तारित केंद्र–जिसमें अग्रिम पंक्ति के राज्यों के नेतृत्वकारी साथी शामिल रहे–– की भी नियमित बैठकें होती रहीं। अखिल भारतीय किसान सभा केंद्र के सभी साथी विभिन्न राज्यों में बैठकों में नियमित रूप से शामिल होते रहे और उन्होंने देश भर में आयोजित अनेक विशाल किसान महापंचायतों समेत जन कार्रवाइयों में भाग लिया।

संघर्ष की इस चुनौतीपूर्ण अवधि के दौरान, अखिल भारतीय किसान सभा के केंद्रीय कार्यालय तथा उसके सभी बहुविध कार्यों को सुमित रे तथा नीलू श्रीवास्तव में प्रभावी ढ़ंग से संभाला।

एसकेएम की 9 सदस्यीय समन्वय समिति में हन्नान मौल्ला शामिल थे। लेकिन पिछले कुछ महीनों में हन्नान मौल्ला की जगह अशोक ढवले तथा पी कृष्णाप्रसाद ने एसकेएम की 9 सदस्यीय समन्वय समिति की बैठकों में भाग लिया। स्वास्थ्य संबंधी कारणों के चलते हन्नान मौल्ला इन बैठकों में भाग नहीं ले पा रहे थे।

एसकेएम की जनरल बॉडी मीटिंगों में उपरोक्त तीन साथियों के अलावा इंद्रजीत सिंह, मेजर सिंह पुन्नेवाल, सुमित और समय–समय पर अमरा राम, वीजू कृष्णन और पंजाब तथा हरियाणा के कुछ दूसरे नेता, जिनका ऊपर जिक्र किया गया है, ने भी नियमित रूप से भाग लिया।

हन्नान मौल्ला उस 40 सदस्यीय ग्रुप में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, जिसने 22 जनवरी तक, जब केंद्र सरकार ने बातचीत तोड़ दी थी, केंद्र सरकार के साथ 11 दौर की बातचीत की थी। अशोक ढवले एसकेएम की उस 5 सदस्यीय टीम में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, जिसका गठन केंद्र सरकार के साथ लंबित मुद्दों पर अंतिम समझौते पर वार्ता के लिए किया गया था।

किसान सभा, सीटू तथा खेतमजदूर यूनियन का समन्वय

एक स्वागतयोग्य विशेषता यह रही कि पिछले एक वर्ष में सीटू, अखिल भारतीय खेतमजदूर यूनियन तथा अखिल भारतीय किसान सभा ने, अपनी संयुक्त रणनीति तैयार करने के लिए दिल्ली में नियमित रूप से अनेक संयुक्त बैठकों का आयोजन किया। इन तीन वर्गीय संगठनों ने दो ऑनलाइन देशव्यापी आम सभाओं का भी आयोजन किया जिनमें पहली आम सभा गत 8 मई को दूसरी 24 जून को आयोजित की गयी थी। एक और ऑनलाइन आम सभा 'जनतंत्र बचाओ मंच्य ने 26 जून को आयोजित की थी, जिसे देश के तकरीबन सभी राज्यों के इमरजेंसी के बंदियों ने संबोधित

किया था।

अब सीटू–अखिल भारतीय किसान सभा तथा अखिल भारतीय खेतमजदूर यूनियन के समन्वय की इस प्रक्रिया को, करीब 20 राज्यों में इन तीनों वर्गीय संगठनों के राज्य पदाधिकारियों की संयुक्त बैठकों के साथ व्यवस्थित ढ़ंग से नीचे राज्यों तक ले जाया जा रहा है। इसी के चलते गत 25 अगस्त से 8 अगस्त तक, देशव्यापी अभियान चला था, जो 9 अगस्त 2021 को 'भारत बचाओ दिवस्य पर विशाल संयुक्त जन कार्रवाइयों में अपने उत्कर्ष पंहुचा था। आगामी 19 जनवरी को 'मजदूर–किसान एकता दिवस्य और 28–29 मार्च की अखिल भारतीय आम हड़ताल और ग्रामीण हड़ताल को भी शानदार रूप से सफल बनाया जाएगा।

इस संघर्ष के दौरान अखिल भारतीय किसान सभा के संघर्ष फंड के लिए मजदूर वर्ग, सीटू से संबद्ध अनेक यूनियनों, सार्वजनिक क्षेत्र की अनेक यूनियनों तथा अन्य शुभचिंतकों द्वारा किए गए भारी अंशदान का भी, विशेष रूप से और सराहन करते हुए उल्लेख किया जाना आवश्यक है।

एडवा–डीवाइएफआइ तथा एसएफआइ ने भी आपस में समन्वय स्थापित किया और अखिल भारतीय किसान सभा–सीटू तथा अखिल भारतीय खेतमजदूर यूनियन के साथ भी समन्वय कायम किया गया। दोनों तरह का यह समन्वय केंद्र के स्तर पर भी हुआ और अनेक राज्यों के स्तर पर भी हुआ और इस समन्वय के जरिए, देश भर में साल भर चले इस किसान संघर्ष के दौरान विभिन्न कार्रवाइयों में हजारों–हजार लोगों को लामबंद किया गया।

किसान संघर्ष का वास्तविक महत्व

मोदी के नेतृत्ववाली भाजपा–आरएसएस सरकार की नंगईपूर्ण कार्पोरेटपरस्त नीतियों का लक्ष्य है–'आत्मनिर्भरताय के पाखंडपूर्ण नारे की आड़ में पूरे देश को बेचना। भारत में ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है, जिसे मोदी सरकार ने निजीकरण के लिए और भारतीय तथा विदेशी दोनों ही तरह के कार्पोरेट घरानों को मिट्टी के मोल बेच देने के लिए न चुना हो–फिर चाहे वह रेलवे हो, एयरलाइंस हो, हवाई अड्डे हों, बंदरगाह हों, खदानें हों, इस्पात हो, तेल हो, सिंचाई हो, बिजली हो, टेलीकोम हो, बैंक हों, बीमा हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो या फिर प्रतिरक्षा ही क्यों न हो। और अब कृषि तथा जमीन उनकी हिट लिस्ट पर है। और इसी का किसान संघर्ष के जरिए कड़ा विरोध किया गया। तीन कृषि कानूनों को वापस लेना किसानों की और जनता की एक महत्वपूर्ण जीत है और कार्पोरेट सांप्रदायिकता की ताकतों की अपमानजनक हार है।

बहरहाल, एक लाभकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) तथा खरीददारी की कानूनी गारंटी; कृषि लागतों की बढ़ती कीमतों में भारी कमी; अतिरिक्त आइटमों के साथ सार्वभौम राशन प्रणाली (पीडीएस) की दिशा में व्यापक प्रसार; बिजली संशोधन विधेयक की वापसी; ऋणग्रस्तता से मुक्ति; एक सर्वसमावेशी फसल बीमा योजना; ऋण सुविधा का व्यापक विस्तार; सिंचाई तथा बिजली की सुविधाएं; चार श्रम संहिताओं को निरस्त करने; डीजल, पैट्रोल, रसोई गैस तथा जरूरियात की अन्य चीजों की कीमतें आधी करने; मनरेगा के तहत काम के दिनों की संख्या और मजदूरों की दिहाड़ी को दुगना करने और इस योजना का शहरी क्षेत्रों तक विस्तार करने; नयी शिक्षा नीति को वापस लेने और सबसे महत्वपूर्ण बात मूलगामी भूमि सुधार करने और सार्वजनिक क्षेत्र की केंद्र सरकार की निजीकरण की मुहिम और तथाकथित नेशनल मोनिटाइजेशन पाइपलाइन के जरिए मिट्टी के मोल देश को बेचना बंद करने जैसे मुख्य मुद्दों को दीर्घजीवी तथा विशाल आंदोलनों के जरिए उठाया जाना चाहिए।

इस ऐतिहासिक किसान संघर्ष का वास्तविक महत्व यह है कि यह भाजपा–आरएसएस निजाम की, जिसने हमारे शानदार स्वतंत्रता संघर्ष के दिनों से लेकर हमेशा ही कार्पोरेट, सामंती तथा साम्राज्यवादी लॉबी के जरखरीद एजेंट की तरह काम किया है, विनाशकारी, नव–उदारवादी, कार्पोरेटपरस्त, सांप्रदायिक, तानाशाह, फासीवादी तथा देशद्रोही नीतियों के समक्ष एकजुट, धर्मनिरपेक्ष तथा सर्वसमावेशी बना रहा। लाखों–लाख किसानों द्वारा चलाया गया यह एक देशभक्तिपूर्ण संघर्ष था, जो सिर्फ उनके लिए नहीं था, बल्कि जनता तथा पूरे देश की रक्षा के लिए और हमारी संप्रभुता, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, संघवाद तथा स्वयं हमारे संविधान की रक्षा के लिए भी था।

इस किसान संघर्ष की जीत से जो प्रेरणादायी ताकत मिली है, उसके साथ उपरोक्त मांगों और नीयतों में बदलाव और निजाम में बदलाव के लिए भी जनता का संघर्ष को और ज्यादा ताकत, विश्वास तथा दृढ़निश्चय के साथ आगे बढना चाहिए और वह आगे बढ़ेगा!

एक ऐतिहासिक लड़ाई जीती है, लेकिन युद्ध जीतना अभी बाकी है। हम लड़ेंगे और जीतेंगे! □

ऐतिहासिक किसान संघर्ष की समयरेखा

2020–21 में भारत के ऐतिहासिक किसान आन्दोलन के प्रमुख मील के पत्थर इस प्रकार हैं:–

- 25–26 नवम्बर, 2020 – किसानों का संघर्ष पंजाब और हरियाणा के लाखों किसानों के साथ शुरू होता है, जिन्होंने भाजपा–जजपा हरियाणा राज्य सरकार और साथ ही भाजपा की केन्द्र सरकार द्वारा किये गये भीषण दमन का बहादुरी से सामना किया। रना पड़ता है। 26 नवम्बर चार श्रम संहिताओं के खिलाफ मज़दूर वर्ग द्वारा व्यापक अखिल भारतीय हड़ताल का दिन भी है। इस प्रकार इस संघर्ष की शुरुआत मज़दूर–किसान एकता के महत्वपूर्ण उल्लेख के साथ होती है। 26 नवम्बर संविधान दिवस भी है, जब 1949 में संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को अपनाया गया था।
- 8 दिसम्बर – किसानों के संघर्ष के समर्थन में अभूतपूर्व पहला भारत बंद, अम्बानी और अडाणी के उत्पादों और सेवाओं के बहिष्कार का आह्वान।
- दिसम्बर – पंजाब, हरियाणा और बाद में राजस्थान के कुछ हिस्सों में टोल प्लाजा मुक्त।
- 31 दिसम्बर – केरल राज्य विधानसभा में वाम मोर्चा सरकार ने तीन कृषि कानूनों को निरस्त करने के लिए प्रस्ताव पेश किया। इसे सर्वसम्मति से पारित करने वाली वह भारत की पहली विधानसभा बन गई।
- 12 जनवरी, 2021 – सुप्रीम कोर्ट ने तीन कृषि कानूनों के कार्यान्वयन पर डेढ़ साल के लिए रोक लगाई, लेकिन चार सदस्यीय सरकार समर्थक समिति की नियुक्ति की, जिसमें से एक सदस्य ने तुरन्त इस्तीफा दे दिया; समिति की रिपोर्ट आज तक सार्वजनिक नहीं की गई।
- 18 जनवरी – दिल्ली की सीमाओं पर और पूरे देश में महिला किसान दिवस मनाया गया।
- 22 जनवरी – 11 दौर की वार्ताओं के बाद भाजपा सरकार ने एस0के0एम0 के साथ बातचीत तोड़ी।
- 23–26 जनवरी – भारत भर के विभिन्न राज्यों की राजधानियों में बड़े पैमाने पर किसान महापड़ावों और रैलियों का आयोजन किया गया, जिनमें लाखों किसानों और मज़दूरों को लामबंद किया गया।
- 26 जनवरी – गणतंत्र दिवस पर लाखों किसानों द्वारा विशाल शांतिपूर्ण एक लाख ट्रैक्टर रैली; भाजपा सरकार के चुने हुए उत्तेजक एजेण्टों द्वारा लाल किले की घटना से इसे बाधित किया गया; किसानों के संघर्ष के खिलाफ गोदी मीडिया का तांडव।
- 27–29 जनवरी – दिल्ली की सीमाओं पर किसानों ने राजसत्ता के तीव्र दमन का बहादुरी से मुकाबला किया।
- 29 जनवरी – किसानों के बहादुराना संघर्ष के समर्थन में, विपक्षी दलों के सांसदों ने संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार किया।
- 30 जनवरी – महात्मा गांधी की शहादत वर्षगांठ पूरे देश भर में मनाई गई, जिसमें उनके सत्य और अहिंसा के उन सिद्धान्तों पर ज़ोर दिया गया, जो किसानों के संघर्ष का मार्गदर्शन करते हैं।
- 6 फरवरी – सरकारी दमन के खिलाफ 3000 केन्द्रों देशव्यापी सड़क जाम।
- 18 फरवरी – देश भर के 600 केन्द्रों पर रेल रोको का जुझारू संघर्ष।
- फरवरी से अप्रैल – देश भर में सैकड़ों विशाल किसान–मजदूर महापंचायतें, जो मोदी शासन के खिलाफ लाखों किसानों और मज़दूरों को लामबंद करती हैं।
- 6 मार्च– किसान आन्दोलन के 100 दिन पूरे, के0एम0पी0 हाईवे जाम, समर्थन के लिए देशव्यापी प्रदर्षन।
- 8 मार्च – अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस एकजुटता के तौर पर व्यापक रूप से मनाया गया।
- 17–23 मार्च – ए0आई0के0एस0 और उसके बिरादराना संगठन पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेष में प्रभावशाली पदयात्राओं की श्रृंखला आयोजित करते हैं और उन्हें दिल्ली की सीमाओं पर लाते हैं।

- 23 मार्च – भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के शहादत दिवस को देश भर में युवा किसान दिवस के रूप में मनाया गया।
- 26 मार्च – संघर्ष के चार महीने पूरे होने के अवसर पर, संघर्षरत किसानों के समर्थन में दूसरा भारत बंद।
- 10–11 अप्रैल – के0एम0पी0 राजमार्ग 24 घंटे के लिए अवरुद्ध।
- 14 अप्रैल – 'संविधान बचाओं दिवस' के रूप में डॉ0 बी0आर0 अम्बेडकर की जयंती को पूरे देश भर में मनाया जाता है।
- अप्रैल – कोविड की दूसरी घातक लहर के बावजूद, किसानों ने 'ऑपरेशन शक्ति' के द्वारा से दिल्ली की सीमाओं को साफ करने की सरकार की कोविड सम्बन्धी 'ऑपरेशन क्लीन' योजना को विफल कर दिया
- अप्रैल–मई – दूसरी घातक लहर के दौरान, किसान दिल्ली में संकटग्रस्त कोविड मरीजों की मदद करते हैं।
- 2 मई – केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के राज्य विधानसभा चुनावों में भाजपा और उसके सहयोगियों की करारी हार का जष्न पूरे देश भर में व्यापक रूप से मनाया गया।
- 10 मई – 1857 के भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत मनाई गई।
- 26 मई – किसानों के संघर्ष के छह महीने और मोदी सरकार के सात साल, समूचे देश में मोदी सरकार के पुतले जला कर, काला झण्डा दिवस के रूप में मनाये गये।
- 5 जून – तीन कृषि अध्यादेशों के एक वर्ष पूरे होने पर विरोध प्रदर्शन।
- 6 जून – मध्य प्रदेश की भाजपा राज्य सरकार द्वारा पुलिस फायरिंग में शहीद हुए, 2017 के छह मंदसौर शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए जनसभाएं।
- 9 जून – झारखण्ड के महान आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बिरसा मुण्डा का शहादत दिवस मनाया गया, जिनकी षहादत 1900 में ब्रिटिश जेल में हुई थी।
- 18 जून – झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का शहादत दिवस मनाया गया, जो 1858 में प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान षहीद हुई थीं।
- 26 जून – किसानों के संघर्ष के सात महीने पूरे होने और आपातकाल लागू होने के 46 साल बाद; मोदी शासन के अघोषित आपातकाल से लड़ने का आह्वान पूरे देश में व्यापक रूप से मनाया गया।
- 29 जून – प्रसिद्ध अमेरिकी वामपंथी बुद्धिजीवी नोआम चॉम्स्की भारत में किसानों के संघर्ष का समर्थन करते हैं, इसे ''पूरी दुनिया के लिए अंधेरे समय में प्रकाश की किरण'' कहते हैं।
- 30 जून – अंग्रेजों के खिलाफ 1855 के आदिवासी किसानों के संथाल विद्रोह की वर्षगांठ, 'हुल क्रान्ति दिवस' के रूप में मनाई गई।
- 8 जुलाई – डीज़ल, पेट्रोल और गैस की कीमतों में भारी वृद्धि के खिलाफ राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन
- जुलाई 17 – संसद सत्र में किसानों के पक्ष में लड़ने के लिए सांसदों को जनता के व्हिप जारी किये गये।
- 22 जुलाई से 9 अगस्त – संसद के मानसून सत्र के दौरान प्रतिदिन सैकड़ों किसानों द्वारा जंतर–मंतर पर किसान संसद का आयोजन; 26 जुलाई और 9 अगस्त को महिला किसानों का मार्च; किसान संसद ने किसानों के मुद्दों पर कई प्रस्तावों को पारित किया और अंततः मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित किया।
- 26 जुलाई – लखनऊ में एस0के0एम0 की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उत्तर प्रदेष और उत्तराखण्ड में भाजपा सरकारों को हराने के लिए 'मिशन उत्तर प्रदेश' और 'मिशन उत्तराखण्ड' घोषित।
- 9 अगस्त – ए0आई0के0एस0, सीटू, ए0आई0ए0डब्लू0यू0, एडवा, डी0वाई0एफ0आई0, एस0एफ0आई0 के नेतृत्व में भारत में लाखों किसान, मज़दूर और अन्य तबके 'भारत बचाओ दिवस' मनाने के लिए सड़कों पर उतरे।
- 15 अगस्त – स्वतंत्रता दिवस को 'किसान–मजदूर आज़ादी संग्राम दिवस' के रूप में मनाने के लिए देष भर में लाखों लोग तिरंगा रैलियों में शामिल हुए।
- 20 अगस्त – भारत के 19 विपक्षी दलों ने किसानों और

मज़दूरों के संघर्ष की प्रमुख मांगों का समर्थन करते हुए 11 ज्वलंत मांगों पर एक संयुक्त बयान जारी किया।

- 24 अगस्त – पंजाब के गन्ना किसानों द्वारा रेल रोको और रास्ता रोको के पांच दिन बाद, 50 रुपये की बढ़ोतरी के साथ 360 रुपये प्रति क्विण्टल गन्ने के मूल्य के रूप में जीत हासिल हुई।

- 26–27 अगस्त – सिंघू बॉर्डर पर एस0के0एम0 की राष्ट्रीय कन्वेंषन में 2000 से अधिक लोगों की लामबंदी हुई, जिसमें ट्रेड यूनियनों, खेत मज़दूरों, दलितों, आदिवासियों, महिलाओं, युवाओं और छात्रों के राष्ट्रीय नेता भी शामिल हैं; 27 सितम्बर को भारत बंद का आह्वान।

- 28 अगस्त – हरियाणा में भाजपा–जजपा शासन की पुलिस द्वारा करनाल में क्रूर दमन, एक शहीद; दमन के खिलाफ एस0के0एम0 का तीखा संघर्ष शुरू हुआ।

- 5 सितम्बर – धर्म, जाति, राज्य और भाषा से परे यू0पी0 के मुजफ्फरनगर में 10 लाख की भागीदारी वाली ऐतिहासिक किसान मजदूर महापंचायत। मिशन उत्तर प्रदेश का प्रारम्भ।

- 7–11 सितम्बर – दमन के खिलाफ हरियाणा में करनाल की घेराबंदी जीत की ओर।

- 25 सितम्बर – भाजपा राज्य सरकार के आदेष पर असम के दरांग में दो मुस्लिम किसान, जिनमें से एक 12 साल का लड़का था, की पुलिस फायरिंग में मौत; चौतरफा निंदा।

- 27 सितम्बर – किसान संघर्ष में तीसरे भारत बंद को पूरे देश में करोड़ों किसानों, मज़दूरों और लोगों से अभूतपूर्व समर्थन मिला।

- 28 सितम्बर – पूरे भारत में शहीद भगत सिंह की जयंती व्यापक रूप से मनाई गई।

- 2 अक्टूबर – महात्मा गांधी की जयंती पूरे देश में व्यापक रूप से मनाई गई।

- 3 अक्टूबर – उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में भाजपा के केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी की कारों के काफिले, जिन्हें उनके बेटे आषीष मिश्रा और भाजपा के अन्य गुण्डे चला रहे थे, द्वारा चार किसानों और एक पत्रकार का षर्मनाक नरसंहार।

- 4/5 अक्टूबर – इस नरसंहार के विरोध में एस0के0एम0 का देशव्यापी विरोध का आह्वान।

- 11 अक्टूबर – लखीमपुर खीरी हत्याकाण्ड के विरोध में त्तारूढ़ महा विकास अघाड़ी द्वारा आहूत और सभी वामपंथी तथा भाजपा–विरोधी ताकतों द्वारा समर्थित व्यापक महाराष्ट्र बंद।

- 11 अक्टूबर – जयप्रकाश नारायण की जयंती व्यापक रूप से मनाई गई।

- 12 अक्टूबर – लखीमपुर खीरी में षहीद किसानों के अंतिम अरदास पर विशाल शोक सभा; देश भर में बड़ी विरोध सभाएं और मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि; किसानों की बड़ी लामबंदियों के साथ कई राज्यों में शहीद कलश यात्राएं शुरू।

- 15 अक्टूबर – दशहरा के अवसर पर, लखीमपुर खीरी हत्याकाण्ड के विरोध में और अजय की मिश्रा बर्खास्तगी और गिरफ्तारी की मांग पर पूरे भारत में हजारों स्थानों पर लाखों लोगों द्वारा भाजपा नेताओं –मोदी, शाह, योगी, मिश्रा, तोमर और खट्टर के पुतले जलाए गए।

- 15 अक्टूबर – गुरु ग्रंथ साहिब के कथित अपमान को लेकर सिंघू बॉर्डर पर निहंग सम्प्रदाय के प्रति आस्थर रखने वाले दलित सिंखों द्वारा दलित सिख खेतिहर मजदूर की हत्या की दुर्भाग्यपूर्ण घटना; एस0के0एम0 द्वारा इस घटना की कड़ी निंदा और किसानों के संघर्ष को बदनाम करने के लिए भाजपा की साजिश का आरोप; इस साजिश की पुष्टि चार दिनों के भीतर ही हो जाती है, जब मुख्य धारा के मीडिया में निहंग प्रमुख बाबा अमन सिंह की भाजपा के कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर सहित अन्य दागदार व्यक्तियों के साथ बैठक की एक तस्वीर तथा समाचार प्रकाशित होती है।

- 16 अक्टूबर – विश्व भूख सूचकांक में भारत 107 देशों में 94वें स्थान से खिसककर 116 देशों में 101वें स्थान पर आ गया।

- 18 अक्टूबर – अजय मिश्रा की बर्खास्तगी और गिरफ्तारी की मांग पर देशव्यापी रेल रोको।

- 26 अक्टूबर – 11 माह का किसान संघर्ष, अजय मिश्रा

की बर्खास्तगी और गिरफ्तारी की मांग को लेकर देशव्यापी प्रदर्शन।

- 2 नवम्बर – हिमाचल, हरियाणा और राजस्थान में उपचुनाव में भाजपा की हार।
- 11 नवम्बर – दिल्ली में राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कन्वेंशन ने मोदी शासन की नीतियों के खिलाफ दो दिवसीय अखिल भारतीय आम हड़ताल का आह्वान किया, बाद में 23–24 फरवरी की तारीख तय की गई।
- 15 नवम्बर – आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुण्डा की जयंती मनाई गईं
- 16 नवम्बर – गदर पार्टी के योद्धा करतार सिंह सराभा और विष्णु गणेश पिंगले तथा 1857 के युद्ध की दलित महिला सेनानी वीरांगना उदा देवी पासी का शहादत दिवस मनाया गया।
- 19 नवम्बर – गुरु नानक जयंती के अवसर पर, राष्ट्र के नाम एक सम्बोधन में नरेन्द्र मोदी ने आखिरकार यह घोषणा की कि तीनों घृणित कृषि कानूनों को निरस्त कर दिया जाएगा।
- नवम्बर 19–21 – निरस्त होने की घोषणा पर पूरे देश में किसानों और मज़दूरों द्वारा स्वतःस्फूर्त समारोह।
- 21 नवम्बर – एस0के0एम0 ने लम्बित मांगों को सूचीबद्ध करते हुए प्रधान मंत्री को एक खुला पत्र भेजा।
- 22 नवम्बर – एस0के0एम0 द्वारा यू0पी0 की राजधानी लखनऊ में विशाल महापंचायत का आयोजन।
- 25 नवम्बर – तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में एस0के0एम0 का विषाल महाधरना।
- 26 नवम्बर – किसानों के संघर्ष का एक साल पूरा; दिल्ली की सीमाओं और राज्यों में बड़े पैमाने पर लामबंद किसानों द्वारा जीत का जश्न, लम्बित मांगों पर लड़ने का संकल्प।
- 28 नवम्बर – एस0के0एम0 द्वारा महाराष्ट्र की राजधानी मुम्बई में विशाल महापंचायत का आयोजन।
- 29 नवम्बर – संसद के दोनों सदनों ने तीनों काले कृषि कानूनों को निरस्त किया गया।
- 2 दिसम्बर – तीनों काले कृषि कानूनों को रद्द करने के लिए राष्ट्रपति की सहमति।
- 4 दिसम्बर – केन्द्र सरकार के साथ लम्बित मांगों पर बात–चीत करने के लिए एस0के0एम0 द्वारा 5 सदस्यीय समिति नियुक्त।
- 6 दिसम्बर – डॉ0 बी0आर0 अम्बेडकर की पुण्यतिथि व्यापक रूप से मनाई गई।
- 7 दिसम्बर – एस0के0एम0 की बैठक द्वारा केन्द्र सरकार के पत्र का पहला मसौदा खारिज, महत्वपूर्ण बदलावों पर ज़ोर।
- 8 दिसम्बर – दिल्ली में ए0आई0के0एस0 कार्यालय में एस0के0एम0 की 5 सदस्यीय समिति की बैठक; एस0के0एम0 की बैठक केन्द्र सरकार के पत्र के दूसरे संशोधित मसौदे को स्वीकार कर लेती है, जो एस0के0एम0 द्वारा प्रस्तावित अधिकांश परिवर्तनों को स्वीकार करता है।
- 9 दिसम्बर – केन्द्र सरकार के कृषि सचिव द्वारा अधिकांश मांगों को स्वीकार करते हुए एस0के0एम0 को आधिकारिक पत्र भेजा गया; एस0के0एम0 की विशाल बैठक ने इसे स्वीकार किया, 11 दिसम्बर से संघर्ष को स्थगित करने का आह्वान, जिसे पूरे देश में विजय दिवस के रूप में मनाया जाएगा।
- 11 दिसम्बर – पूरे भारत में बड़े पैमाने पर विजय दिवस मनाया गया; दिल्ली की सभी सीमाओं से दसियों हजार किसान एक साल से अधिक समय के बाद घर लौट रहे हैं।
- हरियाणा में भाजपा–जजपा नेताओं और पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, राजस्थान, मध्य प्रदेश आदि में भाजपा नेताओं का सामाजिक बहिष्कार और उन्हें काले झण्डे दिखाते हुए सैकड़ों शांतिपूर्ण प्रदर्शन पिछले कई महीनों से लगातार जारी हैं।
- अंत में, एक महत्वपूर्ण और स्वागत योग्य विशेषता अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता थी जो इस किसान संघर्ष को दुनिया भर से मिली; ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूरोप के अन्य देशों और अन्य जगहों पर प्रवासी भारतीयों और अन्य नागरिकों द्वारा एकजुटता रैलियां की गईं। उनमें से कई का नेतृत्व वामपंथियों ने किया था। □

किसान आंदोलन और उसका हासिल

– बादल सरोज

साल भर चल कर ऐतिहासिक जीत के साथ एक चरण पूरा कर चुका भारत के किसानो का आंदोलन दुनिया की मेहनतकश जनता के संघर्षों के इतिहास में एक चमकदार अध्याय के रूप में अपनी जगह बना चुका है। यह समय इसके पुनरावलोकन का है, इसके हासिल के जोड़ बाकी का है। इन टिप्पणी में इसके हासिल पर कुछ चर्चा सूत्ररूप में करना उपयोगी होगा।

कोई भी आंदोलन शून्य में पैदा नहीं होता । हर संघर्षअपने समय की आर्थिक–सामाजिक–राजनीतिक परिस्थितियों का नतीजा होते हैं। जनता की तकलीफों, मुश्किलों से उपजे संचित रोष, क्षोभ और असंतोष की अभिव्यक्ति होते हैं। 1857 का भारत का पहला स्वतन्त्रता संग्राम, 1919 में जलियांवाला बाग़ से शुरू हुयी अगले चरण की लड़ाई, नौसैनिकों की बगावत से लेकर 1974–75 में भारत की जनता का लोकतंत्र बचाने का संघर्ष अपने अपने जमाने की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों का नतीजा थे। किसान आंदोलन 2020–21 भी इसी तरह का विक्षोभ था। मोटे तौर पर इसके तीन प्रमुख कारण थे ;

पहला आमतौर से आजादी के बाद और खासतौर से उदारीकरण की नीतियों के बाद से तेजी के साथ विकसित हुआ कृषि संकट। मोदी राज में इसका बढ़ते बढ़ते कृषि संकट (एग्रीकल्चर क्राइसिस) से ऊपर उठकर समूची देहाती आबादी का संकट (एग्रेरियन क्राइसिस) बनते हुए सामाजिक संकट (सोशल क्राइसिस) का रूप धारण कर लेना। (इस बारे में अलग से विस्तार से चर्चा की जरूरत है।)

दूसरा भारत के संबंध में इसकी एक और सांघातिकता थी ; सत्ता पर बैठा कारपोरेट और हिन्दुत्व का गँठजोड़। इस गंठजोड़ के द्वारा जहां एक तरफ कारपोरेट के छप्परफाड़ मुनाफों के पहाड़ खड़े किये जा रहे थे वहीँ दूसरी तरफ इसी के साथ हिन्दुत्व के असली उद्देश्य मनु स्मृति आधारित समाज कायम करने की ओर भी बढ़ा जा रहा था।

तीसरे इसकी फौरी पृष्ठभूमि में सीएए–एनआरसी के खिलाफ देश भर में उगे महिला केंद्रित समावेशों वाले शाहीन बाग थे तो जेएनयू–जामिया–अलीगढ–हैदराबाद की यूनिवर्सिटियों से उठे निडर युवक–युवतियों के तूफ़ान थे जिन्होंने हिन्दुत्वी–कारपोरेट के सबसे भरोसेमंद आधार, महिला, मध्यम वर्ग और युवा को हिलाकर रख दिया था। किसान आंदोलन ने इन जनप्रतिरोधों से निकली ऊष्मा को ऊर्जा, दिशा और आत्मविश्वास तीनो देकर इनको धारदार किया है।

इनके अलावा और भी कुछ कारण गिनाये जा सकते हैं – मगर वे इन्ही दो मुख्य कारणों के सह–उत्पाद हैं इसलिए दोहराव की आवश्यकता नहीं है।

आंदोलन के मौजूदा चरण के विकास की क्रोनोलॉजी

परिस्थितियां अपने आप ही आंदोलन में नहीं बदलतीं, उन्हें आकार देना होता है। यह किसान आंदोलन भी रातों रात विकसित होकर अचानक दिल्ली की बॉर्डर्स पर नहीं

पहुंचा था। इसके पीछे लगातार खेती किसानी के संकट को स्वर देने, उनके कारणों तथा परिणामो के विरुद्ध अभियान चलाकर आम अवाम को शिक्षित करने, संगठित और आंदोलित करने की अखिल भारतीय किसान सभा की श्रमसाध्य कोशिशें थीं।

एआईकेएस द्वारा अपने स्वतंत्र आंदोलनों तथा अभियानों को तेज करने के अलावा बाकी सभी किसान संगठनों को भी एक साझे मंच पर लाने के प्रयास किये जाते रहे। हाल के दौर में जब भारत की खेती–किसानी और देहातों के हर कोने को नवउदारीकरण ने अपनी विनाशलीला का रंगमंच बना दिया है तब यह काम और भी तेजी से किया जाना आवश्यक था। किसान सभा ने इसे सफलता के साथ किया और देश के किसानो की अब तक के इतिहास की व्यापकतम एकता संगठित करने में अपनी भूमिका निबाही। इनमे से कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं ;

किसान सभा पहला संगठन था जिसने कृषि संकट के खिलाफ उसके वैकल्पिक समाधानो को लेकर देश भर में भर में **संघर्ष सन्देश जत्था** निकाला, जिसका समापन 24 नवम्बर 2016 की दिल्ली रैली में हुआ। इसने देश भर के अन्य किसान संगठनों को भी प्रेरित करने का काम किया।

साझे मंच के रूप में सबसे पहले **भूमि अधिकार आंदोलन** अस्तित्व में आया। जो मोदी सरकार द्वारा 2014 में लाये गए भूमि अधिग्रहण क़ानून के विरुध्द सफल संघर्ष का परिणाम था। इसमें 86 संगठन शामिल हैं। इसकी तरफ से दो दो संसद मार्च हुए। इसने पशु व्यापार पर रोक और उसकी आड़ में साम्प्रदायिक तथा जातीय आधार पर अल्पसंख्यकों एवं दलितों पर किये जा रहे हमलों के विरुध्द अनेक आंदोलन चलाये।

6 जून 2017 को मंदसौर (मध्यप्रदेश) में किसानो पर हुए गोलीकांड और 6 किसानो की मौत के बाद फसलों के बाजिब दाम तथा कर्ज मुक्ति का सवाल मुखर होकर सामने आया। इस गोलीकांड के खिलाफ सबसे पहले अखिल भारतीय किसान सभा वहां जाकर हस्तक्षेप किया। सारे प्रतिबंधों को तोड़कर एआईकेएस के महासचिव हन्नान मौल्ला खुद वहां पहुंचे और बाद में इसे देश भर का मुद्दा बनाया। अन्य संगठनो को जोड़ा और इस तरह **अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति** का साझा मंच अस्तित्व में आया जिसमे अब तक 234 संगठन सदस्य बन चुके हैं।

इस संयुक्त मंच **एआईकेएससीसी** की तरफ से फसल के दाम तय करने के लिए स्वामीनाथन आयोग के फार्मूले (लागत+ 50 प्रतिषत) अमल में लाने तथा कर्ज मुक्ति करने की मांग को लेकर अभियान चलाने के बाद 20–21 नवम्बर 2017 में दिल्ली में किसान संसद लगाई गयी और इन दोनों कानूनों का मसविदा अपने सांसदों के माध्यम से संसद के दोनों सदनों में निजी क़ानून के रूप में रखवाया। राज्य सभा में एआईकेएस संयुक्त सचिव के के राजेश ने इसे प्रस्तुत किया। यह एकता और इसके लिए चले अभियान का प्रभाव इतना था कि 21 राजनीतिक पार्टियां दिल्ली में किसान संसद के मंच पर आईं और अपने पूर्ण समर्थन का एलान किया।

इसी बीच **अखिल भारतीय किसान महासंघ** के नाम से एक संयुक्त समन्वय भी विकसित हुआ किसान सभा इसमें भी शामिल हुयी ।

इस एकता को और व्यापक बनानाया गया। अनेक मांगे ऐसी भी हैं जिन्हे बाकी किसान संगठन अपने ख़ास वर्गीय रुख के चलते नहीं उठाते। किसान सभा की पहल पर इन मांगों के लिए एक संयुक्त मंच अलग से बनाया गया है जिसमे **वाम किसान संगठन तथा खेत मजदूर यूनियन** शामिल हैं।

किसान मजदूर मैत्री के काम को आगे बढ़ाने के लिए **किसान सभा, खेत मजदूर यूनियन और सीटू** के साथ समय समय पर संयुक्त कार्यवाहियां की जाती रही हैं। किसान आंदोलन के दौरान इस समन्वय को और अधिक व्यवस्थित रूप दिया गया।

एकता को विस्तारित करने के क्रम में किसान मजदूरों के साथ ही महिला, छात्र, युवा एवं अन्य संगठनो को जोड़कर एक व्यापक समन्वय **जन एकता जन अधिकार आंदोलन** के रूप में गठित किया गया । इसका मकसद नवउदारीकरण तथा साम्प्रदायिकरण के विरुध्द व्यापकतम समुदाय तक जाना है।

इसके अतिरिक्त किसानो के बीच फसल आधारित समन्वय भी विकसित किये गए हैं – जिनके जरिये किसानो के अब तक अछूते रहे हिस्सों तक पहुंचा जा रहा है।

इन राष्ट्रीय स्तर की पहलों के अलावा कर्ज मुक्ति और पशु व्यापार जैसे सवालों पर किसान सभा की अगुआई में हुआ राजस्थान के किसानो का आंदोलन और नाशिक से मुम्बई तक किसानो का पैदल मार्च ऐसी बड़ी कार्यवाहियां

थी जिन्होंने देश भर के किसानो को प्रेरित किया, टीना (अब कोई विकल्प नहीं है) फैक्टर से फैलाई गयी उदासी और निराशा को तोड़ा। अंततः इन सब कार्यवाहियों के जोड़ ने उस वातावरण का निर्माण किया जिसने तीन कृषि कानूनों के खिलाफ इस असाधारण किसान आंदोलन को जन्म दिया।

सार में किसान आंदोलन की विशेषताएं

होने को तो इस किसान आंदोलन की विशेषताएं अनेक हैं। यहां इसकी दो आयामों की कुछ खासियतों के बारे में ही चर्चा संभव है।

पहली है इस लड़ाई का नीतिगत सवालों पर पूरी तरह से स्पष्ट होना। आम किसान से लेकर नेताओं तक हरेक की जुबान पर एक ही बात थी ; खरीद में कारपोरेट, ठेका खेती और जमाखोरी कालाबाजारी वाले तीनो कृषि कानूनों और बिजली संबंधी प्रस्तावित क़ानून की पूरी तरह से वापसी। वे पक्की राय के थे कि ये सिर्फ किसानो का नहीं भारत की जनता का सर्वनाश करने वाले क़ानून हैं। केंद्र सरकार के साथ वार्ताओं के दौरान वे किसी मुगालते में नहीं आये। उनका मानना था कि चूँकि जिंदगी और मौत के बीच कोई बीच का रास्ता नहीं होता इसलिए इनकी वापसी के अलावा कोई बीच का रास्ता नहीं है। इसके साथ उनकी मांग थी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के आधार पर निर्धारित करके और उसे कानूनी दर्जा दिया जाना चाहिए। उससे कम पर खरीदना दंडनीय अपराध बनाना चाहिए । इन मांगो पर उनकी जानकारियां एकदम अपडेटेड थीं जिन्हे वे गजब की सरलता से बताते भी थे। ध्यान देने की बात है कि यह माँगे नहीं हैं – ये नवउदारीकरण के अश्वमेध यज्ञ के घोड़े की नकेल पकड़ उसे पीछे लौटाने जैसी बात है। नीतियों को उलटने और देश की जरूरत के हिसाब से नीतियां बनवाने की बात है।

दूसरी यह कि वे असली गुनहगारों को भी भलीभाँति पहचानते थे इसलिए उनके आंदोलन के निशाने पर सिर्फ नेता नहीं थे । अडानी के शोरूम और अम्बानी के पेट्रोल पम्प और संस्थान भी थे । उन्हें पता था कि राक्षस की जान किस गिद्ध में है। दिल्ली चलो में भी वे कारपोरेट नियंत्रित मोदी के गोदी मीडिया से बात तक नहीं कर रहे थे । उसे अपने घेराव के डेरों में आने नहीं दे रहे थे। हर आव्हान में देश भर में एक डेढ़ लाख से ज्यादा जगहों पर इस तिकड़ी – मोदी, अडानी, अम्बानी – के पुतले फूंके गए। आंदोलन के हर आव्हान का निशाना कारपोरेट रहा। यह हालिया दौर के संघर्षों के हिसाब से बहुत नयी और साहसी बात है।

तीसरी असाधारणता है हुक्मरान भाजपा–आरएसएस जिसे अपना ब्रह्मास्त्र मानती है उस धर्माधारित साम्प्रदायिक विभाजन के मामले में पूरी तरह स्पष्ट होना। छहों सीमाओं पर और उनके समर्थन में देश भर में चलने वाली सभाओं

में तकरीबन हर वक्ता किसानो की मुश्किलों और इन तीन चार कानूनों पर अपनी बात कहने के साथ ही भाजपा और मोदी के विभाजनकारी एजेंडे का पर्दाफ़ाश जरूर करता था । उसे समझने की जरूरत पर जोर देता था और सभी धर्मों को मानने वालों से इस साजिश को समझने की अपील करता था । जिन्होंने पहले कभी इन दुष्टों की संगत की थी वे अब, विशेषकर पश्चिमी उत्तरप्रदेश में बाकायदा माफियां मांगते और भविष्य में ऐसा न करने की कसम खाते घूम रहे थे । सिर्फ कहने में ही नहीं बरतने में भी यही सदभाव और सौहार्द्र नजर आता था । हिन्दू, मुस्लिम, सिख मिलकर लंगर चलाते हुए साफ़ नजर आते थे । इस तरह इस संघर्ष ने बिना किसी सैध्दांतिक सूत्रीकरण में जाए ही साम्प्रदायिकता के जहर के उतार की दवाई भी दी है और बिना किसी अतिरंजना के कहा जा सकता है कि आज के समय में यह एक बड़ी बात है।

जन के विभाजन का एक और रूप जातिगत ऊंच नीच की अब तक साबुत सलामत बजबजाती कीच है। इस आंदोलन ने – कम से कम दिल्ली बॉर्डर्स पर तथा स्थानीय लामबन्दियों में – इसे शिथिल होते हुए देखा है। आंदोलन के नेताओं के भाषणों में यह मुद्दा बना । इस मामले में दिल्ली की सीमाओं पर बसे प्रदेशों के गाँवों की दशा को देखते हुए यह काफी उल्लेखनीय बात है।

चौथी और सबसे नुमाया खूबी है इसकी जबरदस्त चट्टानी एकता। मंदसौर गोलीकाण्ड के बाद लगातार संघर्षरत करीब ढाई सौ संगठनो वाली अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति (एआईकेएससीसी) इसकी धुरी थी । पंजाब, हरियाणा और उत्तरप्रदेश की अलग अलग किसान यूनियने और राष्ट्रीय किसान महासंघ इसके साझे मोर्चे में थीं । अलग अलग विचारधाराओं और नेताओं के अपने अपने आग्रहों के बावजूद इस लड़ाई के मामले में एकजुटता में ज़रा सी भी कसर नहीं थी । यह एकता रातोंरात नहीं बनी। इसके पीछे जहां कृषि संकट की भयावहता और कार्पोरेटी हिन्दुत्व वाली सरकार की निर्लज्ज नीतियों को तेजी से लागू करने की हठधर्मिता से उपजी वस्तुगत (ऑब्जेक्टिव) परिस्थितियाँ थीं तो वहीँ इनके खिलाफ आक्रोश को आकार देने के लिए, सबको जोड़ने की अखिल भारतीय किसान सभा और उसकी ओर से उसके नेतृत्व द्वारा धीरज के साथ की गयी कोशिशें थीं और जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है – नाशिक से मुम्बई तक किसान सभा के पैदल मार्च और राजस्थान के किसान आन्दोलन से बना असर भी था । ऐसी एकता बनाना कम मुश्किल नहीं है मगर उसे चलाना और बनाये रखना और भी कठिन है। किन्तु खासतौर से एआईकेएस की सजग और सक्रिय भूमिका से इस कठिनाई को भी पार कर लिया गया।

यही एकता इस आंदोलन के मंच – संयुक्त किसान मोर्चा – के किये आव्हानो के साथ हो रही लामबंदी के रूप में दिखती थी । मेहनतकश संगठनों की ऊपर कही जा चुकी बात अलग भी रख दें तो हाल के दौर में यह पहला मौक़ा था जब 24 विपक्षी दल इकठ्ठा होकर किसान आंदोलन के समर्थन में भारत बंद के समर्थन में उतरे। उदारीकरण की नीतियों के समर्थक दलों का भी मैदान में उतरना एक अलग ही फिनामिना है। एनडीए में शामिल कई दल भी किसानो के पक्ष में बोलने के लिए मजबूर हुए।

रूप में किसान आंदोलन की विशेषताएं

इसके अलावा इसके रूप की अनेक विशेषताएं रहीं। इनमे कुछ प्रमुख इस प्रकार थी ;

महिलाओं की भागीदारी

भागीदारी का करीब एक तिहाई महिलाओं का होना इस आंदोलन की खासियत थी । वे सिर्फ भीड़ की तादाद नहीं बढ़ा रही – सभाओं में बोलने, नारे लगाने, बीच बीच में जलूस निकालने और अनुशासन बनाये रखने के कामो में भी बढ़चढ़ कर हिस्सेदारी कर रही थीं । यह सिर्फ लैंगिक प्रतिनिधित्व की बात नहीं है – यह आमतौर से किसान का मतलब मर्द किसान समझने की जड़ धारणा पर बड़ा आघात था । वे बॉर्डर्स पर ही नहीं – अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग मोर्चों पर भी अगली कतारों में थी । वे सूचित – इन्फोर्मड – और सजग भागीदार थीं उन्हें पता था कि यह लड़ाई किन मांगों को लेकर है। वे जानती थीं कि इन मांगों को हासिल नहीं किया गया तो आगामी और दूरगामी कल इस देश की दशा क्या होगी। वे किसी की माँ, बहन, पत्नी या बेटी के रूप में नहीं आयी थीं , किसान के रूप में आयी थीं । उनका इस रूप में आना उनके आने को कहीं ज्यादा मानीखेज बना देता है। यह एक ऐसी रासायनिक प्रक्रिया – केमिकल रिएक्शन – को चिंगारी दिखा देना है जिसका असर दूर तक जाना तय है।

युवाओं की मौजूदगी

इसी तरह की एक और विशेषता थी इसमें युवक युवतियों की हिस्सेदारी। इनमे रोजगार न मिलने के चलते

खेती किसानी करने वाले युवाओं से लेकर कालेज, यूनिवर्सिटी और आईआईटीज में पढ़ने वाले विद्यार्थी शामिल थे । पूरी ऊर्जा और नयी नयी पहलों के साथ शिरकत कर रहे थे । लैपटॉप लिए आंदोलन की खबरों को दुनिया भर में फैलाने और मोबाइल पकडे लाइव करते हुए इस की गर्माहट से दूर बैठे इंसानो को गरमाने में जुटे हुए थे । सरकार के भांड मीडिया और चिंदी चोरों की आई टी सैल के झूठ में पलीता लगाकर सच की मशाल सुलगाते हुए। युवतर भागीदारी इस संघर्ष को नया डायनेमिज्म ही नहीं देती, उस भरम को भी तोड़ती है जो युवाओं के भटक जाने की विरुदावली गाते गाते अपना गला बिठा चुका है। इन युवाओं में अच्छा खासा हिस्सा उन शहरियों का भी था जिनकी दो या तीन पीढ़ियों ने खेत सिर्फ फिल्मों में देखे हैं। जिन्हे मेढ़ और बाड़ का फर्क नहीं मालूम – मगर इस आंदोलन ने उन्हें किसानी और खेती का महत्त्व समझा दिया है।

मेहनतकशों की सचमुच की एकता

इस आंदोलन की एक बड़ी और युगांतकारी खासियत थी मेहनकशों की उस विराट एकता को कायम करना जो किसी भी सामाजिक राजनीतिक बदलाव के लिए अपरिहार्य है किन्तु न जाने कब से वह सिर्फ लिखापढ़ी तक ही सीमित थी। इस किसान आंदोलन में वह जमीन पर उतरी है। सभी बॉर्डर्स पर श्रमिक कर्मचारी संगठन मेडिकल सहायता के कैम्प्स लगाए हुए थे तो न जाने कितने ऐसे थे जो बिना किसी के कहे ही पूरे परिसर की, सडकों की साफ़ सफाई करने में जुटे थे । देश के हर हिस्से से करोड़ों रुपयों की मदद भेज रहे थे । केरल के बैंक कर्मचारियों से लेकर रबर प्लांटेशन और काजू उत्पादन में लगे मजदूर बीसियों क्विंटल काजू, किशमिश, बादाम भेज रहे थे तो कई संगठन कम्बल, रजाई, गद्दे और टेंट्स की खेपें दर खेपें भेज रहे थे। संगठित मजदूरों का समर्थन सिर्फ आर्थिक या सामग्री की सहायता पहुंचाने भर का नहीं था । संयुक्त किसान मोर्चे के हर आव्हान को इस देश की लगभग सभी ट्रेड यूनियन और कर्मचारी फेडरेशनों ने अपना आव्हान माना और सिर्फ एकजुटता की कार्यवाही तक सीमित नहीं रहे – उससे आगे गए ।

छोटे दुकानदारों और कारखानेदारों की एकता भी – कमसेकम बॉर्डर्स पर तो – साफ़ नुमायां थी। उन्होंने अपने घर और होटल आंदोलनकारियों के नित्यकर्मों और नहाने धोने के लिए खोल रखे थे । कुछ छोटे कारखानों ने अपने कैंपस भी उपलब्ध करा दिए थे । जब जब सरकार ने इंटरनेट को जाम किया तब तब सिंघु से लेकर टिकरी तक हर बॉर्डर के घर हर दुकान ने अपनी अपनी वाई–फाई का पासवर्ड अपने घर के दरवाजे पर लिखकर टाँग दिया ताकि आंदोलनकारी उसका इस्तेमाल कर सकें।

तैयारियां और प्रबंधन

इस आंदोलन के प्रबंधन के बारे में बहुत कुछ लिखा जा चुका है। अगली बीसियों बरस दुनिया भर के विश्वविद्यालय बिजनेस मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स प्रबंधन और बाकी विषयों पर इस आंदोलन को अपनी पाठ्य पुस्तकों का हिस्सा बनाने वाले हैं। हजारों पीएचडियां इसके प्रबंधन पर होंगी। जैसे यह कि इसमें शामिल किसान अचानक गुस्से में उठकर नहीं आये थे । पूरी तैयारी से आये थे उनके साथ ढाँक कर घर जैसा बनाई गयी ट्रैक्टर – ट्रॉली, ट्रक और लोडिंग वाहन थे, उनमे बिछे रजाई – गद्दे थे , आटा–दाल–चावल–चीनी की बोरियां थे । किसी किसी ट्रॉली में सब्जियां भरी थीं । रसोई गैस थी – सैकड़ों लोगों का खाना पकाने लायक बड़ी बड़ी देगें थीं। , पचासों रोटियां एक साथ सेंकने वाले बड़े तवे थे । हर गाँव की एक ट्रॉली सिर्फ लकड़ियों से भरी थी

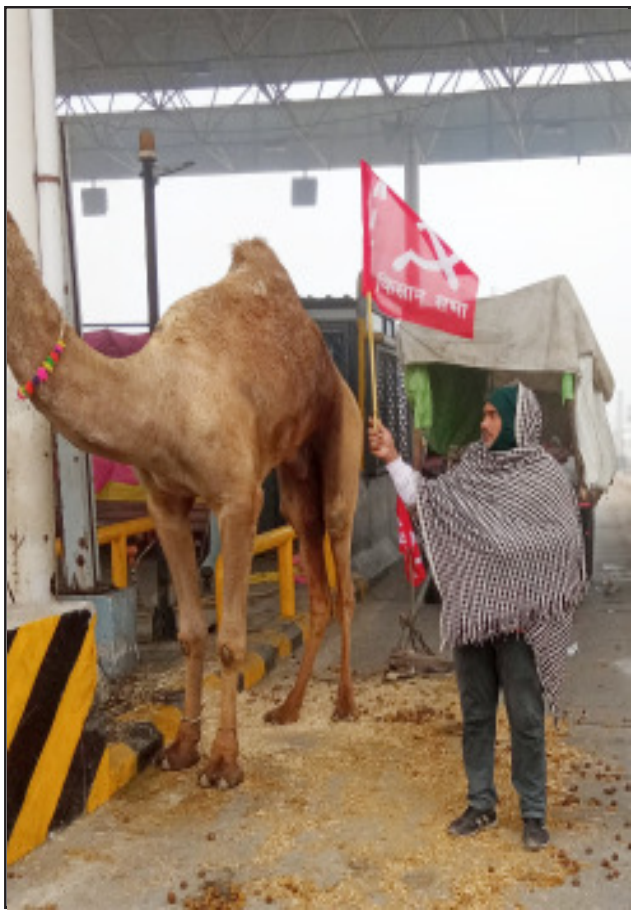

जिनका इस्तेमाल खाना पकाने के साथ सर्दियों में रात की ठण्ड भगाने के लिए अलाव सुलगाने के काम में भी किया जा रहा था ।

मगर अब इस सबकी जरूरत उन्हें नहीं पड़ रही थी । उनके खाने पीने का जिम्मा जहां उनका डेरा है उसके आसपास के गाँवों और अनेक नागरिक संगठनो, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटियों ने इतनी मुस्तैदी के साथ संभाला हुआ था कि हाईवे पर कोई 15 से 20 किलोमीटर की दूरी तक लगी ट्रैक्टर–ट्रक–ट्रॉली की लाइन के समानांतर लंगर और खाने के स्टॉल्स की भी लाइन लगी रही । जिनमे दवा , डॉक्टर्स, ताजे खाने के सभी संभव प्रकार थे , चाय से लेकर ताजे गन्ने के रस, पानी की बॉटल्स और स्नैक्स , सेब फल और संतरे आग्रह पूर्वक देते बांटते युवा थे । सुबह सुबह दूध से भरी टंकियां पहुंचाते, दोपहर के खाने से पहले उन्ही में छाछ भरकर लाते करीब के गाँवों के ग्रामीण थे । इन्हें किसी ने नहीं बुलाया था । ये खुद आये थे।

सांस्कृतिक विविधता

किसान आंदोलन के गीत संगीत ने भी समां बांधा था। देश भर के संस्कृतिकर्मियों, कलाकारों, साहित्यकारों, पंजाब हरियाणा आदि के लोकगायकों यहां तक कि अनेक फिल्म अभिनेता–अभिनेत्रियों ने इसके साथ नाता जोड़कर अपनी अपनी प्रतिभाओं से इसका श्रृंगार किया। इन सबका दस्तावेजीकरण किया जाना चाहिए।

उन्मादी प्रचार का मुकाबला

किसान आंदोलन ने काफी हद तक आरएसएस की आईटी सैल और कॉरपोरेट मीडिया के उन्मादी और झूठे प्रचार की मारकता कम की । उसने न सिर्फ इसके खंडन का काम किया है बल्कि अपने संदेश और तर्कों को ले जाने वाले नए जरिये भी तैयार किये हैं। लोगों के बीच असलियत ले जाने , उन्हें उसके आधार पर संगठित और आंदोलित करने और झूठ के कुहासे को नारों की गूँज से उड़ा देने का वैकल्पिक तंत्र विकसित किया। अपने नूतन तरीके निकाले हर वर्ग संघर्ष में शोषित लड़ाके अपने माध्यम ढूंढ़ ही लेते हैं। प्राचीनकाल में स्पार्टकस की अगुआई में हुए रोमन साम्राज्य के खिलाफ दासों के विद्रोह के समूचे इलाके में फ़ैल जाने के पीछे उनके सन्देश भेजने की मौलिकता थी। भारत में भी इसके अनेक उदाहरण हैं। जैसे 1857 के स्वतन्त्रता संग्राम की खबर और उसमे हिस्सा लेने का आव्हान आननफानन पूरे देश में पहुँच जाना। इसके लिए आजादी के लड़ाकों ने कितना मौलिक और ठेठ देहाती तरीका अपनाया था। हर बगावती गाँव पांच रोटी बनाता था और उन पर नमक और गोश्त की डली रखकर अगले पांच गाँवों के लिए भेज देता था। उनमे से सहमत होने वाले गाँव फिर पांच रोटी बनाकर इसी प्रक्रिया को जारी रखते थे। अंग्रेजो की खुफिया फ़ौज और उसके चाटुकार सामंत समझ ही नहीं सके और रोटियों ने उनके तख़्त उछाल दिए। गरज यह कि जनता हुक्मरानो के मीडिया की मोहताज नहीं रहती – वह खुद अपने तरीके चुनती है।

समय पर समुचित राजनीतिक हस्तक्षेप

इस किसान आंदोलन ने जहां राजनीतिक दलों के नेताओं को अपने मंचों से दूर रखा वहीं खुद को राजनीतिक भूमिका निभाने से अलग नहीं किया। आंदोलन के दौरान हुए 5 राज्यों के चुनाव में संयुक्त किसान मोर्चा बेहिचक भाजपा हराओ का नारा लेकर इन प्रदेशों में गया है । मिशन उत्तरप्रदेश का एलान भी इस बार होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में किसान आंदोलन की भूमिका निबाहने वाले होने वाले हैं।

न बिके, न टूटे, न डरे

दुनिया की मेहनतकश जनता के संघर्षों के इतिहास में अपनी मिसाल आप की तरह दर्ज हुए इस किसान आंदोलन की ख़ास बात सिर्फ इतनी भर नहीं है कि इसने हजारों करोड़ के विज्ञापनी खर्च से पाल पोस कर तैयार किये गए कारपोरेट प्रोडक्ट नरेंद्र मोदी की अड़ियल और कभी वापस न होने वाले नेता की छवि चकनाचूर की है, उसकी हैंकड़ी और दम्भ को तोड़ा है बल्कि उसके विभाजन जीवी के बार बार आजमाए गए ब्रह्मास्त्र के चमत्कार को भी बिखेर कर रख दिया है। कारपोरेट की थैलियों की दम पर "सब कुछ बिकता है – सब कुछ खरीदा जा सकता है" के भरम को आईना दिखाया है। साल भर में, मोदी शाह की तमाम कोशिशों के बावजूद इस किसान आंदोलन में शरीक 550 किसान संगठन और उनके नेताओं में से एक का भी न टूटना न बिकना मौजूदा शासक गिरोह की शकुनी चालों के लिए एक और शिकस्त है। इसने अपने विचार और मांग पर अडिग रहने के उन उच्च नैतिक मूल्यों को एक बार फिर पुनर्स्थापित किया है – जिनकी हाल के दिनों में काफी किल्लत सी महसूस की जा रही थी। यह बहाली आने वाले दिनों के राजनीतिक सामाजिक वातावरण को दूर तक प्रभावित करने वाली है।

शांति और धीरज का पालन

पूरे आंदोलन में किसी भी उकसावे के जाल में किसान नहीं फंसे। खुद के खिलाफ अपशब्दों, गालियों, दमन के सर रूप के इस्तेमाल तथा करीब सवा सात सौ शहादतों के बावजूद आंदोलन ने आपा नहीं खोया। इस आंदोलन ने उदाहरण प्रस्तुत किया है कि कई बार भारी संख्या में डट कर बैठे रहना भी एक तरह का जुझारूपन होता है।

हासिल क्या हुआ ?

यूं तो ऊपर वर्णित सभी इस किसान आंदोलन के हासिल हैं फिर भी मोटे तौर पर इसकी उपलब्धियों को सूत्र रूप में इस प्रकार देखा जा सकता है।

पहला तो यह कि इसने निराशा तोड़ी है। नवउदारीकरण की नीतियां सिर्फ आर्थिक मोर्चे पर ही कहर नहीं ढा रही थीं, इन्होने वैचारिक असर भी डाला था जो दो रूपों में दिखता था/है। एक तो यह कि अब कुछ नहीं हो सकता, कि अब आंदोलन – संघर्ष वगैरा करने का कोई लाभ नहीं है। यह प्रभाव विश्वव्यापी था। पिछले तीस वर्षों में आमतौर से नीतियों के विरुद्ध आक्रोश इतनी दृढ़ता और संकल्पबद्धता के साथ संघर्ष का रूप नहीं ले सका। आक्रोश की राजनीतिक अभिव्यक्तियाँ हुईं, सरकारें बदल कर नयी सरकारें बनाई गयीं किन्तु मैदानी संघर्ष नहीं हुए या कम हुए। भारत में यह धारणा मोदी के आने के बाद और जटिल हुयी थी। किसान आंदोलन ने इसे तोड़ा है। इस तरह वह हुआ है जो दुनिया में या तो हुआ ही नहीं या हुआ तो कम ही हुआ। दूसरा काम व्यक्ति के सामाजिक अलगाव का था जिसे इस आंदोलन ने खंडित किया है।

इसीके साथ किसानो ने सिर्फ भारतीय कारपोरेट को ही नहीं सड़क की लड़ाईयों से साम्राज्यवाद को उसके अखाड़े – नीतियों के अखाड़े – में जाकर हराया गया है। इस तरह परिणामो की बजाय कारणों से लड़ने का हौंसला बढ़ाया है।

तीसरा भारत के किसानो ने वह भूमिका निबाही है जो सामान्यतः मजदूर वर्ग निबाहता रहा है। इसने सिर्फ अपने लिए नहीं जनता के सभी तबकों के लिए लड़ाई लड़ी है और उन्हें अपने साथ जोड़ा है। ऐसा करते हुए मजदूर किसान मैत्री की मजबूत बुनियाद खड़ी की है।

पांचवी यह कि भारत की विशेष स्थिति में इसने हिंदुत्व की बढ़त को रोका है उसके रास्ते में बाधाएं खड़ी की हैं।

छठवां यह कि इसने आम जनता का आत्मबल बढ़ाया है। लड़ाई के प्रति भरोसा पैदा किया है। यह विश्वास पैदा हुआ है कि लड़ेंगे तो नतीजे जीत में निकलेंगे। आने वाले दिनों में इसके असर दिखेंगे।

और सबसे बढ़कर इसने अखिल भारतीय किसान सभा की स्वीकार्यता और पहुँच, प्रतिष्ठा और विस्तार की संभावनाओं को अत्यंत उछाल के साथ ऊपर की तरफ बढ़ाया है। किसान सभा ही थी जो इस आंदोलन के सभी मोर्चों पर आगे रही, जिसकी मौजूदगी और झंडे छहों बॉर्डर्स पर थे। शाहजहांपुर बॉर्डर पर तो यही थी। इसके अलावा सबकी एकता बनाये रखने में किसान सभा ने महती भूमिका निबाही और वार्ताओं में रुख अपनाने से लेकर आव्हानों के निर्धारण तक में, बिना हावी दिखने की कोशिश किये नेतृत्वकारी योगदान दिया। तय है कि आने वाले दिनों में इसका परिणाम किसान सभा के संघर्षों और उसकी सदस्यता के विस्तार में निकलेगा। □

किसान आन्दोलन की जीत और उसके आगे

- डी पी सिंह

किसानों ने एक वर्ष से ज्यादा लम्बा संघर्ष किया। देश की राजधानी को चारों ओर से घेर कर बैठे रहे। दमन का मुकाबला किया। सरकार की शकुनी चालों को मात दी।सात सौ से ज्यादा किसानों ने अपने को कुर्बान किया।यक़ीनन इस किसान आन्दोलन ने एक नया इतिहास रचा है।

इसलिए भी कि देश के पांच सौ से अधिक किसान संगठनों ने मिलकर इस आन्दोलन को लड़ा। लाख कोशिशों के बावजूद सरकार इन संगठनों में फूट नहीं डाल सकी। खेत मजदूरों, ट्रेड यूनियनों, वकीलों, सरकारी कर्मचारियों, छात्रों, नोंजवानों, महिलाओं, आदि के जनसंगठनों का समर्थन हासिल कर लेना भी, इस किसान आन्दोलन की विशेषता रही।

यही नहीं यह आन्दोलन उदारीकरण की नीतियों के खिलाफ शायद दुनिया का सबसे बड़ा आन्दोलन साबित हुआ। इससे पहले मैक्सिको के चियापास सूबे में, किसानों का हथियारबंद आन्दोलन दो-ढाई महीने तक चला था, जो नाफ्टा के खिलाफथा। उसे बुरी तरह कुचल दिया गया था। साम्राज्यवादी सरगना अमेरिका इन किसानों को कुचलने में सीधा भागीदार था। मगर खेती में उदारीकरण की नीतियों के खिलाफ भारत का यह किसान आन्दोलन, पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा। आन्दोलन को अराजक बनाने की साजिशें भी हुईं, लेकिन उन्हें नाकाम कर दिया गया।

इस तरह भारत के किसानों ने दुनिया के एक ताकतवर गठजोड़ को पीछे धकेलने में कामयाबी हासिल की है। इस गठजोड़ में विश्व मंडी के लुटेरे कार्पोरेट शामिल हैं, जो समूची दुनिया की कृषि जमीनें, खेती और कृषि जिंसों के व्यापार-भण्डारण पर कब्ज़ा करने पर अमादा हैं। और दुनिया का फूड बास्केट बनना चाहते हैं, ताकि सारे संसार की रोटियां इनकी टोकरी में रखी रहें और दुनिया भर के भूखे हाथ इनकी तरफ उठें। और वे भूख से मनचाहा मुनाफा कमा सकें।

इस गिरोह में भारत के अडानी-अम्बानी भी शामिल हो गये हैं। इस खतरनाक गठजोड़ ने भारत के सबसे बड़े समुदाय के कट्टरपंथी हिन्दू फिरकापरस्तों को, अपना सवारी का घोड़ा बना लिया है। उनको केन्द्रीय सत्ता तक पहुंचाने का काम उसी ने किया है। उन्हीं घोड़ों की पीठ पर बैठ कर कोरोना की आपदा को खुद के अवसर में बदलने की कोशिश की गई। भारत की कृषि भूमि, कृषि जिंसों के व्यापार को कब्ज़ा करने के लिए कानून बना दिए गए। विश्व अजगर का रूप ले चुके इस विशालकाय गठजोड़ को देश के किसानों ने, कृषि कानून वापस लेने के लिए मजबूर कर दिया। वाकई यह एक बहुत बड़ी जीत है।

इस गिरोह के प्रति मोदी सरकार की वफ़ादारी जैसा दूसरा निर्लज्ज उदहारण, आजाद भारत के इतिहास में नहीं है। कोरोना की आपदा के दौर में उसने कृषि कानून बनाने से लेकर, लेबर कानूनों को ख़त्म कर के चार श्रम संहिताएं बनाने तक के कदम उठाए और निजीकरण की मुहिम तेज कर दी। विवादास्पद कृषि कानूनों को बनाने के लिए संसद चलने तक का भी इंतजार नहीं किया गया। 5 जून 2020 को, राष्ट्रपति के आध्यादेश से कानून लागू कर दिए गए। जब इन्हें संसद में पास कराया तो जनतंत्र का गला घोंट दिया गया। संविधान की व्यवस्था को ठुकराकर राज्य सूची अधीन कृषि क्षेत्र के लिए, सीधे केंद्र सरकार ने कानून बना दिए।

किसानों ने भारत की समूची अर्थव्यवस्था के सर्वनाश को अभी बचा लिया है। इन तीनों कृषि कानूनों से केवल किसान नाम के जीव का ही अस्तित्व खतरे में नहीं पड़ता बल्कि हर तबके की तबाही निश्चित थी। किसान को तो कम्पनियां जमीन के बदले कुछ भुगतान भी करतीं। लेकिन इन कंपनियों और किसानों के बीच समझौता होते ही सबसे पहले तो वे करोड़ों किसान ख़त्म हो जाते, जो बंटाई या जिन्स पर जमीन लेकर खेती करते हैं। दूसरे नम्बर पर देश भर में दसियों करोड़ खेत मजदूर निशाना बनते, तो वे कहां जाते? कंपनियों के खेतों में तो ओटोमेटिक मशीनों से काम होता है। सभी जानते हैं कि कहीं मिट्टी डालने का काम भी नहीं बचता है। खेती के अन्दर अर्द्धमानव की हैसियत में ही सही, खेत मजदूर कम से कम जिन्दा बचे रहे हैं। इन कानूनों के लागू होते ही, खेत मजदूरों पर मौत मंडरा रही होती।

तीसरे नंबर पर गाय-भैंस पाल कर गुजर करने वालों का खात्मा निश्चित था। चूंकि ये कम्पनियां अपने फार्मो में चारा पैदा नहीं करतीं, चारा नहीं होता तो गाय-भैंस कैसे जिन्दा रहतीं। और गाय-भैंस नहीं होती तो दूध कहां से आता? दूध नहीं होता तो डेरियां कैसे बचतीं? उनमें काम करने वाले करोड़ों लोगों और करोड़ों दूध उत्पादन करने वाले किसान- मजदूरों का जीवित रहना संभव नहीं था। ऊपर से पशुपालन में सौ फीसदी एफडीआइ की घोषणा, इसके साथ ही आन्दोलन के दौरान ही यूरोपीय देशों के साथ दुग्ध उत्पादों पर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (एफटीए)की कोशिश; देहाती अर्थव्यवस्था में बड़ी भारी प्रलय के संकेत हैं।

कृषि कानूनों का अगला शिकार, कृषि से जुड़े कुटीर धंधे करने वाले लोग अपने आप हो जाते। एक्सपेलर, धान मशीन, गन्ने के क्रशर, दाल मिल , मिर्च-मसाले पीसने वाले, रुई धुनने वाले बुनकर, आटा चक्की, ट्यूबवेल की मोटर बाइंडिंग का काम, सामान ढुलाई के वाहन , बुग्गी-भैंसा गाड़ी से गुजारा करने वालों, जैसे हजारों कुटीर धंधे करने वाले, सभी उजड़ जाते। आखिरकार, ये सभी खेती पर निर्भर होते हैं। देशी-विदेशी कृषि कम्पनियों के कृषि पर कब्जे के बाद, जिंसों की सप्लाई, इन परंपरागत कुटीर धंधों को जिन्दा रखने के लिए नहीं होती, बल्कि विश्व मंडी में भारी मुनाफे के लिये होती।

इसी तरह कृषि जिन्सों के व्यापार में कार्पोरेट के कब्जे से वर्तमान सरकारी कृषि उपज मंडियों का खात्मा निश्चित था। इनमें कार्यरत लाखों आढ़ती और करोड़ों मंडी मजदूरों का भविष्य चौपट हो जाता। इन मंडियों से खरीदारों में खोखा ठेलों पर फल-सब्जी आदि बेचने वाले, सभी तबाह हो जाते। शहरों-कस्बों में तमाम परचून की दुकानें जो बड़ी संख्या में खेती में पैदा खुदरा जिंसों की बिक्री करती हैं, उजड़ जातीं। वैसे भी खुदरा बाजार में छुट्टे छोड़ दिए गए, ऑनलाइन खरीद-फरोख्त के वॉलमार्ट, अमेजन जैसे जिन्न, इन्हें पहले ही निगल रहे हैं।

यही नहीं, शांताकुमार कमेटी की सिफारिशों के लागू हो जाने पर, फसलों के समर्थन मूल्य पर खरीद की व्यवस्था का ही खात्मा हो जाता तो, सार्वजानिक वितरण प्रणाली का खात्मा निश्चित था। इसके परिणामस्वरूप करोड़ों गरीब लोग भूख से बेमौत मर रहे होते, जो फ़िलहाल टल गया है।

अत; इन तीनों कानूनों का वापस कराया जाना बहुत ही महत्पूर्ण है । यह भारत की समूची अनौपचारिक अर्थव्यवस्था और जीवन को बचा लेने के जैसा है। यह इस किसान आन्दोलन की पहली बड़ी उपलब्धि है।

दूसरे, सभी जानते हैं कि मोदी सरकार सत्ता में आने के वाद देश में जनतंत्र और संविधान को पांवों तले रौंद रही है। मंदसौर में किसानों की हत्या से लेकर मजदूर , कर्मचारी, छात्रों , नौजवामों , आंगनवाडीकर्मियों आदि के आंदोलनों को बेरहमी के साथ कुचला गया। यही नहीं, मोदी सरकार के आने के बाद, देश की अधिकांश राजनीतिक पार्टियों के नेताओं को चुपचाप घर में बैठने के लिए मजबूर कर दिया गया था। विरोध करने अथवा संघर्षों में जनता का साथ देने पर उनके ऊपर सीबीआइ , ईडी, इन्कम टैक्स को शिकारी कुत्तों की तरह छोड़ा जाता रहा है। संसद में उनकी आवाज पर बहुमत का बुलडोजर चलाया जाता रहा है।

ऐसे में किसानों का आन्दोलन तब शुरू हुआ, जब कोरोना का कहर जारी था। लॉक डाउन चल रहे थे। सडकों पर निकलने पर पुलिस पीटती थी। बारात और मुर्दों के साथ भी लोगों संख्या तय कर दी गयी थी। ऐसे में किसानों नें लाखों की तादाद में देश की राजधानी दिल्ली को चारों ओर से घेर लिया। एक वर्ष से ज्यादा समय तक सड़कों को घेर कर रखा। सरकार के पास फौज, पुलिस बहुत भारी संख्या में हैं, फिर इन्हें हटाया-कुचला नहीं जा सका। बेशक, ऐसा नहीं है कि सरकार ने दमन की कोशिशें नहीं कीं। लेकिन, किसानों के बढ़ते व्यापक प्रतिरोध तथा उनके लिए बढ़ते जन-समर्थन के चलते, इस सरकार के लिए भी ऐसा करना संभव

नहीं हो सका। उल्टे उसे ही पीछे हटना पड़ा। इस किसान आन्दोलन ने दूसरा बड़ा काम, जनतंत्र और संविधान को बचाने का किया है।

तीसरे, इस आन्दोलन ने देश में भाईचारे को बहाल करने का किया है। मुजफ्फरनगर में अल्पसंख्यकों के इकतरफा नरसंहार के बाद, शाहीनबाग आन्दोलन को दबाने की विफल कोशिशों के बाद, पूर्वी दिल्ली में इकतरफा नरसंहार कराए जाने की घटनाएं, इस किसान आन्दोलन से पहले घटित हो चुकी थीं। लेकिन, इस आन्दोलन में हिन्दू , मुस्लिम, सिख सभी की हिस्सेदारी, एक महत्पूर्ण तथ्य है। खुद मुजफ्फरनगर किसान पंचायत में जो हिन्दू , मुस्लिम एकता दिखाई दी, वह काबिले तारीफ थी। मंच से लगाये गए भाईचारे के नारे, किसान आन्दोलन के नारे बन गए। यही नहीं, इस आन्दोलन में किसान सिर्फ सांप्रदायिक भाजपा का ही विरोध नहीं कर रहा था बल्कि उसकी जननी आरएसएस को भी निशाने पर ले लिया गया था।

इस आन्दोलन ने जनता के असली लुटेरों की तरफ उंगली उठा दी। अम्बानी का जियो, अडानी का फोर्चून तेल, उनके गोदाम और टोल प्लाजा, किसान आन्दोलन ले निशाने पर आ गए। सड़क परिवहन मंत्री, गडकरी ने बताया था कि किसान आन्दोलन द्वारा टोल प्लाजा फ्री कराने से, 27 अरब 29 करोड़ का नुकसान हुआ था। इस तरह जो पूंजीपति अब तक राजनीतिक पार्टियों के पीछे छिपे रहते थे, उनके द्वारा की जा रही लूट की तरफ जनता की निगाहें उठी हैं।

इस आन्दोलन ने मुद्दों की राजनीत को आगे बढ़ाने में अहम् रोल अदा किया है। व्यक्तिवादी राजनीति के बजाय मुद्दों को राजनीत के एजेंडे पर लाने में, इस आन्दोलन की भूमिका साफ देखी जा सकती है। उत्तर-प्रदेश/ उत्तराखंड-मिशन, उसके कुछ उदहारण हैं। हालांकि, राष्ट्रीय पैमाने पर इसे शुरूआती चरण ही कहा जा सकता है, फिर भी इसे आगे बढ़ाने की जरूरत है।

उक्त उपलब्धियों के साथ (जिनका उल्लेख इस लेख की पिछली किस्त में किया गया था) इस किसान आदोलन से कुछ और अहम् सवाल भी उभर कर सामने आये हैं, जिन पर गौर करना जरुरी है। किसानों के इस आन्दोलन में लगभग 500 संगठन शामिल थे। लेकिन, यह एक चोंकाने वाला तथ्य है कि इनमें से अधिकांश संगठन पहले ठेका खेती और खेती में कार्पोरेटों की घुसपैठ के खिलाफआवाज नहीं उठाते थे, इसे अपनी मांगों में भी शामिल नहीं करते थे। लेकिन, बाद में वे उसी मुद्दे को लेकर जीत हासिल करने तक लड़ते रहे। किसान भी इसे जिंदगी मौत का सवाल समझ कर डटे रहे। 700 से ज्यादा किसानों ने अपनी जान को कुर्बान भी कर दिया।

लगभग सभी किसान संगठन किसानों की कर्जा माफी की बात तो करते रहे हैं, लेकिन उन्होंने कभी बैंकों के निजीकरण के

खिलाफ संघर्ष नहीं किया, जबकि सरकारें किसानों की कर्ज माफी के लिए जरूरी सार्वजानिक क्षेत्र के बैंकों व आधारभूत ढांचे को ही, ख़त्म करती जा रही थीं।

इसी तरह स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की मांग सभी करते हैं, लेकिन स्वामीनाथन के फार्मूले और सिफारिशों को लागू करने के पूरे संरचनात्मक ढांचे का ही खात्मा करने के लिए गठित शांताकुमार कमेटी के विरोध में बहुतों ने आवाज नहीं उठाई। समर्थन मूल्य व्यवस्था के सरकारी ढांचे के खात्मे के बाद, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें कैसे लागू होतीं ?

सस्ते में किसानों की जमीन के अधिग्रहण के खिलाफ लड़ाई तो लड़ी गई, लेकिन ठेका खेती के पक्ष में कृषि कानूनों, कृषि जिंसों के व्यापार से सम्बंधित कानूनों को बदलने का, विरोध नहीं किया गया। आजाद भारत में 1948 में बने कृषि जमीन सम्बन्धी पहले कानून को, 2002 में अटल सरकार ने बदल दिया था। संशोधन से पहले तक कार्पोरेट के भारत में कृषि जमीन ठेके पर लेकर अथवा खरीदकर, खेती करने पर रोक लगी हुई थी। इस

बदलाव का विरोध नहीं हुआ।

फसलों के दाम गिरने और किसानों द्वारा आत्महत्या के खिलाफ लड़ाईयां तो लड़ी गयीं। लेकिन, अटल सरकार द्वारा आयात से मात्रात्मक प्रतिबन्ध हटाने के खिलाफ कोई बड़ी लड़ाई नहीं लड़ी गयी,जबकि इस के बाद से लगभग आठ सौ कृषि जिंसों को पैदा करने वाले किसान आत्महत्या की जद में आ गए। कृषि क्षेत्र में सौ फीसदी एफडीआइ की इजाजत की घोषणा पर, विभिन्न संगठनों की आश्चर्यजनक चुप्पी, चोंकाने वाली थी।

इसी तरह बिजली की दरों में बढ़ोतरी का विरोध तो करते रहे, पर 1948 के बिजली कानून को बदलकर बिजली कानून 2003 बनाने का विरोध नहीं हुआ। इस कानून के जरिये बिजली के निजीकरण का रास्ता खोल दिया गया। नो लोस नो प्रॉफिट पर बिजली देने के बजाय बाजार रेट पर बिजली देने का प्रावधान कर दिया गया। इसी तरह बिजली बोर्ड भंग कर रेगुलेटरी कमीशन (बिजली नियमन आयोग) गठन करने के फैसले के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठी। शायद उदारीकरण के दौर में हम, पूंजीवाद द्वारा समाजवादी अवधारणाओं का अपहरण किए जाने की, उसकी क्षमताओं को भी जान नहीं सके।

उसी तरह किसान संगठनों द्वारा महंगे बीज, खाद , कीटनाशक, के रोने तो रोये जाते रहे, लेकिन हरित क्रांति के दौर में बने भारत के पेटेंट कानून को बदल दिया गया, लेकिन इसका विरोध नहीं किया गया। इस बदलाव के जरिये वस्तु का पेटेंट फिर लागू कर दिया गया। बीज, पशुओं की नस्ल, आदि, जो पहले कानून में पेटेंट से मुक्त थे, उन पर भी फिर से पेटेंट व्यवस्था लागू कर दी गयी। मगर किसान संगठनों द्वारा इसका कोई विरोध नहीं हुआ, बल्कि एक हिस्सा इसके समर्थन में भी खड़ा हो गया।

वास्तव में यह उदारीकरण की नीतियों से पैदा हुई एक नई परिस्थिति ही है, जो अकाल जैसी स्थिति पैदा कर देती है। लोग मर जाते हैं लेकिन आम तौर पर संघर्ष नहीं करते। दूसरे कुछ संगठन संघर्ष भी करते हैं तो वे भी इन विनाशकारी नीतियों से पैदा प्रभाव तक सीमित रहते हैं। मसलन कर्ज में फंसना, फसलों के दामों की गिरावट, आदि के रोकने के लिए लड़ना आदि। परन्तु इसके कारणों के खिलाफ जनता को लामबंद नहीं किया जाता है, जबकि उदारीकरण की नीतियां धर्म-कर्म, रीति-नीति सबको उलटा लटका चुकी होती हैं।

समूचा साम्राज्यवादी व इजारेदार प्रचार तंत्र, जनता को सिर के बल चलाने की ताकत ग्रहण कर चुका है। देहातों तक में किसानों के बीच बिजली , बैकों , बीमा, चीनी मिलों आदि को निजी क्षेत्र में दिए जाने की वकालत करते लोग मिल जायेंगे, खेती में विदेशी कंपनियों के आने से देश की तरक्की की बात करते मिल जायेंगे।

जाहिर है किसी देश के अन्दर जारी वर्ग संघर्ष को भोंथरा बनाने की कोशिशें, कुछ हद तक सफल हो जाती हैं। अत: वर्ग संघर्ष के पुराने तरीके नाकाफा सिद्ध होते दिखाई देते हैं। लोग देश के शोषक वर्गों के हमलों के साथ-साथ उदारीकृत साम्राज्यवाद के और बड़े हमलों के शिकार होने लगते हैं। दूसरी ओर धीरे-धीरे वर्ग संघर्षो में भी गुणात्मक परिवर्तन आता है। वर्ग संघर्ष साम्राज्यवाद के खिलाफ संघर्ष में बदल जाता है। जनता बड़े पैमाने इन पर इन संघर्षों में भाग लेने लगती है। 1857 का आर्थिक बदहाली के खिलाफ शुरू हुआ किसानों का संघर्ष, अंग्रेजों को भारत से खदेड़ने के स्वतंत्रता आन्दोलन में बदल गया था। 1936 से 1946 तक, सामंती शोषण के खिलाफ किसानों के हथियारबंद आन्दोलन, अंग्रेजों से आजादी पाने के आन्दोलन में बदल गए थे। जरूरत सम्राज्यावादी हमलों के खिलाफ जनता को जागरूक करने की होती है। इसी दिशा में आन्दोलन की पहल करनी होती है, जैसेकि 5 जून 2020 को राष्ट्रपति के आध्यादेश से लागू तीनों कानूनों के खिलाफ आन्दोलन की शुरूआत, पंजाब की किसान जत्थेबंदियों ने की थी। चूंकि यह उदारीकरण के नाम पर साम्राज्यवाद द्वारा भारत की खेती और किसानी पर सबसे बड़ा हमला था, पंजाब के किसान रेल पटरियों पर बैठ गए। अपनी जनता और किसानों को इस हमले के बारे में जागरूक किया। बड़ी संख्या में किसान आन्दोलन में कूद पड़े। बाद में हर तरह का दमन झेलते हुए दिल्ली बॉर्डर पर पहुंच गए। इसके बाद, देश की अन्य जत्थेबंदियां भी आन्दोलन में शामिल होती चली गयीं।

निश्चित रूप से पंजाब की जत्थेबंदियों ने जो पहल की वह कर्ज माफ़ी, फसलों के दाम जैसे मुद्दों तक सीमित नहीं थी। यह तो साम्राज्यवादियों और देश के इजारेदारों से, देश की खेती को बचाने का आन्दोलन था। जैसाकि ऊ पर कहा गया है, यह आर्थिक सवालों से आगे बढ़कर राजनीतिक आन्दोलन का रूप ग्रहण करने लगा। इसलिए, पंजाब की जत्थेबंदियों की इस आन्दोलन में मुख्य भूमिका रही है।

जाहिर है यह किसान आन्दोलन स्वत:स्फूर्त आन्दोलन नहीं था। लेकिन, इसके साथ ही यह वर्षों से फौरी मुद्दों पर जारी किसी किसान आन्दोलन का प्रतिफल भी नहीं था, जो साम्राज्यवाद और देशी इजारेदारों के हमले के खिलाफ, जन आन्दोलन का रूप लेता चला गया हो।

यद्यपि अभी भी इस आन्दोलन के निशाने पर अडानी-अम्बानी जैसे देशी इजारेदार ही रहे हैं। समूची दुनिया की खेती और कृषि और कृषि जिंसों पर कव्जा करने वाले, विश्व कार्पोरेट के गिरोह पर किसान जत्थेबंदियों का ज्यादा हमला नहीं रहा है। उनके द्वारा भारत की खेती में उदारीकरण की नीतियों को लागू कराए जाने के षडयन्त्रों का भंडाफोड़ भी नहीं हो पाया। इस कमजोरी को सचेत रूप से दूर किया जाना जरूरी है।

मोदी सरकार की तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की अचानक की गयी घोषणा भी चोंकाने वाली थी। ज्यादातर लोगों ने उत्तर प्रदेश समेत पांच राज्यों के विधान सभा चुनाव को ही इसका मुख्य कारण बताया है। लेकिन, सात सौ किसानों की कुरबानी और किसानों का लम्बा संघर्ष ही वह मुख्य कारण था जिसने, इस सरकार को घुटने टेकने को मजबूर कर दिया।

लेकिन, एक महत्वपूर्ण कारण की ओर लोगों का ध्यान बहुत कम गया है। मोदी ने कानून वापसी के समय राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में किसानों को न समझा पाने के लिए जो माफी मांगी, वह वास्तव में समूचे राष्ट्र अथवा जनता से माफी नहीं थी। वह तो कार्पोरेटों से मांगी गई माफी थी। यह भी हो सकता है कि मोदी ने आन्दोलन के चलते एक तरह से इंटरवल लिया हो ताकि चुनावों के एजेंडे से कृषि कानूनों को साइड किया जा सके और अपने साम्प्रदायिक एजेंडे को धार दी जा सके।

कृषि कानून वापस लेते ही मथुरा की इदगाह मस्जिद में कृष्ण की मूर्ति रखने का षडयंत्र, गुरुगांव में नमाज का मुद्दा, मजारों और अल्पसंख्यकों पर व्यापक हमले, धर्म संसद में नरसंहार का आह्वान ,पंजाब मे किसानों से सिखों से प्रधानमंत्री की जान को खतरा होने का ड्रामा, आदि इसी साजिश के ताजा सबूत हैं।

दूसरी ओर सरकार द्वारा किसानों की अन्य मांगों पर अमल के लिए, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जाहिर है हिंदुत्ववादी सांप्रदायिक सरकार की इस चाल को सफल होना, किसान आन्दोलन की जीत को हार में बदल देने में सफल होना होगा। एसकेएम के कुछ प्रमुख किसान संगठनों का सांप्रदायिक ताकतों के प्रति ढुलमुल रुख, इस चिंता को और बढ़ा देता है।

इस किसान आन्दोलन की कोख में खापों का पुनर्जन्म गंभीर चिंता का विषय है। उसी तरह सिख उग्रवादी ताकतों का लगातार आन्दोलन को पटरी से उतारने की साजिशें रचते रहना भी, कुछ गंभीर सवाल पैदा करता है .

आन्दोलन में महिलाओं की भागीदारी और नेतृत्व हासिल करना उत्साहवर्द्धक है। इसी प्रकार, किसान आन्दोलन को मजदूरों, खेत मजदूरों का पुरजोर समर्थन भी, भविष्य की उम्मीद बंधाता है।

सीमित प्रभाव रखने वाली पंजाब की जत्थेबंदियों द्वारा रेल पटरियों पर बैठकर इस आंदोलन की शुरूआत करना उन्हें आन्दोलन के नेतृत्व के केंद्र में ले आया। किसान उनके पीछे बड़े पैमाने पर लामबंद हुए। केरल जैसे वामपंथी गढ़ों से अगर इसकी पहल हुई होती तो आज तस्वीर दूसरी होती। शायद इस आन्दोलन को एमएसपी पाने वाले किसानों तक सीमित समझ लिया गया। शायद खेती पर कार्पोरेट के कब्जे के षडयंत्र को कम करके आंका गया।

अंत में जीत के जश्न के साथ आन्दोलन स्थगित हो गया।

संयुक्त किसान मोर्चा के उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड मिशन पर, किसान संगठनों की सुस्ती चिंताजनक है। उम्मीद है संयुक्त मोर्चा की आगामी बैठक में, इस पर ध्यान दिया जायेगा।

इन पंक्तियों के लेखक ने 11 दिसम्बर 2021 को जीत के जश्न के बाद, अपना केम्प गाजीपुर बोर्डर से उठा लिया, जो 3 दिसंबर 2020 को स्थापित किया गया था। अपनी गाजीपुर बोर्डर की नेतृत्वकारी टीम के साथ 12 दिसंबर से ही मिशन उत्तरप्रदेश का अभियान शुरू कर दिया है। इसके बहुत परिणाम उत्साहवर्द्धक रहे हैं। मेरठ, बुलन्दशहर बिजनौर, मुरादाबाद आदि पश्चिमी जिलों में, 27 दिन में 60 किसान पंचायतें आयोजित की जा चुकी थीं।

ये पंचायतें राजपूत, लोध राजपूत, पिछड़े व दलित, ब्राहमण, मुस्लिम और जाट बाहुल गांवों में आयोजित की गई हैं। इन में तीन कृषि कानूनों के विनाशकारी परिणामों के बारे बताया गया। साथ ही भाजपा को हराने की खुली अपील की गई। इसके विरोध की आवाजें न के बराबर उठीं। आमतौर पर लोगों का मुखर समर्थन हासिल हुआ, जो किसान आंदोलन के प्रभाव के नीचे तक पहुंचने का संकेत दे रहा है। □

किसान आंदोलन की जीत : संभावनाएं और भावी चुनौतियां

– इन्द्रजीत सिंह

2021 का साल स्वतंत्र भारत के इतिहास में एक सफल किसान आंदोलन के साल के रूप में जाना जाएगा। इस आंदोलन की सफलता में समूचे जनवादी आंदोलन के लिए बहुमूल्य सबक़ निहित हैं। साल भर तक चला यह किसान आंदोलन अनूठे अनुभवों का एक बहुमूल्य खजाना छोड़ गया है जिन पर भिन्न–भिन्न उद्देश्यों से और भिन्न–भिन्न दृष्टिकोणों से सघन शोध होंगे और इसकी गहन समीक्षाएं होंगी। जिस जनता ने इस अभूतपूर्व सफलता को अंजाम दिया है उसके लिए जरूरी है कि 700 से अधिक अपने साथियों की कुर्बानियों की बदौलत हासिल हुई शानदार सफलता की विरासत को संजोकर रखते हुए इसे आगे बढ़ाते हुए समृद्ध करें ।

सही आंकलन की जरूरत : समाज को बदलने को प्रतिबद्ध जो तबके और व्यक्ति जनता का जनवाद व समाजवाद के लक्ष्य के लिए लड़ रहे हैं उनकी परिकल्पना का साकार रूप निश्चित तौर पर इस आंदोलन में प्रकट हुआ है। जनवादी–आंदोलन के विकास की प्रबल संभावनाओं को इसने खोला है। खास बात यह है कि वे तबके, संगठन और व्यक्ति खुद ही ऐसे अभिनेता हैं जिन्होंने इन सफलताओं को हकीकत में अंजाम भी दिया है। उपलब्धियों और कमजोरियों के रूप में आंदोलन के सबक एक कारगर औजार के रूप में सृजित हुए हैं बशर्ते कि उन्हें देखा, पहचाना और ठीक से समझा जाए।

यदि मार्क्सवाद के वैज्ञानिक नजरिये से देखा जाए तो यह आंदोलन समकालीन अंतर्विरोधों का ठोस आंकलन करके ठोस हस्तक्षेप करने का एक अनुकरणीय उदाहरण है।

साम्राज्यवादी एजेंडा को चोट मारी : जाने–माने राजनीतिक अर्थशास्त्री प्रभात पटनायक ने हाल के एक लेख में यह रोचक टिप्पणी की है कि बहुत सारे आंदोलनकारी किसान भी शायद पूरी तरह से इस बात को नहीं जानते होंगे कि उन्होंने जिन ताकतों को झुकने को मजबूर किया है वे कितनी शक्तिशाली हैं। जाहिर है कि उनका आशय यह है कि किसानों ने न केवल अंबानी–अडानी व मोदी–शाह बल्कि विश्व व्यापार संगठन, आई.एम.एफ. और विश्व बैंक की त्रिमूर्ति के एजेंडा को भी धीमा करने का काम किया है जोकि साम्राज्यवादी नवउदारीकरण की एजेंसियां हैं। इसी प्रकार ऐन संभव है कि बहुत सारे जुझारू कार्यकर्ता भी इस आंदोलन की विशेषताओं को समग्रता में न देखकर इसे भी महज एक अन्य साधारण आंदोलन की तरह से ही देखते हों जोकि उचित नहीं होगा।

नई आशाओं का संचार : यह तो सही है कि आंदोलन सालभर से भी लंबा चला और 3 काले कानून वापिस करवाने में सफल हुआ। पर यह एक अति सरलीकृत निष्कर्ष है। किसान आंदोलन की उपलब्धियां इससे कहीं बड़ी हैं ।मौजूदा दौर में चारों ओर व्याप्त निराशा और पस्तहिम्मती के वातावरण को तोड़ते हुए इस आंदोलन

ने देश भर में आशा और आत्मविश्वास के नए दरवाजे खोलकर ताजा हवाओं का संचार किया है। पिछले 7–8 साल के दौरान खासकर भाजपा के मोदी शासन में सुनियोजित ढ़ंग से वह सब ध्वस्त किया जा रहा है जो राष्ट्रीय मुक्ति संघर्ष की बदौलत देश ने अर्जित किया था। उन मूल्यों और आदर्शों तक को मिटाया जा रहा है जोकि किसान, मजदूरों, युवाओं और वंचित तबकों की बेहतर जीवन की आकांक्षाओं के प्रतीक बने रहे हैं। संविधान के जिस वास्तविक धर्मनिरपेक्ष, संघात्मक, लोकतांत्रिक और समाजवादी स्वरूप को परिलक्षित किया गया है उनको भाजपा–आर.एस.एस. द्वारा संचालित मौजूदा शासन द्वारा न केवल निशाना बनाया जा रहा है बल्कि एक तरह से नष्ट ही किया जा रहा है।

किसान आंदोलन से पहले भाजपा विधायकों की खरीद फरोख्त करके उन प्रदेशों में भाजपा की सरकारें स्थापित की रही थी जहां पर लोगों ने भाजपा को चुनावों में हराया था। इससे लोगों में एक निराशा आ रही थी कि इनका कुछ नहीं बिगाड़ा जा सकता । इसी प्रकार सी.ए.ए. और एन.आर.सी. जैसे असंवैधानिक कानूनों के खिलाफ शाहीन बाग जैसे अभूतपूर्व आंदोलन खड़े हो गए थे जिनको कोविड के बहाने उठवा दिया गया। जम्मू–कश्मीर के विशेष दर्जे वाली धारा 370 और 35ए को खत्म करके राज्य तक के अस्तित्व को खत्म कर दिया गया। जेएनयू व जामिया जैसे विश्वविद्यालयों में संगठित फासिस्टी हमलों को अंजाम दिया गया था। तमाम संवैधानिक संस्थाओं पर नियंत्रण किया जा रहा था । इस मामले में न्यायपालिका तक को नहीं नहीं बख्शा गया। कृषि तो राज्यों का विषय है फिर भी तीन कृषि कानून थोपकर केन्द्र द्वारा सरेआम राज्यों के अधिकारों का अतिक्रमण किया गया। कोरोना काल की आपदा को 'सुनहरी अवसर' की तरह प्रयोग करके संसदीय प्रणालियों की धज्जियां उड़ाते हुए तीन कृषि कानून और लेबर कोड पास करवाए गए। बिना पूर्व योजना के लॉकडाउन थोपकर करोड़ों लोगों को दर–दर की ठोकरें खाने को जिस तरह मजबूर किया गया उसे कोई कैसे भूल सकता है।

मोदी शाह का गुरूर टूटा : उपरोक्त क्रियाकलापों के चलते पिछले 7 साल से लगातार मोदी–शाह देश में ऐसा भ्रम पैदा करने में कामयाब हो रहे थे कि वे अपराजेय हैं और उन्हें कोई झुका नहीं सकता। यह भी सच है कि इस दौरान देश में विपक्ष भी कोई बड़ी कारगर भूमिका अदा करने में सक्षम नहीं था। इस पृष्ठभूमि में किसी को भी यह अनुमान नहीं था कि इतना बड़ा किसान आंदोलन अस्तित्व में आ जाएगा। फिर भी ऐसा हुआ है तो इससे यह प्रभाव लिया जा सकता है कि यह आंदोलन आकस्मिक या संयोगवश खड़ा हुआ।

कृषि संकट का गहराना : यह स्पष्ट होना जरूरी है कि ये किसान आंदोलन न तो स्वतःस्फूर्त था और न ही आकस्मिक था। दरअसल दशकों से गहरा रहे कृषि संकट के परिणामस्वरूप ग्रामीण परिवेश में जो असंतोष पनप रहा था वह आक्रोश का रूप धारण कर रहा था। मुख्य रूप से इसी संकट का नतीजा था कि राजस्थान, पंजाब, मध्यप्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र आदि के विधानसभा चुनावों में भाजपा और उसके सहयोगी चुनाव में हारे थे। यहां तक कि गुजरात के पिछले विधानसभा चुनावों में भी समूचे ग्रामीण क्षेत्र ने भाजपा को हराया था।

महिलाओं की भागीदारी : इस आंदोलन के परिणामस्वरूप कुल मिलाकर राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्य में जो प्रभाव पड़े हैं और प्रगतिशील बदलाव की दिशा में जो संभावनाएं इससे खुली हैं उस संबंध में चंद पहलुओं को विशेष संज्ञान में लेना जरूरी है। उदाहरण के तौर पर आंदोलन ने आम किसान जनता और सहयोगी तबकों में आत्मविश्वास और संघर्षों तथा आंदोलनकारियों की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है। इनमें खास तौर पर महिलाओं की भागेदारी के महत्व को नजरंदाज नहीं किया जा सकता। वे बढ़ चढ़कर आंदोलन में आई और उन्होंने मात्र दर्शक की बजाय स्वयं किसान के किरदार के रूप में वह सारे काम किए जो पुरुष कर रहे थे । दूसरा तबका युवओं का है जिसने उत्साहजनक भूमिका अदा की।

संगठनों से बाहर के किसान : अगला यह कि आंदोलन में सक्रिय हरियाणा के किसानों की कुल संख्या का बहुत छोटा हिस्सा ही ऐसा है जो किसी संगठन विशेष से जुड़ा हुआ था। भारी बहुमत किसानों का हिस्सा अपने आपको आंदोलन और संयुक्त किसान मोर्चा से जुड़ा हुआ महसूस करता है। संयुक्त किसान मोर्चा की प्रतिष्ठा पूरे आंदोलन के दौरान और आज भी निर्विवादित रूप से स्वीकार्यता के चरम पर बनी हुई है। समय की मांग है कि सभी स्तरों पर एस.के.एम. को न केवल बनाए रखना होगा बल्कि इसे सुदृढ़ करना जरूरी है ताकि जो व्यापक लोग एस.के.एम. के नेतृत्व को स्वीकारते हैं उन्हें भावी संघर्षों के लिए एक विश्वसनीय मंच उपलब्ध रहे।

किसान चेतना का विकास : साल भर के अरसे में प्रतिरोध की अनगिनत बड़ी कारवाईयों के अलावा कितने ही

आयोजन आजादी के आंदोलन की महत्वपूर्ण परिघटनाओं की को मनाने के लिए कितने गए जिनमें हिस्सा लेने वाले लाखों आंदोलनकारियों की जनतांत्रिक चेतना का विकास हुआ । पंजाब और हरियाणा के किसानों के बीच सद्भाव की बहाली हुई जोकि दोनों ओर की निहित स्वार्थ की राजनीति ने विगत में बिगाड़ने में कसर नहीं छोड़ी ।

जातिवाद भी कुछ हद तक जरूर कमजोर हुआ ज्यादातर प्रतिरोध स्थलों पर अन्य चित्रों के साथ डा.आंबेडकर की तस्वीरें प्रमुखता से मौजूद रहीं। साम्प्रदायिकता और इलाकावाद जैसे संकीर्ण विचार कमजोर हुए और परस्पर एकता सुदृढ़ हुई। आजादी के आंदोलन में आर एस एस की भूमिका की असलियत लोगों के बीच जितनी इस आंदोलन के दौरान चर्चा में रही उतनी पहले कभी नहीं सुनी गई थी। इसी प्रकार हिन्दू–मुस्लिम एकता की मिसाल भी मुजफ्फरनगर रैली में विशेष रूप से प्रकट हुई जिसने भाजपा और आर एस एस के नापाक इरादों पर तीखा कुठाराघात किया है।

सामुदायिक प्रयास के सफल प्रयोग : प्रदेश भर में लंगरों का संचालन बहुत बड़े पैमाने पर हुआ । इस संदर्भ में जींद शुगर मिल के सामने साल भर चलाए गए लंगर का विषेश उल्लेख जरूरी है । किसान सभा, सीटू और सर्व कर्मचारी संघ ने संयुक्त रूप से समाज के सभी तबकों के सहयोग से जो लंगर चलाया वह एक सराहनीय उदाहरण था। इस पर पंजाब से आने जाने वाले हजारों किसान प्रतिदिन भोजन करते रहे। आंदोलन के बाद लंगर के समापन पर जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता और शहीद भगत सिंह की भांजी गुरजीत कौर जी विशेष रूप से जींद पधारी थीं ।

प्रतिरोध की जुझारू कार्यवाहियां : आंदोलन के दौरान भाजपा–जजपा के नेताओं का बहिष्कार करने के आह्वान के चलते पुलिस दमन की जितनी कारवाईयां हुई उनके खिलाफ सफल प्रतिरोध हुए । टोहाना, हिसार, सिरसा, नारनौंद, हांसी, करनाल , रोहतक , पलवल आदि इसके उदाहरण हैं जहां पुलिस के थानों और पुलिस अधीक्षक के कार्यालयों को जनता ने घेर कर रखा और सरकार को झुकना पड़ा या भाजपा–जजपा नेताओं को माफी मांगनी पड़ी । इसके अलावा फसल बिक्री के सवाल पर भी स्थानीय आंदोलन हुए ।

आंदोलन की पृष्ठभूमि : हम पाते हैं कि 26 नवम्बर, 2020 तक पहुंचने से पहले किसान आंदोलनों की एक निश्चित श्रंखला की निरंतरता रही है। इनमें भूमि अधिकार आंदोलन के तत्वाधान में देशभर में भूमि अधिग्रहण कानूनों के खिलाफ चली बड़ी गतिविधियां रही। इस दौर में अन्य संगठनों को साथ लाने में किसान सभा द्वारा की गई पहल की बहुत महत्वपूर्ण थी। सर्वविदित है कि सीकर से जयपुर तक का मार्च और नासिक से मुबई तक के ऐतिहासिक मार्च किसान सभा द्वारा ही आयोजित किए गए थे। 2015 में मोदी सरकार द्वारा कार्पोरेट सैक्टर के हित में भूमि अधिग्रहण कानून 2013 के संशोधनों को सफलता से रोका गया। यह एक ऐसी कीमत थी जोकि कार्पोरेट सैक्टर 2014 के लोक सभा चुनाव में मोदी को दिए समर्थन की एवज में हासिल करने के लिए आश्वस्त था। भूमि अधिकार आंदोलन के संयुक्त तत्वावधान में जंतर–मंतर पर आयोजित 'किसान संसद' में पारित न्यूनतम समर्थन मूल्य और कर्जा मुक्ति संबंधी बिल पारित करके दोनों सदनों में प्राईवेट मैंबर बिल के रूप में रखे गए। इन बिलों का 19 राजनैतिक पार्टियों ने समर्थन किया था। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के संयुक्त बैनर का बनना अपने आप में एक आगे बढ़ा हुआ चरण था जिसमें 250 से ज्यादा किसान–खेममजदूर संगठन जुड़े थे। इसी सिलसिले के चलते जून 2020 में कृषि कानूनों का अध्यादेश जारी हुआ जिसने एक तरह से ट्रिगर का काम किया। इसी दौर में पंजाब में किसान संगठनों के संयुक्त मंच से समानांतर अभियान चल रहा था। पंजाब में रेल पैट्रोल पंप, रिलायंस मॉल, टोल प्लाजा वगैरा पर स्थायी धरने लगने से आंदोलन एक तरह से ''कार्पोरेट विरोधी मोर्चा'' के मॉडल का रूप स्थापित कर गया।

मजदूर वर्ग की एकजुटता : दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि आंदोलन को मजदूरों व अन्य तबकों का समर्थन मिला । किसानों द्वारा 26 नवम्बर को जब दिल्ली कूच शुरू किया गया उस दिन देश की सभी प्रमुख ट्रेड यूनियनों द्वारा एकजुटता में की गई सफल राष्ट्रव्यापी हड़ताल एक ऐसी महत्वपूर्ण परिघटना के तौर पर देखी जानी चाहिए जोकि किसान–मजदूर एकता के वर्गीय गठजोड़ को एक नारे से हकीकत में परिवर्तित होने की शानदार मिसाल है। किसान आंदोलन के चलते भारत बंद के आयोजनों के दौरान अन्य संगठित तबकों का समर्थन मिलने से ही सभी राष्ट्रीय आह्वान सफल हो पाए थे यह जानना जरूरी है।

एस के एम का गठन : इस पूरे अवलोकन के विमर्श में जो सबसे अहम निष्कर्ष निकलता है उसका ताल्लुक व्यापकतम रूप के संयुक्त आंदोलन की संभावनाओं और उसकी कार्यनीति की सफलता से है। केन्द्र और हरियाणा की

भाजपा सरकारों द्वारा दिल्ली कूच को असफल बनाने के तमाम अवरोधों को पार करते हुए दिल्ली बार्डरों पर डेरे लगाने के उपरांत ही पंजाब के किसान संगठनों और ए.आई. के. एस.सी.सी. के समावेश से संयुक्त किसान मोर्चा का निर्माण हुआ जो अपने आपमें सही समय पर उठाया गया सही कदम था।

मुद्दा आधारित एकता : एस.के.एम. के नेतृत्व की बेमिसाल एकता का मुख्य आधार कृषि कानूनों के मुद्दे के विरोध पर बनी आम सहमति और उसके पीछे संकल्पबद्ध लाखों संघर्षरत किसानों का ज़ज्बा काम कर रहा था। इसकी बदौलत किसान आंदोलन एक जनांदोलन का रूप लेता गया। गैर किसानी के अन्य तबकों का बड़ा समर्थन व एकजुटता हासिल होने में इस आंदोलन का शांतिपूर्वक ढंग से चलना एक निर्णायक कारक रहा है। इनमें खेत मजदूर, छात्र, युवा, महिला, कर्मचारी, व्यापारी,आदि के वे संगठन हैं जो सभी नव उदारवादी नीतियों की मार झेल रहे हैं।

लोकतांत्रिक संचालन : आंदोलन को खालिस्तानी, आंतकवादी, देशद्रोही जैसे बेहुदे आरोपों से बदनाम करने और उकसावे के षड़यंत्र रचने के फासिस्टी हथकंडे भी काफी हद तक इसलिए विफल हो पाए कि आंदोलन के भीतर संकीर्ण और बचकानी राजनीति से प्रेरित तमाम प्रवृतियों को समय–समय पर रोका जाना संभव हुआ। यह इसलिए भी संभव हो पाया कि आंदोलन को नेतृत्व प्रदान करने की प्रणाली और कार्यशैली कुल मिलाकर लोकतांत्रिक और पारदर्शी थी जिसमें सुनने–सुनाने की भरपूर गुंजाईश बनी रही। कोई व्यक्ति विशेष संयोजक या अध्यक्ष हो इसकी बजाय छोटी बड़ी कमेटियों के माध्यम से सामूहिक नेतृत्व सुनिश्चित किया गया। इस संबंध में गोदी मिडिया के पूरे कुप्रचार का मुकाबला करने में यू ट्यूब चैनलों और संगठित रूप से चलाए सोशल मीडिया ने जो सराहनीय भूमिका अदा की उसे वर्तमान दौर में वैकल्पिक मीडिया के सफल प्रयोग की तरह से देखा जा सकता है ।

नेतृत्व की व्यापकतम एकता : यह नोट करने की बात है कि सैंकड़ों संगठन इकट्ठे होते हुए अपने–अपने परिप्रेक्ष्य, अपनी–अपनी राजनीति, अपनी–अपनी कार्यप्रणाली को छोड़कर नहीं आए बल्कि सभी कुछ वह अपने साथ लेकर आए हैं । परंतु सांझे उद्देश्य के लिए परस्पर सहमति पर चलकर तमाम तरह की शंकाएं, संदेह और पसंद–नापसंदगी जैसी समस्याओं को मैनेज करना संभव हो सकता है यह भी प्रमाणित हुआ। खासतौर पर इस बेमिसाल एकता के पीछे जो सबसे निर्णायक कारक रहा वह आम किसानों की एकता थी जिसकी बदौलत नेत्रृत्व की भी एकता बनी रही । गौर करने लायक है कि धुर वामपंथी विचारधारा वाले किसान संगठनों से लेकर गैर वामपंथी और खाप पंचायतों तक इस आंदोलन में शामिल रहे और वे अभी भी एक व्यापक मंच पर हैं। अतीत में संवैधानिक अधिकारों के विपरीत कई तरह की विवादास्पद भूमिका के लिए जानी जाने वाली खापों की भागेदारी को लेकर इस दौरान कुछ हलकों में शंकाएं प्रकट होती रही हैं। इस पक्ष पर यह देखने की जरूरत है कि जब कोई आंदोलन जनता का आंदोलन बनता है तो जाति–धर्म की संस्थाएं भी अपने–अपने ढ़ंग से उसमें आती हैं। ऐसे बड़े व लोकप्रिय आंदोलनों से दूरी रखने में उनकी अपनी सामाजिक वैद्यता और प्रासंगिकता भी कसौटी पर होती है। परंतु इसमें कोई संदेह नहीं है कि हरियाणा की ओर से बॉर्डरों पर

किसानों की लामबंदी करने और रशद सप्लाई करने में खापों की भी भूमिका रही है। यद्यपि आंदोलन के तुरंत बाद कुछ खाप नेताओं की अतिरिक्त सक्रियता का यहां संज्ञान लेना जरूरी है । भाजपा ब्रांड कुछ स्वयंभू खाप नेता हाल में सामने आए हैं जो समाज सुधार के नाम पर अनावश्यक और विवादास्पद मुद्दों पर ध्यान भटकाने में लग गए हैं । उदाहरण के तौर पर 2 जनवरी को दादरी में एक निर्दलीय विधायक ने खाप की आड़ में आयोजित ऐसे एक कार्यक्रम में अपनी पसंद से विवाहों का विरोध और हिन्दू मेरिज एक्ट 1955 में संशोधन का मुद्दा उठाने की संकीर्ण राजनीति की है । इसमें एस वाय एल नहर का मुद्दा भी उठाया जाना था जो विरोध होने के कारण छोड़ दिया गया ।बहरहाल इस पूरे विषय पर अलग से भी विमर्श किये जाने की आवश्यकता है।

हमारी कमियां : इस आंदोलन के दौरान निश्चित रूप से कई कमजोरियां भी रही होंगी । जीत से उत्साहित होकर केवल सकारात्मक पहलुओं को ही देखना और कमियों को नज़रंदाज़ करना उचित नहीं होगा । कड़ी मेहनत करने के बावजूद जितनी संभावनाएं समय समय पर पैदा होती रही उनका भरपूर उपयोग हमने नहीं किया। खासकर मजदूरों व खेत मजदूरों के साथ एकता का निर्माण करने में हमने प्रयाप्त कोशिशें नहीं की। इसी प्रकार गांव के स्तर पर संयुक्त कमेटियों का गठन करने के मामले में हमने विशेष प्रयत्न नहीं किये।

वर्गीय गठबंधन की प्राथमिकता: नीति परिवर्तन के वैक्लपिक राजनीतिक संघर्ष का जहां तक सवाल है वह एक वर्गीय एकता बनाने से जुड़ा हुआ मसला है। हमें अब किसान , ट्रेड यूनियनऔर खेत मजदूर मोर्चा को मिलाकर संयुक्त मुद्दों पर वर्गीय आंदोलन खड़े करने होंगे। ध्यान रहे कि वस्तुगत दृष्टि से वर्तमान दौर में पूंजी और श्रम का अंतर्विरोध यानि जनता और कार्पोरेट का अंतर्विरोध निरंतर गहरा रहा है ।आज के कार्पोरेट की एक अतिरिक्त और घातक विशेषता यह है कि उसका गठजोड़ साम्राज्यवाद के साथ साथ साम्प्रदायिकता से भी है।मतलब साफ है कि किसी भी कीमत पर कार्पोरेट अपनी लूट कम नहीं होने देना चाहता और आम जनता का वजूद दांव पर लगा है। इसलिए व्यापक एकता करके संयुक्त संघर्षों के अलावा कोई चारा नहीं है। यदि हरियाणा व अन्य हिन्दी भाषी प्रदेशों के ठोस संदर्भ में देखें तो उपरोक्त वर्गीय एकता के निर्माण में जातिवाद की समस्या एक बड़ी बाधा की तरह से है। जाति के विभाजनों को कमजोर करने का सशक्त औजार भी वर्गीय एकता की प्रक्रिया ही हो सकती है। ट्रेड यूनियन फ्रंट का व्यापक तानाबाना गत दशकों के दौरान हर गांव में अस्तित्व में आया है। इसके तहत परियोजना वर्कर महिलाएं, ग्रामीण सफाई कर्मचारी, ग्रामीण चौकीदार, भवन निर्माण, भट्ठा मजदूर, मनरेगा वर्कर तो हैं ही इनके अलावा कर्मचारी संगठनों से जुड़े मौजूदा व रिटायर्ड कर्मचारी भी हैं। यदि किसान फ्रंट और खेत मजदूर मोर्चे को मिलाकर जिला, ब्लॉक और गांव के स्तर पर एकता स्थापित की जाए तो निश्चित रूप से यह ग्रामीण परिवेश में वर्गीय संबंधों के संतुलन में बदलाव लाने की क्षमता रखता है। इस प्रकार से निर्मित एकता के लिए वर्तमान दौर में प्रबल अनुकूलता मौजूद है। ऐसी वर्गीय एकता के सांझे कार्यक्रम के रुप में कार्पोरेट साम्प्रदायिक गठजोड़ और साम्राज्यवाद द्वारा संचालित नव उदारवाद का एजेंडा मौजूद है। इसके अलावा कर्जा मुक्ति, न्यूनतम समर्थन मूल्य, डेयरी सैक्टर का विकास, मजदूरों को बंधवा बनाने वाले लेबर कोड को रद्द करवाना,समान काम का समान वेतन, सेवा सुरक्षा, खेत मजदूरों के लिए सर्वसमावेशी केन्द्रीय कानून, मनरेगा , सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार आदि सवाल संयुक्त आंदोलनों का आधार हो सकते हैं ।

19 जनवरी को 1982 की राष्ट्रव्यापी ट्रेड यूनियन हड़ताल में शहीद हुए किसान मजदूर साथियों की शहादत की 40 वीं वर्षगांठ और 28–29 मार्च की दो दिवसीय हड़ताल का आह्वान ठीक ऐसे निर्णायक मुकाम पर आ रहे हैं जिन्हें उपरोक्त वर्गीय एकता को निर्मित करने की बुनियाद रखने के तौर पर देखना चाहिए। यदि इस राजनीतिक–सांगठनिक कार्यभार को शिद्दत के साथ हाथ में नहीं लिया जाता है तो यह निश्चित है कि साम्प्रदायिक और जातिवादी–ध्रूवीकरण की राजनीति व अन्य निहित स्वार्थ की ताकतों द्वारा किसान आंदोलन से पैदा हुए सकारात्मक वातावरण को निष्प्रभावी किये जाने के ख़तरे भी हैं जिन को कम करके नहीं देखना चाहिए। इस कार्य को अंजाम देते हुए सांझे मुद्दों के साथ–साथ स्थानीय स्वरूप की समस्याओं को चिन्हित करना जरूरी है। महिलाओं, छात्र और युवाओं के संगठन इसमें न केवल एकजुटता की भूमिका अदा करेंगे बल्कि उनके अपने संगठनों के विस्तार की संभावनाएं भी इसी रास्ते से खुल पाएंगी। वर्गीय संगठनों की अपनी मजबूती और विस्तार भी इसी रास्ते से संभव है। इस अभियान के दौरान आजीविका के साथ–साथ हरियाणा में उजागर हुआ नौकरियों का फर्जीवाड़ा, नशाखोरी, जातिवादी उत्पीड़न, लैंगिक भेदभाव, साम्प्रदायिकता, महंगाई आदि की चुनौतियां और लायब्रेरी – खेलकूद , सांस्कृतिक कार्यक्रमों इत्यादि के माध्यम से बड़े हस्तक्षेप करने की योजनाएं बनानी जरूरी हैं। □

ऐतिहासिक किसान आन्दोलन

किसान-मजदूर की एकता की नजर से

– जयभगवान

एक साल तक चले लंबे सघंर्ष और आन्दोलन में हासिल जीत ने हिन्दोस्तान की मेहनतकश आवाम के अन्दर एक गजब का आत्मविश्वास पैदा किया है। बहुत मायने में यह आन्दोलन ऐतिहासिक रहा और इसके केन्द्र में वर्गीय संघर्ष के मुद्दे रहे। इसने देश की सता पर विराजमान शासक वर्ग के रूप में कारपोरेटस (पूंजीपति जमात) को एक हद तक जनता के बीच में ला दिया। आन्दोलन ने बदलाव के लिए किसान–मजदूर एकता की वर्गीय पृष्ठभूमि तैयार करने की दिशा प्रस्शत की है।

26–27 नवंबर का किसानों का दिल्ली चलो और 26 नवंबर की मजदूर हड़ताल

इन देशव्यापी अभियानों के आह्वान से पूर्व पंजाब के किसान आन्दोलनरत थे। हरियाणा में 20 सिंतबर को कुरूक्षेत्र के पीपली में किसानों पर लाठीचार्ज हुआ। उसके बाद 25 सितंबर 2020 को देशव्यापी रोड़जाम का आह्वान किसान संगठनों की और से किया गया। राज्य व स्थानीय राजमार्ग इस दिन लगभग बंद रहे। जहां एक तरफ किसानों में इन कानूनों के खिलाफ भारी रोष था वहीं देशभर में हजारों स्थानों पर मजदूर कार्यकर्ताओं ने इन रोड़जाम की कार्यवाहियों में भाग लिया था। 26–27 नवंबर के किसानों के दिल्ली चलो व 26 नवंबर की केन्द्रीय श्रमिक संगठनों की देशव्यापी हड़ताल की घोषणा तथा तैयारियों में एक सामंजस्य ने किसान व मजदूरों को एक मंच पर आने की पृष्ठभूमि तैयार की। लंबे समय से किसान सभा, खेत मजदूर यूनियन व सीटू की सांझा कार्यवाहियों ने मुद्दों को समझने व सामंजस्य का आधार तैयार किया था।

हरियाणा की धरती पर टकराव और मजदूरों का सहयोग

26 नवंबर को किसानों को दिल्ली न पंहुचने देने की

सरकार की योजना के तहत ही 23 नवंबर की रात को हरियाणा में 50 से ज्यादा किसान–मजदूर नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। मुख्यतः निशाना इस बात पर था कि किसानों को इकट्ठा न होने दिया जाए व उन्हें मोबलाईज करने वाले मुख्य नेतृत्व को काबू कर लिया गया। हरियाणा में 25 अगस्त को ही किसानों के एक संगठन ने अंबाला से राष्ट्रीय राजमार्ग पर दिल्ली की ओर कूच कर दिया। इसी प्रकार हरियाणा–पंजाब के बार्डर्स पर जिनमें सिंघु बार्डर, खन्नोरी, चीका के पास, डबवाली, टोहाना आदि कई जगहों पर बड़े–बड़े नाके लगाए गए थे। अपने ही देश के नागरिकों को दिल्ली पंहुचने से रोकने के लिए भाजपा निजाम ने क्या–क्या नहीं किया। हरियाणा में सीटू ने कई सारे बॉर्डर्स पर इन तमाम बाधाओं को पार करवाने में पंजाब व हरियाणा के किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। यही कार्य दिल्ली आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुआ जब पलवल बॉर्डर पर जहां मध्य प्रदेश, उतर प्रदेश से किसानों के जत्थे पंहुचे। किसानों को आगे बढ़ने से रोका गया तो हजारों की संख्या में मजदूर, किसानों के साथ फरीदाबाद–दिल्ल्ली बार्डर पर पंहुचे जहां पर गिरफ्तारियां हुई व मुकदमें दर्ज हुए और अन्ततः तमाम बाधाओं के बाद पलवल में मोर्चा लगाया गया। इसी प्रकार जयपुर–दिल्ली मुख्य राजमार्ग को बन्द करने के लिए 26 नवंबर से लेकर 13 दिसंबर तक तीन बार प्रयास हुए। दो बार में केवल मजदूर ही बड़े पैमाने पर शामिल थे व गिरफ्तारियों व मुकद्मों का सामना भी किया गया। अन्ततः तीसरे प्रयास में यह राजमार्ग रोका गया व मोर्चा लगा जहां मजदूर बहुमत में थे।

मजदूरों के बीच व्यापक समर्थन

किसान आन्दोलन ने जहां किसानों का व्यापक समर्थन हासिल किया वहीं मजदूरों के बड़े हिस्सों को स्वतः स्फूर्त आन्दोलन की मदद में उठ खड़े होने के लिए आकर्षित किया। दिल्ली के चारों और लगे बॉडरर्स पर जहां एक तर्फ मजदूर अपनी भागेदारी कर रहे थे वहीं गावों के स्तर पर आन्दोलनकारियों के लिए रसद–पानी जुटाने व उनके लिए अन्य संसाधन इकटठा करने के लिए घर–घर दस्तक दे रहे थे। किसान–मजदूर एकता की नजर से इस आन्दोलन को अभी तक का स्वर्णिम दौर कहा जा सकता है। जहां मजदूर संगठनों के नेतृत्व की बिना जानकारी के भी गावं/कालोनी स्तर के कार्यकर्ता आन्दोलन के लिए सहयोग जुटा रहे थे। किसान आन्दोलन के जो भी आह्वान किए जा रहे थे उनमें बड़ी संख्या में मजदूर भाग ले रहे थे। 26 जनवरी की ट्रैक्टर परेड में व्यपक पैमाने पर भागेदारी थी। शहीदी दिवस पर दिल्ली बॉर्डर पर पंहुची सप्ताह भर तक चली किसान–मजदूर पैदल यात्राएं भी ऐतिहासिक रही जिसमें व इसके बाद की गतिविधियों में भी मजदूरों ने बढ़–चढ़कर हिस्सा लिया था।

मजदूर–कर्मचारी संगठनों की भूमिका

देश के मजदूर व कर्मचारी आन्दोलन ने बहुत नजदीक से इस आन्दोलन में भाग लिया था व हर प्रकार से मदद की थी। संगठनों का राज्य व जिला नेतृत्व का बड़ा हिस्सा किसानों के बीच जा रहा था। सीटू के पूर्णकालिक कार्यकर्ता हो या आम कार्यकर्ता बड़ी संख्या में इस आन्दोलन में किसान आन्दोलन के कार्यकर्ता के रूप में लगे। अपने गांव–इलाके में किसानों के बीच अभियान में नेतृत्वकारी भूमिका अदा कर रहे थे। यही नहीं सिंघु, टीकरी बॉर्डर पर स्वास्थ्य कैंप को नियोजित करने में जेएसए के साथ बड़ी भूमिका रही है। इसी प्रकार बड़े पैमाने पर आर्थिक मदद भी इस आंदोलन की की गई है। पंजाब से आने वाले किसानों के लिए जीन्द जिला में सीटू, सर्व कर्मचारी संघ, किसान सभा ने साथ मिलकर एक साल तक लंगर चलाया गया जो उतर भारत का सबसे बड़ा लंगर कहा जा सकता है। जिसमें प्रतिदिन आन्दोलन में आने–जाने वाले औसतन 2000 लोग भोजन आदि कर रहे थे। दिल्ली बार्डर पर होने वाले बड़े आयोजनों के दिनों में इस लंगर पर हर रोज 20–25 हजार लोगों को भोजन खिलाया जा रहा था। जिसमें करीबन 1 करोड़ 10 लाख रूपये नगद राशि/राशन के रूप में आमदन व खर्च हुए। यह पूरी राशि/राशन जीन्द जिला व आस–पास के इलाकों से ही इकट्ठा की गई।

पूरे देश का संगठित मजदूर आन्दोलन इस आन्दोलन में अपनी अभिव्यक्ति देख रहा था। इसलिए केन्द्र व राज्य सरकार से जुड़े कर्मचारी संगठनों की फैडरेशनों, केन्द्रीय श्रमिक संगठनों व उनसे जुड़ी यूनियनों ने दिल खोलकर आन्दोलन की आर्थिक इमदाद की। संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा आन्दोलन के जो भी आह्वान किए गए, उन्हें देश के अलग अलग हिस्सों में धरातल पर लागू किया गया। लगभग सभी राज्यों से मजूदरों व कर्मचारियों के जत्थों ने कई दिनों की यात्राएं करके दिल्ली के चारों और लगे मोर्चों पर पंहुचकर अपनी एकजूटता प्रकट की। व्यापक मजदूरों की भागेदारी करवाने के साथ–साथ हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश के साथी लंबे समय तक इन मोर्चों पर डटे रहे। स्कीम वर्कर्स, निर्माण मजदूरों, सफाई कर्मचारियों व राज्य सरकार

के कर्मचारियों ने कई बार बॉर्डर पर पंहुचकर किसान आन्दोलन के साथ एकजूटता प्रकट की थी।

आन्दोलन में विभाजन के प्रयासों को किया विफल

भाजपा ने बड़े साजिशाना ढ़ंग से इस आन्दोलन को कमजोर व बदनाम करने के लिए कुत्सित प्रयास किए। पहला प्रयास हरियाणा–पंजाब के बीच सतलुज यमुना लिंक नहर का मुद्दा उछाला। हरियाणा में 2016 में जाट आरक्षण आन्दोलन में हुई हिंसा जिसे जातिय रूप देकर भाजपा ने अपनी स्थिति मजबूत की थी, उसे आन्दोलन को कमजोर करने के लिए खुब प्रयोग किया गया। भ्रम फैलाने के पूरे प्रयास किए कि उक्त आन्दोलन जाति विशेष व किसानों का है। मजदूरों का इससे कुछ लेना–देना नहीं है। इस बारे सचेत रहते हुए मजदूरों के बीच अभियान चलाया गया। कैसे ये कानून मजूदरों को प्रभावित करेगें, कैसे यह देश की खाद्य सुरक्षा के लिए खतरा है। तमाम अभियानों व आन्दोलनों में इसे प्रमुखता से रखा गया। इसीलिए सारी तिकड़मों के बावजूद भाजपा मजदूरों में आन्दोलन के प्रति बनी हमदर्दी को कम नहीं कर पाई।

आन्दोलन की जीत के मायने

इस जीत ने न केवल मजदूरों में बल्कि जनता के व्यापक हिस्सों में भारी आत्मविश्वास पैदा किया है। 11 दिसंबर 2021 को जब किसान दिल्ली के बॉर्डर से अपने घरों को लौट रहे थे तो उनका जिस तरह से रास्तों में स्वागत हुआ, यह अपने आप में ऐतिहासिक अवसर था। किस्से–कहानियों व इतिहास कि किताबों में पढ़ा था कि जब राजा व उसकी सेना किसी दूसरे राज्य को जीत कर आते थे तो नगरवासी उनका स्वागत करते थे। यह स्वागत उससे कहीं ज्यादा भव्य, और अलग मायने लिए हुए था। यह अपने साथ दुनिया की पूंजीवादी जमात की तमाम उस हेकड़ी को तोड़कर आया था जिसका लंबे समय से लूट आधारित इस व्यवस्था की रक्षा में जनआन्दोलनों को कुचलने का इतिहास रहा है। जिसने यह आमतौर पर धारणा स्थापित की है कि इस व्यवस्था के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। देश में इस जमात के रक्षक वर्तमान तानाशाह के बारे भी यह विचार स्थापित किया गया कि कुछ भी कर लिया जाए और कैसे भी आन्दोलन हो जाएं लेकिन जो शासक वर्ग के हित में होगा, उससे पलटा नहीं जा सकता। यह शासक वर्गों को जनता की ताकत का अहसास करवाकर आया था।

बाधाएं बहुत हैं किसान–मजदूर के बीच वर्गीय एकता बनने में लेकिन दिवारें टूटेंगी

सामजिक बदलाव की नजर से आंदोलन के काफी सकारात्मक पहलु रहे। आन्दोलन की शुरूआत में जाति आधारित, मजदूर विरोधी टिप्पणियां, गीत–रागनियां–चुटकले व लोकोक्तियां धीरे–धीरे कम होती गई। लंगर व मोर्चे पर आने वाले राशन व बने भोजन केवल किसानों के घरों से ही नहीं अपितु दलितों–मजदूरों के घरों से भी जूटाए गए। ऐसे काफी अवसर आन्दोलन में आए। किसान आन्दोलन ने अनुभव से सीखा कि लूटेरी जमात से मुकाबला करना है तो किसान मजदूर एकता की बेहद जरूरत है इसलिए किसान–मजदूर एकता का नारा विकसित हुआ। मोर्चों पर धरना स्थलों पर बैनर बदल गए। कबीर, रविदास व अंबेडकर जयंति के आयोजन आन्दोलन के केन्द्रों पर आयोजित हुए। इन आयोजनों की अध्यक्षता व संचालन का कार्य भी दलित संगठनों के नेतृत्व को दिया गया। दलित संगठनों ने भी चंदा जुटाकर आन्दोलन में मदद की। काफी कुछ सकारात्मक हुआ, जिसने ऐसे आयोजनों को जमीनी स्तर पर करने की राह दिखाई।

इसी बीच हरियाणा व पश्चिम उतर प्रदेश में जाति विशेष की गोत्र आधारित तथाकथित खाप पंचायतें भी आन्दोलन का हिस्सा रही। जोकि कोई संगठन न होते हुए भी एक अभिव्यक्ति पा गई, यह स्वाभाविक भी था। क्योंकि जब आन्दोलन में इतने बड़े पैमाने पर लोगों की हिस्सेदारी होती है तो उसके साथ जुड़े हुए संगठनों/संस्थाओं का आना भी स्वाभाविक ही है। हालांकि अभी तक ये जातिय पंचायतें दकियानूसी, महिला–गरीब विरोधी तथा पिछड़ेपन को बढ़ावा देती रही। इनके आन्दोलन में उभार ने एक समय पर आकर बेजमीने, दलित–पिछडे तबकों में थोड़ा शंका का वातावरण भी पैदा किया। लेकिन इन सबके बावजूद आन्दोलन के प्रति व मांगों के प्रति किसी प्रकार का संदेह नहीं हुआ। हालांकि जातीय दंभ, जमीन व आर्थिक संसाधन तथा बेजमीने व दलित होने के चलते भेदभाव व उत्पीड़न के सदियों के मौजूद आधार और मानसिकता इतनी जल्दी नहीं बदल जाती। लेकिन सब कुछ के बावजूद इसने भेदभाव की दीवार को तोड़ने व किसान–मजदूर एकता की राह का आधार तैयार किया है। □

मंदिर-मस्जिद बैर कराते, मेल कराती आन्दोलनशाला

– मनोज कुमार

सरकार द्वार लाए गए खेती व किसान विरोधी कानूनों के खिलाफ एक साल तक चले ऐतिहासिक किसान आन्दोलन के बाद, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 19 नवम्बर को आंदोलन की प्रमुख मांग यानी तीनो कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया गया, जिस के बाद संसद द्वार भी इन कानूनों को निरस्त कर दिया गया है। कॉर्पोरेट हितों को छोड़ किसानो की बात मानने को सरकार तैयार नहीं थी पर किसान और जनता के दबाव के सामने सरकार को झुकने पर मजबूर होना पड़ा। इतनी लंबी अवधी में किसानो की हिम्मत और हौसले में कोई कमी नहीं आई है और वह पुरे जोश–ओ–खरोश के साथ 11 दिसम्बर तक जब तक के सयुक्त किसान मोर्चा ने वापस लौटने का फैसला नहीं किया अपने मोर्चो पर मौजूद रहे। इस आन्दोलन के विभिन्न पक्षों और पहलू पर गौर करेगें तो कई विशेषताएँ हमें नज़र आएगी। जिस में से एक विशिष्ठ विशेषताएँ इस का धार्मिक– जातिगत पहचान से ऊपर उठ सर्वसमावेशी होना है। भारतीय संविधान में निहित धर्मनिरपेक्षता के विचार का प्रतिबिम्बन इस आंदोलन में साफ नज़र आता है। देश आज जब पहचान आधारित विभाजन के सब से वीभत्स दौर से गुज़र रहा है, ऐसे में यह आन्दोलन समाज को भातृत्व के उन मूल्यों को भी दिखा रहा है जो की स्वतंत्रता संग्राम से जन्मे थे और हमारी राष्ट्रीयता की पहचान बने थे। स्वाधीनता के बाद देश द्वारा अपनाएं गए संविधान में इस धर्मनिरपेक्षता; जिस के तहत सभी धर्मो के सम्मान की बात कही गई है, को जगह दी गई। तमाम धार्मिक, जातीय, क्षेत्रीय, भाषाई, सामाजिक पहचानों के बावजूद 'अनेकता में एकता' सूत्र के ज़रिये देश को एक पहचान देना और सभी धर्म, पंथ, समुदाय को एक समान नज़र से देखना व सभी को एक समान सम्मान देने के सिद्धांत को अपनाया गया। इस दौर में जब सत्ता के इशारों पर धर्म व जात के नाम पर जहर घोल कर आपसी दूरियां बढ़ने का काम किया जा रहा है, ऐसे समय में इस आन्दोलन ने सिर्फ खेती बचाने का ही नहीं बल्कि हमारे संविधान के उन सिद्धांतो को बचाने का कम भी किया है।

जब 5 जून 2020 को अध्यादेश के रूप में इन कानूनों को लाया गया तब से ही किसानो ने इन का विरोध शुरू कर दिया था और क्योंकी, यह कानून सभी संप्रदाय के लोगों को प्रभावित कर रहा था, इस लिए सभी संप्रदाय के किसान इन कानूनों के विरुद्ध खड़े हुए और आन्दोलन का हिस्सा बने। 26 नवम्बर 2020 को जब 'दिल्ली चलो' के नारे के साथ किसानो द्वार दिल्ली की तरफ कूंच किया गया तब भी सभी किसान एक साथ सरकार द्वारा खड़ी की गई बाधाओ को पार करते हुए, दिल्ली की सीमओं तक पहुचें।

दिल्ली की सीमा पर लगे किसानो के पहले मोर्चे 'सिंघु बॉर्डर' से जब विभिन्न समाचार चेनलों व अखबारों की रिपोर्ट आने लगी, तब उन खबरों में मलेरकोटला के मुस्लिम समुदाय से सम्बंधित नौजवानों द्वारा लगाये गए 'ज़र्दा पुलाव' (मीठे चावल) के लंगर का जिक्र और तस्वीरे भी आने लगी। मलेरकोटला के इन नौजवानों द्वारा लगायें गए इस लंगर में मोर्चे पर मौजूद हजारो किसानो को दिन भर चावल परोसे जाते रहे, जो धरने के आखरी दिन तक भी जारी रहा। मोर्चे पर लगे अनेक लंगरों में से एक ये भी था और अन्य सभी समुदाय के किसानो के साथ मुस्लिम किसान भी मौजूद थे। तो इन मायनो में इस में कुछ भी अलग नहीं था, पर ये लंगर

सभी समुदायों के बाच एकता का प्रतिक बन चुका था और जब सत्ता में आसीन वर्ग देश में आपसी कडवाहट बढ़ा रहा है, उस समय ये मीठे चावल आपसी रिश्तो में मिठास बढ़ा रहे थे।

दिल्ली के चारो और लगे सभी मोर्चो पर होली, दीवाली, ईद, गुरुपर्व, बैसाखी, तीज आदि सभी त्यौहार एक साथ मनाए गए। नोवरात्रो का नवमी भोज और रोज़ इख्तार की दावत एक साथ मिल कर की गई। इन दिनों जब अपने राजनैतिक हितो के लिए अलग–अलग धर्मो के त्यौहारों पर भी ध्रुवीयकरण कर आपसी द्वेष बढाया जाता है, ऐसे समय में हमारी एक साथ मिल कर सभी तीज–त्योहारों को मनाने की परम्परा को इन मोर्चो पर आगे बढ़ाया गया। सभी रंगों व सभी खुशबुओ और उत्सवों का मिल कर जश्न मनाने की हमारी रिवायत इन मोर्चो पर जिन्दा रही। निश्चित तौर पर ये रिवायतें पूरे देश में नज़र आती है, यह सिर्फ इस आंदोलन की विशेषता नही पर इस दौर में जब इन पर तीखा हमला हो रहा हो, तब इन को उभारना इस आंदोलन के पीछे की सकरात्मक ऊर्जा को दर्शाता है।

इस आंदोलन के दौरान जब महाशिवरात्रि आई तब कावड़ ला कर गंगा जल को अपने गाँव के मंदिरों में शिवजी को अर्पित करने की जगह, हरियाणा के गांवों से वहां की मिट्टी ला कर सिंघु व टिकरी बॉर्डर पर शहीद बेदी पर अर्पित की गई। एक ही मंच से सुबह गुरबाणी सुनाई देती, दिन में भजन चलते और शाम को अज़ान की गूंज कानो में पड़ती। जब देश के लोगों को मंदिर और मस्जिद के नाम बाटने की साज़िशों में धकेला जा रहा है, उस समय मे ये आंदोलन उम्मीद की किरण दिखा रहा है।

पाँच साल पहले जिस मुजफ्फरनगर में साम्प्रदायिक दंगो की आँच में, अपने लिए भाजपा ने पश्चिमी उत्तरप्रदेश में राजनैतिक बढ़त का रास्ता तराशा था, वही आज किसान आंदोलन ने धार्मिक एकता का नया अफ़साना लिखा है। किसान महापंचायत के दौरान सेकड़ो गांवो ने, महापंचायत में देश भर से हिस्सा लेने आए लाखों किसानों के लिए इंतजाम किये, जिस में हिंदुओं और मुसलमानों, दोनों के गाँव थे, जिन्होंने मिल कर महापंचायत में शिरकत करने वाले हर जाति, धर्म, समुदाय के लोगों को भोजन कराया पानी पिलाया। इस के साथ ही मंच से लगे "अल्लाह हु अकबार – हर हर महादेव" के नारों ने इस आंदोलन के इरादों को और मजबूती से दर्शा दिया।

भाजपा– आरआरएस द्वार इस आन्दोलन को किसी एक समुदाय से जोड़ कर अलग–थलग करने के प्रयास भी किये गए, पर इस में भी वह बुरी तरह से विफल रहे। पहले तो इस आन्दोलन को सिक्ख धर्म से जोड़ कर सिर्फ उन का आन्दोलन बताया गया, फिर इसे आन्दोलन के सिर्फ पंजाब तक सीमित होने का दावा किया गया। इस के बाद इसे जाटों के आन्दोलन की तरह प्रस्तुत किया गया, उस के बाद कुछ इलाकों व समुदाय विशेष के आंदोलन की तरह दिखाया गया। पर इस आन्दोलन का नेतृत्व कर रहे सयुंक्त किसान मोर्चा, जिस का हिस्सा 500 से जायदा किसान संगठन है, इस के व्यापक स्वरुप को दिखाता है। निश्चित तौर पर इस आन्दोलन में दिल्ली की सीमओं पर बैठे ज्यादातर लोग उत्तर भारत के आस पास के इलाकों से है, क्योंकी वहीं नजदीकी राज्यों से है और सुदूर के राज्यों से लगातार बड़ी भागीदारी संभव भी नहीं है। पर इस में कोई शक नहीं की यह एक अखिल भारतीय आन्दोलन है और हर राज्य में इस के समर्थन मे व केन्द्रीय मांगो को लेकर कार्यवाहीयाँ हुई है, इस के साथ ही विभिन्न राज्यों से दिल्ली की सीमा पर संघर्ष में शामिल होने, अनेक दल आते रहे है। भले ही दुश्मन वर्ग द्वार इस आन्दोलन को बदनाम करने व आपसी एकता को तोड़ने के कितने ही प्रयास क्यों ना किये गए हो पर हर बार उन्हें नाकामी ही हाथ लगी। यह नेतृत्व और आन्दोलनकर्ताओ की समझदारी व साफ नज़र ही है, जो यह आन्दोलन विरोधियों के तमाम हथकंडो को मात दे पाया है।

इस आन्दोलन ने यह स्पष्ट कर दिया है कि देश के किसानों मजदूरों का आपसी भाईचारा बहुत मज़बूत है और हमारी धर्मनिरपेक्षता की जड़ें बहुत गहरी है। पर फूटपरस्त कटरपंथी शक्तियां सदेव इस भाईचारे को तोड़ने की फ़िराक में रहती है, ताकि किसानो मजदूरों की लड़ाई को कमज़ोर किया जा सके और उन के राजनैतिक मंसूबो व उनके कॉर्पोरेट आकाओ की लूट में विघन ना पड़े। यह किसानो की लड़ाई अपने अगले स्वरूप में पंहुच कर आपसी एकता बचाने और देश के संविधानिक मूल्यों को बचाने की लड़ाई बन चुकी है। पिछलें कुछ समय से लगतार बढ़ी साम्प्रदायिकता और घृणा की राजनीति के सामने यह आन्दोलन एक चुनौती बन चुका उभरा है, जिस ने देश के तमाम प्रगतिशील हिस्सों में नई आशा व ऊर्जा का श्रृजन किया है। इस आन्दोलन की जीत ने ना सिर्फ किसानो को बल्कि देश के तमाम जनवादी जनआन्दोलनों को होसला दिया है और देश के सभी समुदाय से संबंध रखने वाले किसानो– मजदूरों की संयुक्त एकता की ताकत को भी दिखाया है। □

किसान आंदोलन और महिलाएं

– सविता

कृषि विरोधी तीन कानूनों के खिलाफ संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में दिल्ली के बॉर्डर्स पर 380 दिन तक चला ऐतिहासिक किसान आंदोलन देश व दुनिया के जनसंघर्षों के इतिहास में बेहद महत्वपूर्ण घटना के रूप में दर्ज हो गया है। यह आंदोलन लोकतांत्रिक भारत के इतिहास का सबसे बड़ा, लंबा और अभूतपूर्व आंदोलन था। इस आंदोलन ने ना केवल राजनीतिक तौर पर बल्कि सामाजिक व सांस्कृतिक स्तर पर भी गहरे प्रभाव छोड़े हैं।

यह आंदोलन ऐसे समय में लड़ा गया जब भाजपा सरकार बड़े पूंजीवादी घरानों को अकूत लाभ पहुंचाने के लिए नव उदारवादी नीतियों को जोर शोर से लागू कर रही थी। जहां एक तरफ बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी और भुखमरी ने आम लोगों का जीना मुश्किल कर दिया था वहीं रही–सही कसर कोरोना महामारी के कुप्रबंधन ने पूरी कर दी थी। जनता में भारी आक्रोश था। इस आक्रोश से निपटने के लिए लोगों को जात–धर्म व क्षेत्र के आधार पर बांटा जा रहा था। इस स्थिति के खिलाफ आवाज बुलंद करने वालों को देशद्रोह जैसे मुकदमों में जेलों में डाला जा रहा था। ऐसी परिस्थिति में किसान आंदोलन ने ना केवल भाजपा–आरएसएस के नव उदारवादी कारपोरेट परस्त और फुटपरस्त साम्प्रदायिक एजेंडे को सबके सामने उघाड़ कर रख दिया बल्कि व्यापक एकता, रणनीतिक सुझ–बुझ और अनुशासित संघर्ष की बदौलत अंहकारी सत्ता के घुटने टिका कर देश व दुनिया के जनसंघर्षों में नई उर्जा का संचार किया तथा सदियों तक यह आंदोलन प्रेरणास्रोत बना रहेगा।

संघर्ष में महिलाएं

इस आंदोलन में हर जाति, धर्म, क्षेत्र, वर्ग, लिंग और हर उम्र के लोगों ने पूरी निष्ठा के साथ हिस्सा लिया विशेषकर महिलाओं की भूमिका बेहद शानदार रही। आजादी के बाद के इतिहास में शायद पहली बार महिलाओं ने किसी आंदोलन में इतनी बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। इस दौर में जब सत्ता में बैठी सांप्रदायिक और प्रतिगामी ताकतें महिलाओं को वापिस घर की चारदीवारी में धकेलना चाहती हैं, ऐसे समय में महिलाओं ने उनके मंसूबों पर पानी फेरते हुए कंपकंपाती सर्दी, गर्मी, बारिश को झेलते हुए खुले आसमान के नीचे सड़कों को अपना घर बना लिया। नागरिकता संशोधन

कानून के खिलाफ शाहीन बाग में महिलाओं का बेमिसाल संघर्ष और किसान आंदोलन में महिलाओं की शानदार भागीदारी प्रतिरोध के दो ऐसे खुबसूरत उदाहरण हैं जिनमें महिलाओं ने पितृसत्ता के शिंकजे को तोड़ते हुए नकली राष्ट्रवादियों से राष्ट्र, संविधान और फसल व नस्ल बचाने के लिए सत्ता के खिलाफ संघर्ष की एक नई मिसाल कायम की।

महिला किसान की पहचान

दुनिया की पहली किसान होने के बावजूद महिलाओं को किसान की पहचान पाने के लिए कड़ा संघर्ष करना पड़ रहा है। महिला आंदोलन लंबे समय से यह मांग उठाता रहा है कि जब खेती का 75 प्रतिशत काम महिलाएं करती हैं तो उन्हें किसान क्यों नहीं माना जाता ?

इस आंदोलन में महिलाओं ने खुद के किसान होने का दावा बहुत मजबूती के साथ पेश किया। वे इस आंदोलन में किसी की मां, बेटी, बहन या पत्नी की हैसियत से नहीं बल्कि एक किसान की हैसियत से शामिल हुईं। उन्होंने 18 जनवरी किसान महिला दिवस, 8 मार्च अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस और 26 जुलाई को किसान महिला संसद के जरिए खेती में महिलाओं के काम, उनसे संबंधित नीतियों और महिलाओं पर कानूनों के प्रभावों को चर्चा के केंद्र में ला दिया।

बेशक अभी भी महिलाओं को किसान का दर्जा हासिल करने के लिए, नीति निर्धारण के केंद्र में आने के लिए और जमीन पर मालिकाना हक हासिल करने के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ेगा परन्तु महिलाएं कुछ कदम आगे बढ़ी हैं और एक किसान के तौर पर उनकी पहचान कुछ हद तक स्थापित हुई है।

आंदोलन में महिलाएं व लैंगिक समानता की दिशा

खेत खलिहानों में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कमाने वाली महिलाओं ने आंदोलन में भी अहम भूमिका निभाई।

बुजुर्ग महिलाओं, नौजवान लड़कियों, छोटे बच्चों से लेकर हर उम्र की महिला आंदोलन में शामिल रही। कृषि कानूनों के मंहगाई व राशन वितरण प्रणाली पड़ने वाले प्रभावों को समझते हुए ना केवल किसान महिलाओं बल्कि मध्यम वर्गीय कर्मचारी और मजदूर महिलाओं ने भी आंदोलन को सक्रिय समर्थन दिया। महिलाओं की इस बड़ी भागीदारी ने आंदोलन को अनुशासित और शांतिपूर्ण बनाने में मुख्य योगदान दिया।

आंदोलन में कुछ महिलाएं बॉर्डर्स पर लगातार पुरुषों के साथ मोर्चा संभाल रही थी और कुछ का आना जाना लगा रहा। आंदोलन स्थलों पर नहाने, धोने, शौच आदि के लिए उचित बंदोबस्त ना होने आदि की तमाम समस्याओं के बावजूद महिलाएं बार्डर्स पर डटी रही। इन महिलाओं ने किसान संगठनों की कमेटियों में महिलाओं को शामिल करने, मंच संचालन में महिलाओं को शामिल करने, मंचों पर महिलाओं को जगह दिलवाने, बार्डर्स पर किसान महिला समितियां बनवाने में अहम भूमिका निभाई।

कुछ महिलाओं ने घरों पर रहकर ना केवल खेती व घर को संभाला बल्कि स्थानीय स्तर पर चल रहे आंदोलनों में भी बढ़–चढ़कर हिस्सेदारी की। बार्डर व स्थानीय स्तर पर लंगरों के लिए रसद इक्ट्ठा करने व सेवा देने का काम भी महिलाओं ने बेहतरीन ढंग से किया। वो ठेठ ग्रामीण महिलाएं जो हमेशा घर के चुल्हे–चौंके, डांगर–ढोर और खेत खलिहानों तक सीमित रही, साल भर तक आंदोलन उनकी दिनचर्या का हिस्सा रहा। उन्होंने हर रोज़ नई बातें, भाषण, गीत– रागनियां व राजनीतिक चर्चाएं सुनीं, इसने निश्चित तौर पर उनकी चेतना को विकसित करने का काम किया। महिलाओं ने आंदोलन में बोलना तथा सलीके से अपनी बात कहना सीखा। गांव की एक अनपढ़ औरत भी वकील की तरह कानूनों के असर को अच्छे से समझा रही है, पत्रकारों को इंटरव्यू दे रही है, आंदोलनकारी गीत व रागनियां लिख रही है, माईक पर गा रही है, भाषण दे रही है। दरअसल ये महिलाएं कहीं न कहीं समाज के रूढ़िवादी ताने–बाने को तोड़कर आगे बढ़ गई हैं।

पुरूष भी पितृसत्ता के खोल से बाहर झांकते हुए नजर आए। बार्डर्स पर यह नजारा आम रहा कि घरों में रसोई का जिम्मा संभालने वाली महिलाएं यहां बैठ कर खाना खा रही हैं और पुरुष खाना पका रहे हैं। घरों में अपने अंतर्वस्त्र तक महिलाओं से धुलवाने वाले पुरुष अपने कपड़े खुद धो रहे हैं। आम तौर पर समाज व घरों में अलग–अलग रहने वाले महिला– पुरूषों ने साथ मिलकर इस आंदोलन का नेतृत्व किया। अब जब यह आंदोलन जीत के साथ खत्म हो गया है तो निश्चित तौर पर ये महिलाएं और पुरुष वो नहीं रह गए हैं जो साल भर पहले थे, परिवर्तन की एक लहर उनके अंदर से गुजर चुकी है। ये नए तरह के इंसान हैं जो इस समाज को भी नई परिवर्तनकारी दिशा में लेकर जाएंगे।

□

किसान आन्दोलन का पलवल मोर्चा- अनुभव व सबक

– दिगम्बर सिंह

न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारण्टी का कानून बनाने, किसान विरोधी तीनों कृषि कानूनों की वापसी, बिजली विध ेयक 2020 वापस लेने, पराली कनून से किसान विरोधी ध ाराओं को हटाने की मांगों के लिए संयुक्त किसान मोर्चे के नेतृत्व में चले किसान आन्दोलन में पलवल पर भी किसान मोर्चा साल भर तक चलता रहा। 3 दिसम्बर 2020 को पलवल के पास अटोहां गांव के समाने नेशनल हाईवे 19 पर हरियााणा पुलिस ने दिल्ली जा रहे किसानों के जत्थे को रोक लिया। इस किसान जत्थे में ग्वालियर, भिण्ड, मुरैना, कैलारस के एक हजार से अधिक किसान थे। किसान हाईवे पर ही धरने पर बैठ गये। पलवल के आस पास के किसान सभा, सीटू से जुडी मजदूर व कर्मचारी यूनियनों व अन्य किसान संगठनों से जुडे लोग पलवल से जत्था बनाकर दिल्ली की ओर पैदल चलते हुए बडकल फरीदावाद तक पहुॅच गये थे। पलवल पुलिस द्वारा किसान जत्थे को रोके जाने की जानकारी मिलने पर पलवल के किसान, मजदूरों, कर्मचारियों का जत्था अगले दिन वापस पलवल लौट आया और किसानों के धरने में शामिल हो गया। 7 दिसम्बर तक आगरा, मथुरा, अलीगढ से किसान सभा के नेतुत्व में किसानों के जत्थे भी धरने में शामिल हो गये।

पलवल में ठन्डे मौसम के अलावा किसानों को तीन प्रकार के हमलों का सामना करना पडा। पहला तो प्रंशासन ने किसानों को आगे जाने से रोकने लिए पुलिस बल के साथ भारी बेरिकेड लगा दिए थे। और हाईवे पर से धरने को हटाने की हर तरह की तिकडम आजमाई। दूसरा आसपास के गांवों के आरएसएस से जुडे युवकों ने किसानों को धरना हटाने क लिए धमकियां दीं। ये युवक केन्द्रीय सरकार में मन्त्री कृष्णपाल गुर्जर के समर्थक और उसकी विरादरी के थे। केन्द्रीय मंत्री के इषारे पर ये युवक किसानों को धमका रहे थे। पूरे साल में इन तत्वों ने तीन बार किसानों के धरने पर हमले किए। जिन्हें स्थानीय किसानों ने शालीनता व षान्तिपूर्वक तरीके से असफल किया।

तीसरा हमला आन्दोलन में शामिल संगठनों व नेताओं के संकीर्ण दृष्टिकोण का था। जो किसान आन्दोलन की व्यापक एकता में बाधक था। उन्होंनें ने किसान सभा व सीटू के झण्डे न लगने देने, किसान सभा व सीटू के नेताओं के भाषणों में व्यवधान डालने, स्थानीय लोगों को नेतृत्व में आने से रोकने, संघर्ष समिति बनाने में बाधा डालने की हर तरह की तिकडम की। धरने के दौरान धरने के लिए स्थानीय लोगों द्वारा दिए जा रहे चन्दे अपनी रसीदों पर लेना व उसका हिसाब न देना जैसी झगडा खडी करने वाली व एकता को तोडने वाली ताकतों की हरकतों को बडे धैर्य के साथ सहन किया। और एकता बनाये रखते हुए ऐसे मुद्दों को हल किया।

एक सप्ताह बाद मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ से किसान सभा के जत्थे आने लगे। किसान सभा पलवल व मथुरा के साथियों ने मिलकर किसान सभा का अपना एक निजी टेन्ट लगा लिया। मथुरा, आगरा, अलीगढ, मध्य प्रदेश, छतीसगढ, उडीसा आदि से किसान सभा के जत्थे बराबर आते रहे। किसानों के धरना शुरू होने के समय स्थानीय किसानों की भागीदारी बहुत कम थी। सीटू की मजदूर, कर्मचारी, आशा बर्कर्स व आंगनबाडी, व चौकीदारों, सफाई कर्मियों की यूनियनें ही स्थानीय स्तर पर आन्दोलन में भागीदारी निभा रही थीं। भारतीय किसान यूनियन व राष्ट्रिय किसान मजदूर महासंघ के साथ जुडे कुछ गिने चुने स्थानीय कार्यकर्ता ही धरने मे आते थे। स्थानीय किसानों की भागीदारी किसान आन्दोलन में बढाने के लिए मध्यप्रदेश, पलवल व मथुरा के नेतृत्वकारी साथियों ने मिलकर गांवों में जाकर, मीटिंगें कर

किसानों को आन्दोलन से जोडने की योजना बनाई। प्रयास सफल रहा। विभिन्न गांवों से लोग ट्रक्टरों में भर – भर कर धरने में आने लगे।

आगरा से दिल्ली के बीच ट्रांसयमुना का क्षेत्र जाट बाहुल्य है। जाट जाति का बहुमत हिस्सा खेती किसानी से जुडा है। लगभग 52 पालों की पंचायत संगठन बना हुआ है। हर पाल की अपनी पंचायत व पाल पंच हैं। पलवल से छाता के बीच पाल पंचायतों का ज्यादा असर है और अभी सक्रिय भी हैं। स्थानीय किसानों के साथ अनेकों पाल पंच विशेषरूप से चौहान पाल, तेवतिया पाल, भुडेर पाल, सौरोत पाल आदि के पंच भी किसान आन्दोलन में जुडने लगे। कई पालों ने पंचायतें करके किसान आन्दोलन में शामिल होने का फैसला लिया। 52 पालों के अध्यक्ष की अगुआई में पालों को किसान आन्दोलन में शामिल होने व आन्दोलन की मदद करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। उसके बाद पलवल के आसपास के स्थानीय किसानों की भागीदारी काफी बढ गई। किसान संघर्ष समिति पलवल बना दी गई। जिसकी देखरेख में आन्दोलन चलने लगा। और आखिर तक चला। स्थानीय किसान नेताओं और किसान संघर्ष समिति पलवल के हाथ में कमान आने के बाद फुटपरस्त तकते अलग थलग हो गई। उसके बाद वह पलवल से चले गये। अन्त तक वापस लौट कर नहीं आये।

7 जनवरी 21 को केएमपी पर दादरी तक ट्रैक्टर रैली निकाली गई। 1000 से अधिक ट्रैक्टर लेकर किसान उत्साह के साथ शामिल हुए। उसके बाद 26 जनवरी 21 को पलवल से दिल्ली बार्डर तक ट्रैक्टर रैली के आयोजन में 2000 से अधिक ट्रैक्टर लेकर किसान शामिल हुए। पलवल से 10 किलोमीटर जाने के बाद पृथला पर पुलिस प्रशासन ने बडे बडे कन्टेनर आडे खडे करके व भारी पुलिस बल लगाकर रैली का रास्ता रोक दिया। उसके बाबजूद किसान आगे बढे तो उन पर पुलिस ने अकारण बर्बर लाठी चार्ज कर दिया। पुलिस के उकसावे के बाबजूद न तो किसान उग्र हुए और न ही पीछे हटे। किसान ट्रैक्टरों को बन्द करके वहीं सडक पर बैठ गये। आखिर कार निहत्थे किसानों पर लाठी चार्ज कर रही पुलिस को मजबूर होकर लाठी चार्ज बन्द करना पडा। एक दर्जन से अधिक ट्रैक्टरों को पुलिस ने क्षतिग्रस्त कर दिया था। तीन दर्जन से अधिक किसानों को गम्भीर चोटें आई थी। किसानों की एकता व शान्ति बनाये रखने के सामने पुलिस को झुकना पडा और ट्रैक्टर रैली को बडखल मोड तक जाने की अनुमति देनी पडी।

26 जनवरी 2021 की ट्रैक्टर रैली और लाल किले की सरकार की षडयंत्रकारी घटना के बाद पलवल में किसान आन्दोलन पर पुलिस दमन बढ गया। 150 से अधिक किसानों पर मुकदमें कायम कर नोटिस दिए गये। 27–28 जनवरी 2021 को धरने पर किसान व किसान नेता कम संख्या में आए। इससे पुलिस प्रशासन की हिम्मत और बढ गई। 28 जनवरी को स्थानीय किसान नेताओं के धरने पर पहुंचने से पहले ही बीजेपी नेताओं को आगे करके पुलिस ने पलवल पर चल रहे किसान धरने को हटवा दिया। गवालियर, भिण्ड, मुरैना, छतीसगढ, आगरा, मथुरा से आए हुए किसान दुखी मन से धरना छोडकर घर वापस जाने के लिए मजबूर हुए। सरदार अपना लंगर लेकर वापस लौट गये।

31 जनवरी 2021 को पलवल अनाज मण्डी में किसान मजदूर पंचायत का आयोजन हुआ। बडी संख्या में आसपास के किसानों ने किसान मजदूर पंचायत में हिस्सा लिया। एक स्वर से फैसला होने के बाद 1 फरवरी 2021 को अटोहां के सामने पुनः किसान मजदूर धरना षुरू हुआ। अब जो धरना शुरू किया गया वह पूरी तरह स्थानीय किसान मजदूर कर्मचारियों का धरना था।

उ0 प्र0 किसान सभा के नेतृत्व में 19 से 23 मार्च 2021 मथुरा से पलवल तक शहीद यादगार पदयात्रा का आयोजन किया गया। पदयात्रा को मथुरा कृषि मण्डी से 19 मार्च को अखिल भारतीय किसान सभा के महासचिव कामरेड हन्नान मोल्हा ने हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया। पदयात्रा का नेतृत्व उ0प्र0 किसान सभा के अध्यक्ष कामरेड भारत सिंह व महामंत्री मुकुट सिंह ने किया। पदयात्रा में मथुरा के अलावा, आगरा, अलीगढ, एटा, इटावा, फतेहपुर, इलाहाबाद, जौनपुर, वनारस, देवरिया, सुल्तानपुर, बरेली आदि जिलों के साथियों ने भाग लिया। पलवल जिले की सीमा पर हरियाणा के सैकडों मजदूरों व कर्मचारियों व किसानों ने पदयात्रियों का स्वागत किया। तीन दिन मथुरा जिले में व दो दिन पलवल जिले में पदयात्रा का रास्ते में विभिन्न गांवों में किसानों ने भारी उत्साह से स्वागत किया। सभाऐं हुईं। 23 मार्च को पलवल के 300 से ज्यादा सीटू जुडे कर्मचारी मजदूर आषा वर्कर्स भी पदयात्रा में षामिल हुए। जिनका नेतृत्व वीरेन्द्र मलिक, धरमचन्द, सोहनपाल चौहान, रमेश चन्द, योगेश कुमार, राजेष कुमार, उर्मिला, रामरती, दर्याब सिंह, भागीरथ, ताराचन्द, बीधू सिंह आदि कर रहे थे। धरना स्थल पर 2 हजार से अधिक किसानों ने पदयात्रियों का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया।

भारत बन्द के आव्हान पर दिल्ली आगरा नेशनल हाईवे पूरी तरह बन्द किया। पलवल अनाज मण्डी व पलवल के व्यापारियों से अपील की गई। काफी हद तक उन्होंने अपील का पर अमल किया। कर्मचारियों ने हडताल की। रेल रोको आन्दोलन के तहत पलवल में दिल्ली मथुरा रेलवे लाइन पर धरना दिया। रेल परिचालन पूरी तरह ठप्प रहा।

पलवल किसान मोर्चे की विशेष बातें–

1–शुरू में ग्वालियर व आगरा के गुरूद्वारों ने लंगर की व्यवस्था की थी। और उनका लंगर 28 जनवरी 2021 तक चला था। कुछ दिन बाद से ही आटा, दाल, चावल, सब्जी, चीनी, चायपत्ती, दूध सहित अधिकांश खाने पीने के सामान की आपूर्त्ति स्थानीय गांवों से शुरू हो गई थी। 1 फरवरी 2021 के बाद से 15 दिसम्बर 21 तक लंगर की पूरी व्यवस्था स्थानीय संसाधनों के द्वारा पाल पंचों की देखरेख में चली।

2–पलवल किसान मोर्चे में मुख्यरूप से स्थानीय किसानों, मजदूरों कर्मचारियों आशावर्कस, आंगनबाडी, चौकीदारों, गांवों की महिलाओं की उल्लेखनीय भागीदारी रही।

3–गांवों के स्थानीय कवियों, गायकों, संगीत मण्डलियों, चौपई मण्डलियों ने रोजाना भागीदारी की। नये नये भजन, गीत व कविताओं की रचना कर आन्दोलनकारियों का उत्साह बनाये रखा।

4–किसान आन्दोलन पर तीन बार हमला करने वाले आरएसएस के तत्वों को स्थानीय गांवों के युवकों ने धैर्य के साथ बैरंग भेज दिया।

5–पलवल के इस इलाके में पहले कभी किसान आन्दोलन नही रहा। किसान सभा की इकाई भी अभी अपने प्रारम्भिक दौर में है। उसके बाबजूद इस ऐतिहासिक किसान आन्दोलन में पलवल जिले के किसानों ने बढ चढकर हिस्सा लिया। लगातार आन्दोलन को चलाया भी।

6–शुरूआत में मेव मुस्लिम समुदाय किसान आन्दोलन से अलग रहा। क्योंकि गाय व लव जिहाद के नाम पर मेव मुस्लिमों के साथ इस इलाके में कई वारदात हो चुकी थीं। किसान आन्दोलन ने एक तो हिन्दू समुदाय के अन्दर आरएसएस के दुष्प्रचार ने जो नफरत पैदा की थी, उसे दूर कर दिया। संघर्ष समिति के स्थानीय नेता व पाल पंच खुद मुस्लिम गांवो में गये। मुस्लिमों में अन्दर बैठे डर को दूर किया। मुस्लिमों की आन्दोलन में भागीदारी बढी। ध रने पर हिन्दू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई का रोजाना नारा लगाया जाता। नमाज का वक्त होने पर सभा बन्द कर दी जाती। पूरे सम्मान के साथ मुस्लिम भाईयों को नमाज अदा करने का समय दिया जाता।

7–किसान सभा की पलवल, मथुरा व आगरा की छोटी ईकाइयों के बाबजूद आन्दोलन कें पहले दिन से आखिरी दिन तक भागीदारी बराबर बनी रही। किसान सभा को अलग थलग करने वाले कुछ दिन बाद खुद पलवल मोर्चे से भाग खडे हुए। किसान सभा की साझा आन्दोलन की एककता को बनाए रखने व चलाने की नीति ने पूरे क्षेत्र में किसान सभा की छवि को चार चांद लगाए हैं। किसान सभा के निमार्ण के लिए अनुकूल महौल तैयार हुआ है।

□

गन्ना किसान अपनी मांगों को लेकर संसद मार्च करेंगे

– नंद किशोर शुक्ला

अखिल भारतीय गन्ना किसान महासंघ (अ भा किसान सभा से संबद्ध) की केन्द्रीय कार्यकारिणी कमेटी की बैठक हैदराबाद में 12 जनवरी 2022 को हुई, जिसमें गन्ना किसानों की मांगों पर देशव्यापी अभियान चलाते हुए, अगले नवम्बर में संसद मार्च करने का निर्णय लिया गया।

बैठक में शोक प्रस्ताव के बाद अध्यक्ष डी रवीन्द्रन ने अध्यक्षीय भाषण दिया। महामंत्री नंद किशोर शुक्ला ने गत जुलाई की बैठक के बाद की रिपोर्ट पेश की। संगठन के वित्त सचिव साथी वीजू कृष्णन ने ऐतिहासिक किसान आंदोलन की पृष्ठभूमि, बड़ी जीत और गन्ना किसानों पर इसके प्रभाव की चर्चा की। अ भा किसान सभा के वित्त सचिव, पी कृष्णा प्रसाद ने फसलवार संगठनों के महत्व को रेखांकित किया। अ भा किसान सभा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष मल्ला रेड्डी ने गन्ना किसानों की हो रही लूट के संबंध में विस्तार से समझाया।

कमेटी ने नोट किया कि 2019 में 20-21 दिसम्बर को तिरुपति में संपन्न पहले अखिल भारतीय सम्मेलन के बाद कोरोना महामारी और लॉकडाउन के कारण हमारी सांगठनिक गतिविधियों में भारी बाधा आई। फिर भी तमिलनाडु सहित कई राज्य इकाइयों ने आवश्यक गतिविधियों को जारी रखा।

बैठक में नोट किया गया कि गन्ने की पैदावार के खर्च में बेतहाशा बृद्धि हुई है। खाद, दवाई, डीजल, कटाई, ढुलाई, सभी की कीमतों में लगातार बृद्धि हो रही है।

दूसरी ओर केन्द्र सरकार ने गन्ने की कीमतों में उचित वृद्धि करने के बजाय, गत चार वर्षों में मात्र 15 रु क्विंटल की वृद्धि की है। अनेक राज्य सरकारों ने राज्य अनुसंशित कीमतों (एसएपी) में कोई वृद्धि नहीं की है। खासकर दक्षिण भारत के राज्य सिर्फ केन्द्र सरकार द्वारा घोषित एफआरपी ही देते हैं। हाल में आंदोलन के बाद पंजाब सरकार ने कुछ बृद्धि की और हरियाणा तथा यूपी की सरकारों को भी ऐसा ही करना पड़। पर स्वामिनाथन कमीशन के सिफारिशों के मुताबिक लागत से डेढ़ गुनी कीमत नहीं दी जा रही है। वर्षों और महीनों तक चीनी मिल भुगतान नहीं करते हैं। अभी भी 12 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा बकाया है, जिसमें उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बकाया है। गन्ने को कम तोलने (घटतौली) की शिकायतें अनेकों जगहों से मिल रही हैं।

बहस के बाद केन्द्रीय कार्यकारिणी ने इन मांगों पर अभियान चलाने और संसद मार्च करने का निर्णय लिया है।

1) गन्ने की कीमत 2021-22 के लिए 9.5% रिकवरी पर 500 रुपये प्रति क्विंटल/5000 रु प्रति टन दी जाए।

2) सभी राज्य सरकारें प्रति वर्ष गन्ना की रोपाई के पहले ही एफआरपी से ऊपर राज्य अनुसंशित कीमतों/एसएपी का एलान करें।

3) गन्ने की खेती के लिए आवश्यक उपादान/इनपुट्स जैसे खाद, डीजल दवाई आदि की कीमतों में कमी की जाए और कटाई तथा ढुलाई के खर्चों को चीनी मिल वहन करें।

4) 1966 के सुगर कन्ट्रोल ऑर्डर के अनुसार, मिलों को गन्ना आपूर्ति के 14 दिनों के अन्तर्गत किसानों को उसकी कीमत का भुगतान किया जाना अनिवार्य कर दिया जाए।

5) अतिरिक्त उत्पादों जैसे प्रेसमड/खाद, बगास/खोई, मोलासिस/इथनॉल की बिक्री में गन्ना किसानों को भी हिस्सेदारी दी जाए।

6) बंद चीनी मिलों को चालू किया जाए और उनकी संपत्ति को दूसरे काम में नहीं लगाया जाए। इथनॉल का उत्पादन, चीनी का उत्पादन बढ़ा कर किया जाए।

7) कोऑपेरेटिव और सार्वजनिक चीनी मिलों का निजीकरण नहीं किया जाए।

8) रंगराजन कमेटी की अनुसंशाओं को खारिज किया जाए।

9) केन्द्रीय सरकार जो प्रति माह चीनी की बिक्री का कोटा मिलों के लिए तय करती है, उसकी मात्रा बढ़ा कर कम से कम 25% की जाए, ताकि चीनी मिल बिक्री कर बाजार से कर्ज ले सकें।

एक प्रस्ताव में यह मांग की गई कि केन्द्र सरकार ने आंदोलनकारी किसानों को जो आश्वासन दिए थे उनको तत्काल पूरा किया जाए, जैसे एमएसपी के लिए कानूनी गारंटी, बिजली कानून में संसोधन की वापसी, आंदोलन में किसानों पर लादे गए मुकद्दमों की वापसी, 700 से ज्यादा शहीद किसानों के परिवारों को मुआवजा और लखीमपुर खीरी के किसानों को न्याय, मंत्री अजय मिश्रा की मंत्रिमंडल से बर्खास्तगी। इन मांगों की पूर्ति के लिए संयुक्त किसान मोर्चा जो भी आंदोलन का कार्यक्रम लेगा, गन्ना किसानों का यह संगठन उसमें सक्रिय भागीदारी करेगा।

गन्ना किसानों का संगठन 19 जनवरी को किसान-मजदूर एकता दिवस और 28-29 मार्च को ट्रेड यूनियनों की देशव्यापी आम हड़ताल को भी सक्रिय समर्थन देते हुए, ग्रामीण हड़ताल को कामयाब बनाने के लिए हर संभव प्रयास करेगा।

कोऑपरेटिव और सार्वजनिक क्षेत्र की चीनी मिलों को बचाने के लिए, एक कन्वेंशन और अभियान जल्द ही आयोजित करने का भी निर्णय लिया गया।

□

हिमाचल प्रदेश: भूमि अधिग्रहण के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन

– ओंकार शाद

हिमाचल प्रदेश के किसानों और खासतौर से उन किसानों, जिनकी जमीनें सड़कें चौड़ी करने, टावर लाइन बिछाने, हाइड्रोपावर परियोजनाओं, हवाई अड्डा निर्माण आदि के लिए अधिग्रहित की जा रही हैं, की एक आम सभा गत 27 अक्टूबर को मंडी में आयोजित की गयी। किसानों के करीब 20 संगठनों ने इस विरोध प्रदर्शन में भाग लिया।

इस विरोध प्रदर्शन के आयोजन का आह्वान मंडी में गत अगस्त महीने में आयोजित पीड़ित किसानों के संयुक्त मंच की एक कन्वेंशन ने किया था।

विकास योजनाओं में खोई जमीन

हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी राज्य है और दूसरे राज्यों के मुकाबले यहां खेती की जमीन काफी कम है। कुल जमीन का सिर्फ 17.14 फीसद हिस्सा ही कृषि और उससे जुड़ी हुयी गतिविधियों के लिए उपलब्ध है। राज्य में किसान जनता के लिए, जमीन एक बहुत बड़ा सवाल है।

वर्ष 2015-16 की कृषि जनगणना के अनुसार राज्य की 9,44,226 हैक्टेयर जमीन में 9,96,809 मिल्कियतों की हिस्सदारी है। करीब 88.4 फीसद किसान, छोटे तथा सीमांत किसान हैं, जिनके पास दो हैक्टेयर से कम जमीनें हैं। इनमें से 48.43 फीसद किसानों के पास 0.5 हैक्टेयर से कम जमीन है और 4.9 फीसद किसान भूमिहीन हैं। परिवारों में बंटवारे के चलते वर्ष दर वर्ष जोतदारियां छोटी से छोटी होती जा रही हैं।

छोटी जोतदारियों के बावजूद राज्य में 63 फीसद लोग कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियों से ही अपना जीवनयापन करते हैं। 1980 के वन संरक्षण कानून से पहले, राज्य सरकार नोतौड़ (नयी जमीन तोड़ने) के तहत उदारता के साथ भूमिहीन तथा छोटे किसानों के बीच जमीनों का वितरण किया करती थी। लेकिन उसके बाद वन विभाग ने बंजर जमीनों को भी अपने तहत ले लिया और आज यह विभाग राज्य का सबसे बड़ा जमींदार है, जिसके पास राज्य की कुल जमीन का 56 फीसद हिस्सा है।

राज्य में गरीबों के लिए रोजगार के अवसर बहुत कम हैं। प्रतिकूल भौगोलिक परिस्थितियों के चलते, राज्य में उद्योग बहुत कम हैं और नवउदारवादी सुधारों के बाद से सेवा क्षेत्र में भी अवसर सिकुड़ गए हैं। ऐसी स्थिति में राज्य में बड़ी आबादी के लिए जमीन ही, जीवनयापन का एकमात्र उपलब्ध साधन है।

इधर विकास संबंधी गतिविधियों के लिए निरंतर भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है। भाखड़ा तथा पोंग बांधों के लिए पहले ही एक लाख हैक्टेयर से ज्यादा खेती-योग्य जमीन अधिग्रहित की जा चुकी है, जो इन बांधों के पानी में समा चुकी है। यहां के विस्थापित किसान, अपने पुनर्वास के मुद्दों की लड़ाई आज तक लड़ रहे हैं।

पोंग बांध के विस्थापित अभी भी न्याय का इंतजार कर रहे हैं। दूसरी परियोजनाओं तथा उद्योगों के लिए किए गए अधिग्रहणों के लिए, किसानों को उचित मुआवजा नहीं दिया गया है और 1894 के भूमि अधिग्रहण कानून के तहत अधिग्रहित जमीनों का मुआवजा भी बहुत ही कम है।

पुनर्वास का मुद्दा सबसे पहले हिमाचल प्रदेश किसान सभा ने नाथपा-झाकड़ी परियोजना के मामले में उठाया था। 1500 मेगावाट की इस पनबिजली परियोजना को अब सतलुज जल निगम लि0 कहा जाता है। लंबे तथा कटु संघर्ष के बाद ही, किसानों को मुआवजे की बढ़ी हुयी राशि मिली थी और विस्थापितों के लिए रोजगार भी सुनिश्चित हुआ था।

बाद में परियोजना से होनेवाली कुल आय के एक फीसद को परियोजना प्रभावित क्षेत्र के साथ बांटने की मांग भी इस क्षेत्र में विकास की महत्वपूर्ण मांगों में से एक मांग बन गयी थी।

इस संघर्ष ने राज्य के दूसरे किसानों का भी ध्यान आकर्षित किया और राहत तथा पुनर्वास के लिए इसी तरह के आंदोलन खड़े होने शुरू हो गए। इस बीच 2013 का नया भूमि अधिग्रहण पारित हो गया। 1 अप्रैल 2015 से यह हिमाचल प्रदेश में भी लागू हो गया। इस कानून ने किसानों के बीच बेहतर मुआवजा पैकेजों की उम्मीदें बढ़ा दी।

राज्य में और खासतौर से पिछले एक दशक में, चार लेनवाले के हाईवेज के निर्माण और मौजूदा सड़कों के चौड़ीकरण के लिए, बड़ी तेज गति से भूमि का अधिग्रहण हुआ है। किसान, वर्ष 2013 के वनाधिकार कानून को लागू करने और खासतौर से क्षेत्र के सर्किल रेट से चार गुना मुआवजे के प्रावधान को लागू करने की मांग कर रहे हैं।

अधूरे वादे

वर्ष 2017 में भाजपा ने इसे चुनाव का एक बड़ा मुद्दा बनाया था और कहा था कि अगर वह विधानसभा चुनाव में जीतती है तो, इस कानून को इसके तमाम प्रावधानों के साथ लागू किया जाएगा। भाजपा ने इस मांग को अपने चुनाव घोषणापत्र में भी शामिल किया था।

दिसंबर 2017 में राज्य विधानसभा का चुनाव जीतने के बाद भाजपा ने भूमि अधिग्रहण के मुद्दों पर गौर करने के लिए एक कैबिनेट मंत्री, गोविंद ठाकुर की अध्यक्षता में एक तीन सदस्यीय कमेटी का गठन किया। बहरहाल, इस कमेटी के बनने के तीन वर्ष बाद भी कुछ नहीं हुआ।

भाजपा ने संघर्ष समिति के तत्कालीन अध्यक्ष सुशील ठाकुर को, जो कि भारतीय सेना के एक अवकाशप्राप्त बिग्रेडियर हैं, अपने साथ मिला लिया और उन्हें सैनिक वेलफेयर बोर्ड का अध्यक्ष बना दिया। हाल ही में ठाकुर ने भाजपा उम्मीदवार के रूप में मंडी संसदीय सीट से उप-चुनाव भी लड़ा, जिसमें उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा।

किसानों ने भाजपा सरकार द्वारा तय किया गया दो गुना मुआवजा लेने से इंकार कर दिया। किसानों ने बेवकूफ बनाने के लिए भाजपा की आलोचना की और कहा कि उसने किसानों की पीठ में छुरा घोंपा है।

किसानों ने अपने संघर्ष को व्यापक बनाने का निर्णय लिया और भाजपा राज्य सरकार के विश्वासघात के खिलाफ लड़ने का फैसला लिया।

गत 5 अगस्त को मंडी में एक राज्यस्तरीय संयुक्त कन्वेशन का आयोजन किया गया, जिसमें 18 संगठनों ने भाग लिया। एक राज्यस्तरीय 'भूमि अधिग्रहण पीड़ित मंच' का गठन भी किया गया। इस कमेटी के घटकों में एक घटक हिमाचल प्रदेश किसान सभा भी है।

चार लेनवाली सड़कें मुख्यत: परवाणु से शिमला, किरतपुर से मंडी, मटौर से शिमला, पठानकोट से मंडी तथा हमीरपुर से मंडी तक की सड़कें हैं। इनके अलावा 63 नेशनल हाईवे परियोजनाएं घोषित की गयी हैं और उन्हें चौड़ा किया जा रहा है। इसके अलावा रेलवे भी भूमि अधिग्रहण कर रही है।

कन्वेंशन ने 10 सूत्री मांग पत्र पारित किया, जिसकी मुख्य मांगें थीं: सरकार भूमि अधिग्रहण कानून 2013 को लागू करे, समुचित पुनर्वास की व्यवस्था करे और भूमि अधिग्रहण का चार गुना मुआवजा दे। पीड़ित किसानों ने राज्य सरकार को एक ज्ञापन भी दिया और मांग की कि 30 सितंबर तक उनकी मांगों को स्वीकार किया जाए।

इस ज्ञापन के सिलसिले में सरकार का कोई जवाब नहीं आया। राज्य सरकार के इसी रवैये के खिलाफ गत 27 अक्टूबर को मंडी में एक राज्यस्तरीय रैली का आयोजन किया गया। यह रैली शानदार रूप से सफल रही और उसने एक राजनीतिक संदेश भी दिया। चूंकि उस वक्त मंडी संसदीय क्षेत्र का उपचुनाव हो रहा था, इस रैली ने भाजपा उम्मीदवार को हराने का भी आह्वान किया, जिसने संघर्ष के दौरान किसानों के साथ विश्वासघात किया था। □

महाराष्ट्रः मुंबई में विशाल किसान मजदूर महापंचायत

– अजित नवले

महात्मा ज्योतिराव फुले की बरसी के मौके पर गत 28 नवंबर को मुंबई के आजाद मैदान में एक विशाल राज्यस्तरीय किसान मजदूर महापंचायत का आयोजन किया गया। इस महापंचायत में पूरे महाराष्ट्र भर के तमाम धर्मों तथा जातियों के हजारों-हजार किसानों, मजदूरों, खेतमजदूरों, महिलाओं, युवाओं तथा छात्रों ने भाग लिया।

संयुक्त शेतकरी कामगार मोर्चा (एसएसकेएम) ने इस महापंचायत का आयोजन किया था, जिसमें करीब 100 संगठन शामिल हैं। ठाणे, पालघर, नासिक, रायगढ़, अहमदनगर, धुले, नंदुरबार तथा जलगांव जिलों और खुद मुंबई से भी बड़े-बड़े जत्थे इस महापंचायत में शामिल होने के लिए पंहुचे थे।

अनेक संगठनों ने इसके लिए बड़ी अच्छी जनलामबंदियां की थीं। अखिल भारतीय किसान सभा (एआइकेएस) की ताकत इस महापंचायत में हर लिहाज से सबसे ज्यादा थी। इस कार्यक्रम के एक दिन बाद, 29 नवंबर को तीन घृणित किसानविरोधी, जनविरोधी तथा कार्पोरेटपरस्त कृषि कानूनों को संसद ने निरस्त कर दिया।

पूर्व विधायक जे पी गावित (एआइकेएस) तथा मिलिंद रानाडे (एनटीयूआइ) ने इस महापंचायत की अध्यक्षता की।

इस महापंचायत को एसकेएम के नेताओं-राकेश टिकैत, दर्शनपाल, पूर्व-सांसद हन्नान मौल्ला, युद्धवीर सिंह, तेजिंदर सिंह विर्क, अतुल कुमार अनजान, राजाराम सिंह, योगेंद्र यादव, जसबीर कौर नट, आशीष मित्तल, बी वेंकट, अशोक ढवले, एमएलसी जयंत पाटिल, मेधा पाटकर, प्रतिभा शिंदे, पूर्व-विधायक नरसैया आडम, पूर्व-एमएलसी विद्या चव्हाण, डा0 अजित नवले, नामदेव गवाड़े, उल्का महाजन, किशोर धामले, श्याम काले, देवानंद पवार, फिरोज मिठीबोरवाला, राजेंद्र बावके, विशाल हिवाले, मधु धोदी तथा राजू कोर्डे-ने संबोधित किया।

अंत में अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष अशोक ढवले ने किसान संघर्ष के सभी 700 शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए एक शोक प्रस्ताव पेश किया। महापंचायत में आए दसियों हजार लोगों ने खड़े होकर सभी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्र गान के साथ यह महापंचायत संपन्न हुयी।

विभिन्न किसान तथा मजदूर संगठनों के राष्ट्रीय तथा राज्यस्तरीय नेताओं ने कृषि कानूनों को निरस्त कराने में, भाजपा-आरएसएस सरकार और उसके कार्पोरेट सहयोगियों के खिलाफ वर्ष भर चले किसान संघर्ष की ऐतिहासिक जीत का स्वागत किया और साथ ही अपने इस दृढ़ निश्चय की घोषणा भी की कि बची हुयी मांगों के लिए संघर्ष जारी रहेगा।

इन बची हुयी मांगों में एक न्यायपूर्ण न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) तथा पह्लसलों की खरीद की गारंटी के लिए एक केंद्रीय कानून बनाने, बिजली संशोधन विधेयक को वापस लेने, चार श्रम संहिताओं को निरस्त करने, निजीकरण के जरिए मिट्टी के मोल देश को बेचना बंद करने और डीजल, पैट्रोल, रसोई गैस तथा जरूरियात की अन्य चीजों की कीमतें आधी करने, मनरेगा के तहत

काम के दिनों तथा दिहाड़ी को दुगना करने तथा इस योजना को शहरी क्षेत्रों तक विस्तार देने और लखीमपुर खीरी के कसाई अजय मिश्रा टेनी को केंद्रीय मंत्रीमंडल से हटाने तथा उसे गिरफ्तार करने की मांगें शामिल हैं।

महापंचायत को संबोधित करनेवाले सभी नेताओं ने भाजपा–आरएसएस पर चौतरफा हमला बोला और महाराष्ट्र के आगामी विधानसभा चुनावों में और राज्यव्यापी स्थानीय निकायों के चुनावों में, भाजपा को हराने का आह्वान किया।

इन नेताओं ने यह भी मांग की कि एमवीए की महाराष्ट्र राज्य सरकार उन तीन कृषि विधेयकों को वापस ले, जिन्हें राज्य विधानसभा के पिछले सत्र में पेश किया गया था। एसएसकेएम ने तब भी इसका कड़ा विरोध किया था, क्योंकि वे कुछ छिटपुट संशोधनों के साथ केंद्रीय कृषि कानूनों की ही नकल हैं। तीन कृषि कानूनों को निरस्त किए जाने के बाद, इन विधेयकों को भी वापस ले लिया जाना चाहिए।

कुछ वक्ताओं ने यह भी मांग की कि राज्य परिवहन मजदूरों की हड़ताल का एक सम्मानजनक हल निकाला जाए, जो उनकी जायज मांगों को लेकर पिछले एक महीने से चल रही है। साथ ही उन्होंने वनाधिकार कानून (एफआरए) को कड़ाई से लागू करने और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत समुचित मुआवजा सुनिश्चित किए जाने की भी मांग की।

इस महापंचायत के मौके पर नयी मुंबई के सभी सिख गुरुद्वारे एकजुट हुए और उन्होंने मिलकर आजाद मैदान में महापंचायत में भाग लेनेवाले सभी लोगों को मुफ्त दोपहर का भोजन, नाश्ता तथा चाय मुहैया करायी। गर्मजोशी से तथा भारी करतल ध्वनि के बीच उनका धन्यवाद ज्ञापन किया गया।

एक माह लंबी शहीद कलश यात्रा

एसएसकेएम के एक शानदार संयुक्त कार्यक्रम के साथ लखीमपुर खीरी के शहीदों की शहीद कलश यात्रा गत 27 अक्टूबर को पुणे स्थित महात्मा ज्योतिराव फुले तथा सावित्रीबाई फुले के प्राचीन आवास से शुरू हुयी थी। अनेक किसान संगठन स्वतंत्र रूप से इस यात्रा को पिछले एक महीने में महाराष्ट्र के 30 जिलों में लेकर गए थे। अखिल भारतीय किसान सभा ने इसे संगठित रूप से राज्य के 25 जिलों में आयोजित किया।

इस दौरान लखीमपुर खीरी के शहीदों को और इस ऐतिहासिक किसान संघर्ष के सभी करीब 700 शहीदों को भी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, सैकड़ों स्थानों पर विशाल आमसभाओं का आयोजन किया गया।

27 नवंबर को राज्य भर में चली विभिन्न शहीद कलश यात्राएं मुंबई पंहुचकर आपस में समाहित हो गयीं। इस मौके पर छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की गयी, जिन्हें महात्मा फुले ने अपनी गाथा में 'किसान जनता का राजा' बताया है।

इसी तरह जाति तथा लैंगिक दमन के खिलाफ संघर्ष के चैंपियन और भारत के संविधान के निर्माताओं में से एक डा0 बाबा साहेब अंबेडकर की चैत्य भूमि जाकर और एक किसान से कपड़ा मिल के मजदूर बने शहीद बाबू गेनू, जिन्हें 12 दिसंबर 1930 को एक ब्रिटिश ट्रक ने उस समय कुचल कर मार डाला था, जब वे बरतानवी कपड़ों का विरोध कर रहे थे, के स्मारक पर जाकर और ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ स्वतंत्रता संघर्ष के दिग्गज नेता और सच्चाई, अहिंसा तथा धर्मनिरपेक्षता के चैंपियन महात्मा गांधी की प्रतिमा पर जाकर, उन सभी को श्रद्धांजलि अर्पित की गयी। एक वर्ष तक चला किसान संघर्ष] महात्मा गांधी के इन्हीं मूल्यों से निर्देशित रहा है।

28 नवंबर की सुबह शहीद कलश यात्रा ने हुतात्मा चौक जाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। यह उन 106 शहीदों का स्मारक स्थल है, जिन्होंने पचास के दशक में चले संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन के दौरान अपने प्राणों की आहुति दी थी। महापंचायत के बाद शाम को इन शहीदों की अस्थियों को गेटवे ऑफ इंडिया पर एक विशेष कार्यक्रम में नावों के जरिए अरब सागर में प्रवाहित कर दिया गया।

त्रिपुराः शानदार रैली के साथ मनाया किसान आंदोलन की जीत का जश्न

– अरूपरतन शर्मा

त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में गत 24 दिसंबर को हजारों किसान, देश में साल भर तक चले किसान आंदोलन की जीत का जश्न मना रहे थे। हवा में लहरा रहे लाल झंडे जैसे इस जश्न की रौनक बढ़ा रहे थे। इन किसानों ने राज्य की किसान जनता के समक्ष उपस्थित फौरी मुद्दों को हल करने की भी मांग की।

इस रैली को संबोधित करते हुए विपक्ष के नेता और सी पी आइ (एम) पोलिट ब्यूरो सदस्य मानिक सरकार ने कहा कि इस किसानविरोधी तथा मजदूरविरोधी आरएसएस-भाजपा सरकार, जिसे झूठे वादों के जरिए त्रिपुरा की जनता पर थोप दिया गया था, को उखाड़ फैंकने के लिए निरंतर एकजुट संघर्ष चलाते रहने के अलावा हमारे पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है।

उन्होंने कहा कि राज्य के विभिन्न हिस्सों में शासक पार्टी के बदमाशों द्वारा बरपा किए गए फासीवादी आतंक और उनकी धमकियों की परवाह न करते हुए यहां एकत्रित हुए किसानों की इस शानदार रैली से हम आत्मतुष्ट होकर नहीं बैठ सकते। हमें किसानों की जायज मांगों को मानने पर शासक ताकतों को मजबूर करने के लिए निरंतर दृढ़निश्चयी संघर्ष चलाना होगा।

किसान जनता ने सरकार के समक्ष चुनौती पेश कर दी है: या तो किसान जनता और मेहनतकश अवाम के लिए काम करो या फिर जनता की नाराजगी का सामना करो, जो आपको सत्ता से उखाड़ फेंकेगी। आतंकित करने और डराने-धमकाने के जरिए मतदाताओं के एक बड़े हिस्से को मतदान से वंचित करने के जरिए चुनाव को पूरी तरह से मखौल बनाते हुए हाल ही में संपन्न हुए शहरी निकायों के चुनावों में, शासक पार्टी द्वारा हासिल की गयी तथाकथित जीत के उन्माद के बीच अपनी दस सूत्री मांगों को लेकर ये हजारों किसान, खेतमजदूर तथा राज्य के मूल बाशिंदे, राज्य की राजधानी पंहुचे थे।

आयोजकों ने पहले रबींद्र शतवार्षिकी भवन के समक्ष या ओरियंट चौमुहानी पर, जो इतने बड़े पैमाने के जमावड़े के लिए तुलनात्मक रूप से बड़ी जगहें हैं, यह रैली आयोजित करनी चाही थी, लेकिन भाजपा सरकार ने इनमें से किसी जगह के लिए इजाजत नहीं दी। परिणामस्वरूप गांधीघाट पर इस रैली का आयोजन किया गया।

इस दिन सुबह 11 बजे तक शहर के हृदयस्थल की सभी सड़कें लाल झंडे, प्लेकार्ड तथा बैनर उठाए प्रदर्शनकारियों से भरी हुयी थीं। उनका जुलूस पैराडाइज चौमुहानी से शुरू हुआ और शहर की मुख्य सड़कों से होता हुआ गांधीघाट अपने चरमोत्कर्ष पर पंहुचा। यह विरोध रैली इतनी विशाल थी कि घंटों तक शहर के हृदयस्थल पर जैसे इन प्रदर्शनकारियों का ही कब्जा था। जुलूस का सबसे अगला हिस्सा जब गांधीघाट पंहुचा, तो उसका पिछला हिस्सा पैराडाइज चौमुहानी पर ही था।

अखिल भारतीय किसान सभा, त्रिपुरा राज्य उपजाति गणमुक्ति परिषद (जीएमपी) और अखिल भारतीय खेतमजदूर यूनियन (एआइएडब्लूयू) की त्रिपुरा राज्य इकाई ने 10 सूत्री मांग पत्र के साथ संयुक्त रूप से इस रैली का आयोजन किया था। दस सूत्री मांग पत्र की मांगों में निम्नलिखित मांगें शामिल थीं:

1. सरकारी स्टोरों से समुचित मात्रा में खाद तथा कीटनाशकों की आपूर्ति सुनिश्चित करो।

2. कृषि का एसआरआइ सिस्टम और उससे संबंधित सब्सीडियां बहाल करो।

3. बेकार पड़े सिंचाई संयंत्रों को तुरंत बहाल करो ताकि वे ऑपरेशनल हालत में आ सकें।

4. धान की खेती के लिए मजदूरों को काम करने की इजाजत देने के लिए, मनरेगा के नियमों में संशोधन करो।

5. हाल की भारी बारिश के चलते जिन किसानों की फसलों को नुकसान पंहुचा है, उन्हें मुआवजा दो।

6.संविधान की आठवीं अनुसूची में काकबोराक को जोड़ते हुए, त्रिपुरा आदिवासी क्षेत्र स्वायत्त जिला परिषद (टीटीएएडीसी) से संबंधित विधेयक का पारित किया जाना सुनिश्चित करो।

इस रैली में मानिक सरकार, अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष अशोक ढवले, सी पी आइ (एम) राज्य सचिव जितेंद्र चौधरी, संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) के त्रिपुरा राज्य संयोजक पबित्र कार, अखिल भारतीय किसान सभा के त्रिपुरा राज्य अध्यक्ष अघोर देबबर्मा, अखिल भारतीय खेतमजदूर यूनियन के राज्य अध्यक्ष, भानुलाल साहा और बादल चौधरी, नारायण कार, राधाचरण देबबर्मा, श्यामल डे तथा अन्य नेताओं ने भाग लिया। सभा की शुरूआत में उन 715 शहीद किसानों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए एक मिनट का मौन रखा गया, जिन्होंने 380 दिन तक चले ऐतिहासिक किसान आंदोलन के दौरान अपने प्राणों की आहुति दी थी।

सभा को संबोधित करते हुए मानिक सरकार ने राज्य की जनवादी जनता का आह्वान किया कि वह राज्य में भाजपा सरकार के खिलाफ एकजुट हो। उनका कहना था कि मौजूदा सरकार ने जनता के लिए कुछ भी नहीं किया है। किसानों की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। जनपरस्त नीति के साथ काम करने की बजाय वह अपना विभाजनकारी एजेंडा चलाने में व्यस्त है।

उनका कहना था कि सांप्रदायिक शक्तियां हिंदुओं और मुसलमानों में विभाजन पैदा करने और सांप्रदायिक तनाव भड़काने के, निरंतर प्रयास कर रही हैं। बंगलादेश में पिछले दुर्गा पूजा उत्सव के दौरान कुछ सांप्रदायिक करतूतों को अंजाम दिए जाने के बाद, सीमा के हमारी तरफ धार्मिक तत्ववादियों ने त्रिपुरा में अल्पसंख्यकों पर हमले करने के जरिए सांप्रदायिक तनाव भड़काने की कोशिशें शुरू कर दी थीं।

उनका कहना था कि सांप्रदायिक शक्तियां नहीं चाहती हैं कि किसान एकजुट हों, इसलिए वे राज्य में असंतोष पैदा करने के लिए अपने सांप्रदायिक एजेंडा के साथ आगे बढ़ रही हैं। इन विखंडनकारी शक्तियों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई करने की बजाय, राज्य सरकार उन्हें संरक्षण दे रही है ताकि वे राज्य में अभी तक बने रहे सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ सकें।

उनका यह भी कहना था कि राज्य सरकार को यह पता चल गया है कि भारी जनअसंतोष के चलते वह जनता से अलग-थलग पड़ गयी है। इसलिए, उसने पूरे राज्य में आतंक की मुहिम छेड़ दी है। जनतांत्रिक नियम-कायदों को कुचला जा रहा है और चुनावों को पाखंड में बदला जा रहा है। उनका कहना था कि इस स्थिति में इस दमनकारी सरकार के खिलाफ एकजुट होकर खड़े होने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है।

सभा को संबोधित करते हुए अशोक ढवले ने भाजपा को सत्ता से उखाड़ फेंकने का आह्वान किया ताकि देश बचाया जा सके। उन्होंने याद दिलाया कि अतीत में त्रिपुरा की जनवादी जनता ने कांग्रेस-टीयूजेएस गठजोड़ की दमनकारी सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंका था।

उनका कहना था कि अब राज्य तथा केंद्र में भाजपा के नेतृत्ववाली सरकार के खिलाफ दृढ़ता के साथ उठ खड़े होने का वक्त आ गया है। उन्होंने ऐतिहासिक किसान आंदोलन को तहेदिल से समर्थन देने के लिए भी त्रिपुरा की जनता को धन्यवाद दिया।

इस अवसर पर बोलते हुए जितेंद्र चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार ने राज्य की जनता के साथ दगा किया है। उन्होंने वर्ष 2018 के राज्य विधानसभा चुनावों से पहले अपने 'विजन डॉक्यूमेंट' के जरिए अंतहीन चमकदार वादे किए, लेकिन उनमें से एक भी वादा पूरा नहीं किया। उल्टे अब वे विरोध की हर आवाज को कुचलने में व्यस्त हैं और आम लोगों के मतदान के अधिकार पर डाका डाल रहे हैं और विपक्षी पार्टियों पर हमले कर रहे हैं।

उनका कहना था कि आज जिन लोगों ने सड़कों पर नियंत्रण कर रखा है, वे आनेवाले दिनों में पूरे राज्य का नियंत्रण अपने हाथ में ले लेंगे। उनका यह भी कहना था कि 'ग्रेटर त्विपरालैंड' की फैंटेसी के साथ एक और विभाजनकारी शक्ति राज्य के आदिवासीबहुल क्षेत्र में कार्यरत है।

उनका कहना था कि जहां लोगों को न्यूनतम जीवनयापन के लिए कोई काम नहीं मिल रहा, वहीं राज्य सरकार विज्ञापनों में अपनी छवि चमकाने के लिए जनता के धन का करोड़ों रुपया खर्च कर, आजादी के अमृत महोत्सव के खर्चीले जश्न में व्यस्त है। उन्होंने राज्य में जनतंत्र की बहाली के लिए विशाल जन-आंदोलन खड़ा करने का आह्वान किया।

सभा को संबोधित करते हुए एसकेएम के राज्य संयोजक पबित्र कार ने कहा कि भाजपा के नेतृत्ववाली राज्य सरकार ने पिछले 45 महीनों के अपने कुशासन के जरिए, किसानों की जिंदगी मुहाल कर दी है। लेकिन राज्य के किसानों, खेतमजदूरों तथा झूमिया किसानों ने, मौजूदा दमघोटू स्थिति से बाहर निकलने का निर्णय ले लिया है।

उनका कहना था कि आज की विशाल रैली सत्तासीनों को कड़ी चेतावनी देने के लिए ही आयोजित की गयी है। यह रैली राज्य तथा केंद्र की जनविरोधी भाजपा सरकारों का मुकाबला करने के संकल्प के साथ संपन्न हुयी।

□

हर ढाई किलोमीटर पर पुलिस छावनी बनाने की बजाय स्कूल और अस्पताल बनाओ

बस्तर के किसान आंदोलनों में पहुंची किसान सभा

– बस्तर से संजय पराते और कमल शुक्ला द्वारा

बस्तर (छत्तीसगढ़)। इधर दिल्ली की छः बॉर्डर्स पर किसान साल भर से बैठे हैं उधर बस्तर के सुकमा जिले में सिलगेर, बीजापुर जिले में गंगालूर , एमपुराम, पामेड़, नारायणपुर जिले में आरी डोंगरी और कांकेर जिले में कोयलीबेड़ा में आदिवासियों के अनिश्चितकालीन धरने चल रहे हैं। दोनों के मुद्दे एक जैसे हैं – दोनों अपनी जमीन पर कारपोरेट के वर्चस्व के खिलाफ हैं, दोनों अपनी खेती किसानी, जल-जंगल-जमीन और जीवन की सलामती चाहते हैं। इस एकरूपता के बावजूद एक बड़ी भिन्नता भी है – दिल्ली देश की राजधानी होने के नाते राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की निगरानी में है, इसलिए हुक्मरान चाहकर भी एक सीमा से ज्यादा जघन्यता नहीं कर सकते हैं। बस्तर अत्यंत दूर और अलग-थलग है इसलिए यहां सब कुछ किया जा सकता है, किया भी जा रहा है। हर दो-ढाई किलोमीटर पर सीआरपीएफ की बटालियनें स्थायी कैम्प लगाए पड़ी हैं। छत्तीसगढ़ राज्य की पुलिस इनके अलावा है। सबसे अधिक संरक्षित वनों और प्राचीनतम सभ्यता में रह रहे आदिवासियों के गांवों को हमेशा के लिए मिटा देने वाले, अडानी के कथित स्वीकृत और नाजायज दोनों तरह के कब्जों का विरोध करने वाले गांवों के युवाओं को उठा ले जाना और उन्हें फर्जी एनकाउंटर में निबटा देने या अनंत काल के लिए जेल में डाल देने के जरिये कारपोरेट का रास्ता साफ़ करना आम बात है। हेकड़ी इतनी है कि संविधान दिवस के दिन इन आंदोलनों में एक सिलगेर (सुकमा) के धरने पर जाने वाले देश के सबसे बड़े किसान संगठन – अखिल भारतीय किसान सभा – के नेतृत्व को भी, बीजापुर से सिलगेर तक के 27 किलोमीटर के रास्ते में बीसियों पुलिस चौकियों में रोका गया। जागरूक पत्रकारों की मदद से ही वे संविधान दिवस के दिन अपने ही देश में, अपने ही देश के नागरिकों से मिलने पहुंच पाये।

12 मई से लोकतंत्र की बहाली और न्याय के इंतज़ार में सिलगेर में डटे आदिवासियों के बीच दिल्ली से संयुक्त किसान

मोर्चे के प्रमुख घटक संगठन, अखिल भारतीय किसान सभा के संयुक्त सचिव बादल सरोज तथा छत्तीसगढ़ किसान सभा के अध्यक्ष संजय पराते, पत्रकारों के एक दल के साथ पहुंचे और आंदोलनकारियों के साथ देश के किसान आंदोलन का समर्थन व्यक्त किया। आदिवासियों ने इस दिन संविधान दिवस के साथ-साथ देश के किसान आंदोलन का वर्ष पूरे होने और कृषि कानूनों की वापसी का जश्न मनाने के लिए, एक संकल्प सभा रखी थी। इस आंदोलन पर 17 मई को अकारण गोली चलाकर, 5 लोगों के मार डाले जाने के बाद भी, यह धरना साढ़े छ:ह महीने से जारी है। इस पर भागीदारी 25 हजार तक पहुंची है जो दूर-दूर ऊंची पहाड़ियों पर बसे छोटे-छोटे गांवों के हिसाब से बहुत ज्यादा है। किसान आंदोलन की वर्षगांठ और संविधान दिवस मनाने, 2000 से अधिक आदिवासी जमा हुए थे।

इस जनसभा में बोलते हुए एआइकेएस संयुक्त सचिव, बादल सरोज ने 3 युवकों, एक युवती और उसके गर्भस्थ शिशु की 17 मई को हुए अनावश्यक गोलीकाण्ड में हुयी निर्मम हत्या की भर्त्सना करते हुए, हर ढ़ाई किलोमीटर पर सीआरपीएफ कैम्प - पुलिस छावनियां और थानों का जाल बिछाने के औचित्य पर सवाल उठाते हुए, छग सरकार से कहा कि इसकी बजाय उसे हर ढ़ाई किलोमीटर पर स्कूल और अस्पताल बनाने चाहिए, ताकि मलेरिया और कुपोषण जैसी टाली जा सकने वाली हजारों मौतों से आदिवासियों को बचाया जा सके। संविधान दिवस के मौके पर उन्होंने लोकतंत्र और संविधान के इस मखौल को रोकने की मांग की।

उन्होंने कहा कि सरकारों का असली इरादा बस्तर को आदिवासी और परम्परागत वनवासी-विहीन बनाने का है, ताकि यहां के जंगल, खनिज, नदियां और प्राकृतिक सम्पदा, अडानी और अम्बानी का खजाने भरने के लिए सौंपे जा सकें। देश के किसान सिलगेर के आदिवासियों के साथ हैं, वे केंद्र और राज्य सरकारों को इन साजिशों में कामयाब नहीं होने देंगे। उन्होंने पेसा क़ानून के तहत पूरे बस्तर में बिना ग्राम सभाओं की अनुमति के जबरिया जमीन अधिग्रहण को रोके जाने की मांग भी की।

देश में जारी किसान आंदोलन की ओर से उन्होंने सिलगेर और गंगालूर के आदिवासियों के आंदोलन का समर्थन किया, साथ ही अपील की कि वे देश भर के किसान आंदोलन में हिस्सा लेने दिल्ली पहुंचें । आंदोलनकारी मूलवासी संघ के अध्यक्ष रघु ने उनके इस न्यौते को कबूल किया और दिल्ली पहुंचने का वादा किया। उन्होंने संयुक्त किसान मोर्चे और अखिल भारतीय किसान सभा का सिलगेर पहुंच कर समर्थन देने के लिए, आभार भी जताया।

किसान सभा नेताओं ने कहा कि माओवाद एक राजनीतिक समस्या है। उससे मुकाबला करना है तो इसके राजनीतिक तरीके से निकाले जाने चाहिए। खाकी वर्दी के फूहड़ प्रदर्शन और आम आदिवासियों तथा नागरिकों की जिंदगी दूभर बनाने की बजाय छग सरकार को इस इलाके की जनता का विश्वास जीतना चाहिए। उन्हें मानवोचित जीवन की सुविधाएं और सारे संविधानसम्मत अधिकार दिए जाने चाहिये। आदिवासियों का विनाश करने के आपराधिक रास्तों की बजाय, उनकी समृद्ध संस्कृति तथा विरासत को बचाये जाने पर जोर दिया जाना चाहिए।

उन्होंने छग के मुख्यमंत्री से सवाल किया कि लखीमपुर खीरी के निर्मम हत्याकांड में मारे गए चार किसानों और एक पत्रकार की हत्या पर वहां जाकर संवेदना व्यक्त करने और हरेक को छग सरकार की ओर से 50-50 लाख रुपये की राहत राशि घोषित करने का सही काम करने वाले भूपेश बघेल, खुद अपने ही राज्य में मार डाले गए पांच आदिवासियों के प्रति सहानुभूति तक दिखाने आज तक क्यों नहीं आ पाये ?

सभा में बोलते हुए छत्तीसगढ़ किसान सभा के अध्यक्ष संजय पराते ने सारकेगुड़ा हत्याकाण्ड (जून 2012) व एडसमेटा हत्याकाण्ड (मई 2013) के जांच आयोगों की रिपोर्ट दबाकर रखने की आलोचना की और याद दिलाया कि इन दोनों हत्याकांडों के खिलाफ तब विपक्ष में रही कांग्रेस भी लड़ी थी। लेकिन, अब जब रिपोर्ट में इन सबको फर्जी एन्काउंटर साबित कर दोषी पुलिस अधिकारियों की शिनाख्त भी की जा चुकी है, तब उसी कांग्रेस की सरकार इन रिपोर्ट्स को सार्वजनिक नहीं कर रही है। उन्होंने अब तक गठित सभी जांच आयोगों के आधार पर दोषियों को सजा देने, मारे गए निर्दोषों के परिजनों को एक-एक करोड़ मुआवजा देने, सिगलेर गोलीकाण्ड की न्यायिक जांच, मृतकों को 1-1 करोड़ रुपये मुआवजे की मांग करते हुए कहा कि बस्तर में लोकतंत्र की बहाली की जानी चाहिये, इसे एक पुलिस स्टेट नहीं बनने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि देशव्यापी किसान आंदोलन और सिलगेर के आदिवासियों की लड़ाई एक है, क्योंकि ये दोनों लड़ाइयां कॉरपोरेटों के खिलाफ, लोकतंत्र और संविधान बचाने की लड़ाइयां हैं।

बाद में बीजापुर में पत्रकारों से चर्चा में भी दोनों किसान नेताओं ने अपने अनुभव साझा किये। बस्तर तथा नारायणपुर जिले के युवा कार्यकर्ताओं की बैठक भी की। □

कर्नाटक के काले कृषि कानूनों को निरस्त करने की मांग

राष्ट्रीय राजमार्गों पर किसानों के धरने

देशव्यापी किसान आंदोलन का एक साल पूरे होने का दिन, 26 नवंबर को कर्नाटक के किसानों ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर धरनों के आयोजन के जरिए मनाया। इस मौके पर राज्य भर में अनेक स्थानों पर राष्ट्रीय राजमार्गों को रोका गया।

संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर, संयुक्त होराटा कर्नाटक के नेतृत्व में इस कार्रवाई का आयोजन किया गया। इस कार्रवाई में संयुक्त किसान मोर्चा की छः देशव्यापी मांगों के पूरे किए जाने की मांग करने के साथ ही कर्नाटक के एपीएमसी, भूमि सुधारों तथा गोकशी से संबंधित काले कृषि कानून निरस्त किए जाने की भी मांग उठायी गयी। संयुक्त होराटा कर्नाटक में अखिल भारतीय किसान सभा से संबद्ध केपीआरएस व केआरआरएस व अन्य किसान संगठन, दलित सगठन, ट्रेड यूनियन संगठन तथा कन्नड़ संगठन शामिल हैं।

बंगलूरु-मैसूरु राज मार्ग पर श्रीरंगपटनम के निकट, बंगलूरु-हैदराबाद राज मार्ग पर चिक्कबल्लापुर के निकट, एनएच-13 पर बीजापुर के निकट, एनएच-50 पर विजयनगर जिले में, एनएच-1 पर चित्रदुर्ग के निकट और राष्ट्रीय राजमार्गों पर दूसरे अनेक स्थानों पर, रास्ता रोककर धरने का आयोजन किया गया।

राज्य के ज्यादातर जिलों में किसान संगठनों ने विरोध धरने आयोजित किए।

बंगलूरु में मुख्य विरोध कार्रवाई, मौर्य सर्किल पर ट्रेड यूनियनों की ज्वाइंट काउंसिल तथा अन्य संगठनों द्वारा आयोजित की गयी।

इस मौके पर कुछ जगहों पर ट्रैक्टर परेडों का भी आयोजन किया गया। □

किसान आंदोलन की ऐतिहासिक जीत पर झारखंड में विजय दिवस मनाया गया

- सुफल महतो

किसान आंदोलन की ऐतिहासिक जीत पर संयुक्त मोर्चा के देशव्यापी आह्वान के तहत झारखंड राज्य किसान संघर्ष समन्वय समिति और संयुक्त मजदूर यूनियन द्वारा 11 दिसंबर को विश्वकर्मा मंदिर से अलबर्ट एक्का चौक तक विजय जुलूस निकाला गया। जुलूस में किसान आंदोलन जिंदाबाद, 700 से ज्यादा शहीद किसान अमर रहें, एमएसपी की कानूनी प्रक्रिया जल्द पूरी करो, आदि नारे लगाए जा रहे थे।

विजय जुलूस का नेतृत्व झारखंड राज्य किसान संघर्ष समन्वय समिति के राज्य संयोजक सुफल महतो, किसान सभा के राज्य महासचिव सुरजीत सिन्हा, एतेशाम अहमद, ज्योति मथारू, किसान महासभा के भुवनेश्वर केवट, अखिल भारतीय किसान के अजय सिंह, किसान संग्राम समिति के सुशांतो मुखर्जी, राजद के किसान नेता राजेश यादव, आदिवासी अधिकार मंच के प्रफुल्ल लिंडा, सुखनाथ लोहरा, स्वपन महतो, असिम सरकार, अशोक शाह, नौजवान सभा के संजय पासवान, सुरेश मुंडा, महिला नेता माया लायक, शिवानी पाल, रंगोवती देवी, वीणा लिंडा, सुमना लाहरी, सीटू नेता अनिरवाण बोस, विश्वजीत देव, लखन मंडल, जेपी सिंह, मंटू पासवान, एसके घोष, काशीनाथ चटर्जी, धर्मनाथ धारी, नवीन चौधरी, संतोष चौधरी, सुदीप, दिलीप महतो, स्वरूप कुमार, नेहा मंडल, सोहन महतो, विजय आदि कर रहे थे।

इस अवसर पर आयोजित सभा को संबोधित करते हुए किसान संघर्ष समन्वय समिति के राज्य संयोजक सुफल महतो ने कहा कि एमएसपी का कानून बनाने की प्रक्रिया को जल्द पूरा करना होगा। मोदी सरकार की किसान आंदोलन को बदनाम करने, झूठे मुकद्दमे थोपने, सड़क पर कील ठोकने, बॉर्डरों पर पानी, बिजली काटने, जैसी कार्रवाइयां काम नहीं आईं। अंततः मोदी सरकार को झुकना पड़ा और मांग माननी पड़ी। सभा को सुरजीत सिन्हा समेत अन्य नेताओं ने भी संबोधित किया। □

राजस्थान में किसान आंदोलन के नेताओं का स्वागत

- बृजसुंदर जांगिड़

सीकर। संयुक्त किसान मोर्चा के तत्वावधान में 11 दिसंबर को विजय यात्रा निकाली गई। विजय यात्रा में संयुक्त मोर्चे के नेता और किसान सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अमराराम, किसान सभा के प्रदेशाध्यक्ष पेमाराम, राज्य महामंत्री छगन चौधरी, किसान यूनियन (टिकैत) के जिलाध्यक्ष दिनेश जाखड़ और किसन पारीक शामिल थे, जिनका सीकर के विभिन्न गांवों में शानदार स्वागत किया गया।

कासली गांव में पूर्व प्रधान उस्मान खां और ग्रामीणों द्वारा स्वागत के बाद, किसान विजय यात्रा नागा की ढाणी, नेतड़वास, धोद, टाटनवां, सेवद बड़ी, किरडोली, रशीदपुरा में अभिनंदन समारोह के बाद फतेहपुर पहुंची।

इस अवसर पर अमराराम ने कहा कि यह आंदोलन किसानों का ऐतिहासिक आंदोलन था। एक साल से ज्यादा हो गया, मोदी सरकार की हठधर्मिता को आखिर किसानों ने तुड़वा दिया। तीनों काले कानून वापस लेने पड़े और उनके साथ अन्य मांगें भी, किसान- मजदूर की एकता के सामने माननी पड़ीं।

संयुक्त किसान मोर्चा के नेता दुगोली गांव भी गए, जहां शहीद हुए भगवानाराम नेहरा के घर जाकर उनके परिवार को सांत्वना दी और शहीद को पुष्पांजलि अर्पित की।

यात्रा के दौरान नुक्कड़ सभाओं को रूड़ सिंह महला, गिरधारी रंणवा, रामप्रसाद जांगिड़, रामरत बगड़िया, सत्यजीत भींचर, पूर्ण सिंह शेखावत, झाबर ओला, सरपंच सिहोट छोटी, अशोक ढ़ाका, आबिद हुसैन, सरपंच गारिंडा, बनवारी सैन, परमेश्वर ढ़ाका, आदि ने भी संबोधित किया। □

बिहार में किसान आंदोलन की जीत का विजय जुलूस

- प्रभुराज नारायण राव

समस्तीपुर। संयुक्त किसान मोर्चा के देशव्यापी आह्वान के तहत, तीनों किसान विरोधी काले कानून वापस लिए जाने पर 11 दिसंबर को समस्तीपुर स्टेशन चौक स्थित गांधी स्मारक स्थल से विजय जुलूस निकाला गया, जो शहर के विभिन्न भागों से होते हुए भगत सिंह स्मारक पहुंचा, जहां भगतसिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया।

इसके बाद जुलूस पुनः शहर की पुरानी पोस्ट ऑफिस रोड, स्टेशन रोड, रामबाबू चौक होते हुए गांधी स्मारक स्थल पहुंचा, जहां एक सभा आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता गंगाधर झा, प्रेमनाथ मिश्रा के अध्यक्षमंडल ने की। सभा को संबोधित करते हुए किसान नेता रामचंद्र महतो, सुरेंद्र प्रसाद, मुन्ना, रामाश्रय महतो, मनोज कुमार गुप्ता, सत्यनारायण सिंह, उमेश राय, उपेंद्र राय, अवधेश मिश्रा, रघुनाथ राय रंजन, रामप्रवेश राय, रामनिवास, अशोक पुष्पम, किरण शाह, नरसिंह राय आदि वक्ताओं ने, कृषि कानून की वापसी पर खुशी जाहिर करते हुए सभी किसान संगठनों को धन्यवाद दिया।

पश्चिम चंपारण। किसान मोर्चा के देशव्यापी आह्वान के तहत पश्चिम चंपारण के किसानों-मजदूरों, नौजवानों ने 11 दिसंबर को बेतिया में विजय जुलूस निकाला। जुलूस राज डेवढ़ी, चंद्रशेखर आजाद के आदमकद प्रतिमा स्थल से होते हुए लाल बाजार, जनता सिनेमा चौक होते हुए, शहीद स्मारक के गेट पर पहुंचकर सभा में तब्दील हो गया।

सभा को किसान सभा के राज्य संयुक्त सचिव प्रभुराज नारायण राव, एटक के नेता ओमप्रकाश क्रांति, किसान सभा के चांदसी प्रसाद यादव, राधामोहन यादव, अशोक मिश्र, प्रभुनाथ गुप्त, रामा यादव, जवाहर प्रसाद, मोहम्मद हनीफ, नीरज बरनवाल, लोक संघर्ष समिति के शेषनाथ प्रसाद, कांग्रेस किसान प्रकोष्ठ के अध्यक्ष शाही कुमार राय, आदित्य प्रताप सिंह, परमेश्वर तिवारी, सुशील श्रीवास्तव, बी के नरुला, अवध बिहारी प्रसाद, अंसारुल, सदरे आलम, योगेंद्र प्रसाद, चंपा देवी, आदि ने संबोधित किया। □

दिल्ली सीमाओं पर किसान संघर्ष में शामिल कार्यकर्ताओं का सम्मेलन, हरकिशन सिंह सुरजीत भवन, दिल्ली

केरल के कन्नूर में एमवीआर मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट ने वार्षिक एमवीआर पुरस्कार–2021 ऐतिहासिक किसान आंदोलन को देने का फैसला किया। ट्रस्ट ने संयुक्त किसान मोर्चा को पुरस्कार लेने के लिए 9 नवंबर को कन्नूर आने के लिए आमंत्रित दिया। ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री पट्टियम राजन ने किसान सभा महासचिव और एसकेएम 9 सदस्य समन्वय समिति के सदस्य हन्नान मौल्ला को निमंत्रण पत्र भेजा। संयुक्त किसान मोर्चा ने हन्नान मौल्ला को मोर्चा की ओर से जाकर पुरस्कार स्वीकार करने के लिए कहा। तदनुसार हन्नान मौल्ला ने 9 नवंबर 2021 को पय्यम्बलम में एमवीआर स्मृति मंडपम, कन्नूर में पुरस्कार समारोह में भाग लिया।

एक लड़ाई अभी जीती है, युद्ध अभी बाकी है

वर्ग संघर्ष के एक नए वर्ष की ओर

शुभकामनाएं - 2022

अखिल भारतीय किसान सभा-AIKS

मूल्य : 20 रुपये

अखिल भारतीय किसान सभा

36, पंडित रविशंकर शुक्ला लेन (केंनिंग लेन), नई दिल्ली–110001

फोन व फैक्स : 011–23782890 ई–मेल : kisansabha@gmail.com

प्रोग्रेसिव प्रिंटर्स, ए 21, झिलमिल इंडस्ट्रियल एरिया, जी.टी. रोड, शाहदरा, दिल्ली–110095